ISSN : 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का
समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल

वर्ष 19 | अंक 2 | दिसम्बर 2021

www.mpissr.org

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

संरक्षक

प्रोफेसर गोपालकृष्ण शर्मा

सम्पादक

प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

उप-सम्पादक

डॉ. आशीष भट्ट
डॉ. सुदीप मिश्र

सलाहकार मण्डल

प्रोफेसर अनिल कुमार वर्मा
समाज एवं राजनीति अध्ययन केन्द्र, कानपुर (उ.प्र.)

प्रोफेसर बदरीनारायण
गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज (उ.प्र.)

प्रोफेसर मणीन्द्रनाथ ठाकुर
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रोफेसर संजय लोढ़ा
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)

प्रोफेसर डी.एम. दिवाकर
ए.एन. सिन्हा समाज विज्ञान संस्थान, पटना (बिहार)

प्रोफेसर सन्दीप जोशी
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन (म.प्र.)

ISSN 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

वर्ष 19 दिसम्बर 2021 अंक 2

सम्पादक
प्रोफेसर यतीन्द्रसिंह सिसोदिया

उप-सम्पादक
डॉ. आशीष भट्ट
डॉ. सुदीप मिश्र

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
(भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार
एवं उच्च शिक्षा मन्त्रालय, मध्यप्रदेश शासन का स्वायत्त शोध संस्थान)
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र
उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश)

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन द्वारा प्रकाशित ***मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल*** अन्तर्विषयक प्रकृति का समीक्षीत अर्द्धवार्षिक जर्नल है। जर्नल के प्रकाशन का उद्देश्य समाज विज्ञानों में अध्ययन एवं अनुसन्धान को बढ़ावा देना तथा समसामयिक विषयों पर लेखकों एवं शोधार्थियों को लेखन एवं सन्दर्भ हेतु समुचित अवसर प्रदान करना है।

समाज विज्ञानियों एवं शोधार्थियों से भारतीय एवं क्षेत्रीय सन्दर्भों पर सम-सामयिक विषयों यथा - सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, विकासात्मक, प्रशासनिक मुद्दों, समस्याओं एवं प्रक्रियाओं पर शोधपरक आलेख, पुस्तक समीक्षा आदि आमन्त्रित हैं।

जर्नल में प्रकाशित शोध आलेखों में प्रस्तुत किये गये तथा व्यक्त किये गये विचार और टिप्पणियाँ सन्दर्भित लेखकों की हैं। इन्हें सम्पादक अथवा संस्थान के विचारों के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये।

सदस्यता शुल्क

वार्षिक		प्रति अंक	
संस्थागत	रु. 400.00	संस्थागत	रु. 200.00
व्यक्तिगत	रु. 300.00	व्यक्तिगत	रु. 150.00

जर्नल हेतु सदस्यता शुल्क बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा निम्न पते पर भेजें

निदेशक
म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान
6, प्रोफेसर रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र
उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश)
दूरभाष - (0734) 2510978, फैक्स - (0734) 3510180
e-mail: mailboxmpissr@gmail.com, mpissr@yahoo.co.in
web: mpissr.org

ISSN 0973-8568

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल

(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)

वर्ष 19 | दिसम्बर 2021 | अंक 2

शासन, प्रशासन और प्रशासकों के सन्दर्भ में गांधी — 1
- गिरिराज सिंह चौहान

आपदा प्रबन्धन : कारण, चुनौतियाँ एवं प्रभावी रणनीतियाँ (चेन्नई एवं केरल बाढ़ का एक अध्ययन) — 12
- हरीश दत्त

अटलबिहारी वाजपेयी : भारतीय राजनीति के अजातशत्रु — 23
- अनुपमा कौशिक

बाँस : बस्तर क्षेत्र में जनजातियों के लिए एक पवित्र संसाधन — 33
- बिन्दु साहू एवं डी.वी. प्रसाद

थर्ड जेंडर स्थिति : बेहतर और बदतर — 53
- दिव्या

मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन — 61
- बसन्त श्रीवास्तव

ग्रामीण महिला के स्वास्थ्य की स्थिति और समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन **76**
- राजेश कुमार एम. सोसा

पुस्तक समीक्षा
आइडियोलॉजी एंड आइडेन्टिटी : द चेंजिंग पार्टी सिस्टम्स ऑफ इण्डिया (प्रदीप के. छिब्बर एवं राहुल वर्मा) **83**
- जया ओझा

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 1-11)

शासन, प्रशासन और प्रशासकों के सन्दर्भ में गांधी

गिरिराज सिंह चौहान*

आधुनिक सन्दर्भों में शासन, प्रशासन और प्रशासकों के सन्दर्भ में गांधीजी के जीवन -आचरण और उनके विचारों को आत्मसात करने की जरूरत है। प्रस्तुत लेख इसी के महत्व को रेखांकित करने का प्रयास करता है। प्रस्तुत लेख को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग गांधी के जीवन पर विहंगम दृष्टि डालता है। द्वितीय भाग गांधी के जीवन आचरण तथा विचारों का प्रशासकीय सन्दर्भों में अनुसरण कैसे किया जाए उस पर विचार करता है। लेख का तृतीय एवं अन्तिम भाग सतत विकास एवं अन्य मुद्दों की प्रासंगिकता का वर्णन गांधीजी के सन्दर्भ में करता है तथा इस बात पर दृष्टि डालता है कि किस तरीके से गांधीजी के विचार सभी के लिए समान रूप से उपयोगी हैं।

महात्मा गांधी पोरबन्दर में अक्टूबर 2, 1869 को जन्मे थे, जो वर्तमान गुजरात में है। प्रारम्भिक शिक्षा गुजरात में होने के बाद वे वकालात की शिक्षा हेतु लन्दन गये और वहाँ से पुन: लौटकर भारत में वकालात करने लगे। तत्पश्चात् एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गये और वहाँ से फिर भारत लौटे। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटने के पश्चात् उन्होंने देश की स्वतन्त्रता में योगदान करने की ठानी। सबसे पहले उन्होंने देश की यात्रा की और भारत को जाना। अगर कोई ऐसा जननेता जिसने भारत को सम्पूर्ण रूप से जाना या उसकी आत्मा को अच्छे तरीके से जाना तो वह गांधी हैं। गांधी के समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो भारत को

---

*सहायक आचार्य, लोक प्रशासन विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान)
E-mail: girirajindia0@gmail.com

इतने अच्छे तरीके से जानता था। और शायद तभी वे स्वतन्त्रता आन्दोलन को इतने बेहतर ढँग से संचालित कर पाये। लन्दन में वकालात की शिक्षा प्राप्त कर भारत आने और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका जाकर वापस भारत आने की समय अवधि में जैसा की प्रसिद्ध इतिहासकार रामचन्द्र गुहा (2018, III, 2014) बताते हैं - वे तीन महाद्वीपों का अनुभव ले चुके थे। एशिया, यूरोप और अफ्रीका का और शायद यह अनुभव उनके लिए काम भी आया। भारत आने के पश्चात् जीवनजपर्यन्त महात्मा गांधी देश के लिए कार्य करते रहे।

उर्वीश कोठारी (2019) गांधीजी के संघर्ष और कार्यों पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए लिखते हैं कि महात्मा गांधी की विरासत कब तक रहेगी? क्या उन्हें याद करने की जरूरत है? वैश्वीकरण के दौर में जब विभिन्न दलों में आर्थिक नीतियों को लेकर कोई भी विभिन्नता नहीं रह गई है तब गांधी के बारे में बातें करना कितना प्रासंगिक रह गया है? कोठारी आगे लिखते हैं, गांधीजी का जीवन किसी नदी की भाँति था जिसमें कई धाराएँ मौजूद थीं। उनके अपने जीवन में शायद ही कोई बात रही हो जिस पर उनका ध्यान नहीं गया हो या फिर उन्होंने उस पर अपने विचारों को प्रकट नहीं किया हो। आजादी की लड़ाई के साथ-साथ उन्होंने छुआछूत उन्मूलन, हिन्दू-मुस्लिम एकता, चरखा और खादी को बढ़ावा, ग्राम स्वराज का प्रसार, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा, परम्परागत चिकित्सा ज्ञान के उपयोग सहित तमाम दूसरे उद्देश्य पर काम करना जारी रखा था। उन्होंने पूरे देश की यात्रा भी की थी। अपनी लोकप्रियता के साथ उन्होंने लोगों को कड़वी सच्चाई बताने का काम भी जारी रखा। हर दौर में इंसान अपनी मूर्खता और कमजोरियों के साथ जैसा है, मोटे तौर पर वैसा ही बना रहता है, लेकिन गांधीजी के दौर में, उनकी प्रेरणा और उनकी कद्दावर शख्सियत के असर से बड़े पैमाने पर लोग अपने बुरे तत्वों को दूर रखने और अपने अच्छे तत्वों को उभारने में कामयाब रहे। गांधीजी के साथ जो होना था वह 30 जनवरी 1948 की शाम को हो चुका। हमें गांधीजी की चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने लिए गांधीजी की चिन्ता करने की जरूरत है और हमें उनकी विरासत में दिलचस्पी लेनी चाहिए। गांधीजी ने हम लोगों के सामने कुछ आदर्श विचार रखे थे। सार्वजनिक जीवन के लिए भी उन्होंने हमें खराब लोगों के लिए खराब होना नहीं सिखाया बल्कि खराब लोगों के प्रति ईमानदार होना सिखाया था। गांधी को मानने के लिए हमें टोपी या धोती पहनने की जरूरत नहीं है, न ही ब्रह्मचर्य को अपनाने की जरूरत है। लेकिन हमें किसी से घृणा की जरूरत नहीं है। अगर हम घृणा से भरे हों और गांधीजी को मानते हो तो हमारे अन्दर से घृणा समाप्त होने लगेगी और हम शान्ति महसूस करने लगेंगे। आज की राजनीति एकदम अलग तरीके की हो गई है जहाँ घृणा और असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देकर उसे जीने का रास्ता बना दिया गया है। गांधीजी जिस तरीके से हृदय से डर निकालने में सफल रहे, उस हद तक शायद ही कोई दूसरा सफल होगा। जो नेता खुद ही सुरक्षाकर्मियों से घिरा हो वह लोगों को कैसे निडर बना सकता है? ऐसा नेता केवल डर का भाव सिखा सकता है। गांधीजी को मौत से कभी डर नहीं लगा और न ही उन्हें सत्ता की भूख थी। भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए उन्होंने लोगों को घृणा नहीं करना सिखाया। उन्होंने प्यार से संघर्ष करना और निराश

हुए बिना संघर्ष करना सिखाया। गांधीजी की अहिंसा ने हमें बिना किसी हिंसा के बहादुरी से लड़ना सिखाया। हाँ, अगर यह सम्भव नहीं हो तो उन्होंने हाथ उठाने की सलाह भी दी थी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग भीड़ बनकर किसी पर हमला कर दें। भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे विरोध के तरीके आज गांधी की सबसे अहम् विरासत में से एक हैं। अन्याय के खिलाफ अहिंसक संघर्ष के तौर पर इसे अपनाया जा सकता है। हमें यह मानने की जरूरत भी नहीं है कि गांधीजी के पास दुनिया की सभी समस्याओं के हल थे। उनका प्रेम, त्याग, दूसरों पर भरोसा और सह-अस्तित्व का सन्देश आज के असुरक्षित समय और क्लेश से भरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। उनकी राह मानवता, सह-अस्तित्व, दृढ़ मनोबल और शान्ति की राह है। इन्हीं रास्तों पर चलने वाले कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने न तो गांधीजी को पढ़ा होगा न ही उनके बारे में सुना होगा। ऐसा भी नहीं है कि गांधीजी ने ये रास्ते बनाये हैं। ये पहले से मौजूद थे लेकिन उन्होंने इसे फिर से चलन में लाकर हमें यह बताया है कि यह रास्ते उपलब्ध हैं। इन्हें अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इसके लिए गांधीजी को श्रेय दे भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उस राह को अपनाएँ।

II

जब हम गांधी के शासन, प्रशासन और प्रशासकों से सम्बन्धित विचारों को समझते हैं तो हम पाते हैं कि गांधी के विचार बड़े प्रासंगिक थे। उनके सत्याग्रह, सर्वोदय, सामाजिक भेदभाव को खत्म करने का आग्रह, उनके नेतृत्व पर विचार, संचार या सम्प्रेषण की सीख, एक संगठनकर्ता के रूप में गांधी, उनकी वित्तीय मामलों पर समझ, उनकी मन्त्रियों को सीख जैसे सारे विचार प्रशासन, प्रशासकों और शासन के लिए उपयोगी हैं। नजारेथ (2009) लिखते हैं कि गांधी का शासन के सन्दर्भ में नजरिया नैतिकता एवं सत्य पर आधारित था। उनके सिद्धान्त 1909 में प्रकाशित पुस्तक 'हिन्द स्वराज' तथा 1941 में प्रकाशित एक पुस्तिका 'रचनात्मक कार्य' में वर्णित हैं। इसमें एक ऐसे समाज का वर्णन है, जिसमें सम्पूर्ण समानता है, साम्प्रदायिक सद्भाव है, स्वरोजगार है तथा लोकतान्त्रिक भागीदारी है। उनका स्वराज का सिद्धान्त पूर्ण स्वराज में बदला, इसमें सिर्फ राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वतन्त्रता ही नहीं थी बल्कि सामाजिक कुरीतियों जैसे अस्पृश्यता, बन्धुआ मजदूरी, क्रोध, हिंसा आदि से भी स्वतन्त्रता थी। गांधी के शासन के आधारभूत नियम इस प्रकार थे -

1. प्रत्येक गाँव अपने आप में एक गणराज्य होना चाहिए जिसके पास स्वयं की सारी शक्तियाँ हों।
2. लोकतन्त्र में कमजोर व्यक्ति के पास भी उतने ही अवसर हों जितने शक्तिशाली व्यक्ति के पास हैं।
3. अलग-अलग धर्मों के बीच एक बेहतर सद्भाव होना चाहिए।
4. महिलाओं को पुरुषों को सन्दर्भों में समान रखा जाना चाहिए।

इन सभी सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रयोग 1917 के चम्पारण सत्याग्रह में हुआ था।

गांधी और सर्वोदय

सर्वोदय गांधीजी की एक ऐसी कल्पना थी जिसका सम्बन्ध शासन और प्रशासकों के लिए इस बात से है कि वह सब की कल्याण की बात करता है। साथ ही यह सब के उत्थान की बात भी करता है। यह सब के उदय और सब प्रकार के उदय से सम्बन्धित है। यह समर्थ जीवन, समग्र जीवन तथा सम्पूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है। प्रशासकों और नीति निर्माताओं को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि उनकी नीतियों एवं कार्यों से सभी का उदय एवं कल्याण सम्भव हो सके। गांधीजी ने अपने सर्वोदय के विचार की आधारशिला का स्रोत जॉन रस्किन की पुस्तक 'अनटू दिस लास्ट' नामक पुस्तक को बताया था। सर्वोदय की परिभाषा देते हुए विनोबा भावे ने कहा था कि सर्वोदय का अर्थ है सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति। हम अधिकतर के सुख से नहीं बल्कि सबके सुखी होने से सन्तुष्ट हैं। हम ऊँच-नीच, अमीर-गरीब, सबकी भलाई से ही सन्तुष्ट हो सकते हैं। सुशासन या गुड गवर्नेंस की अवधारणा के सन्दर्भ में सर्वोदय की बहुत अधिक महत्ता है। गुड गवर्नेंस का विचार जो 90 के दशक में आया उसका सन्दर्भ गांधीजी के विचारों में बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही दिखाई देता है।

गांधी और सत्याग्रह

हिन्द स्वराज (1909, 1949) पुस्तक के अध्याय 17 में गांधी सत्याग्रह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिन लोगों ने अपने अधिकार पाने के लिए खुद दुःख सहन किया, उनके दुःख सहने के ढंग के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। उसका मकसद लड़ाई के मकसद से उल्टा है। वे कहते हैं कि मिसाल के तौर पर मुझ पर लागू होने वाला कोई कानून सरकार ने पास किया। वह कानून मुझे पसन्द नहीं है। अब अगर मैं सरकार पर हमला करके यह कानून रद्द करवाता हूँ तो कहा जाएगा कि मैंने शरीर बल का उपयोग किया। अगर मैं उस कानून को मंजूर ही ना करूँ और उस कारण से होने वाली सजा भुगत लूँ, तो कहा जाएगा कि मैंने आत्मबल या सत्याग्रह से काम लिया। सत्याग्रह में मैं अपना ही बलिदान देता हूँ। गांधी स्वराज्य के लिए सत्याग्रह को आवश्यक मानते थे।

स्वराज पर गांधी के विचार

गांधी के स्वराज का अर्थ स्वशासन था, जहाँ लोगों का स्वयं का शासन था। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो जन-आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हों। यही स्वराज है। गांधी के स्वराज की अवधारणा अत्यन्त व्यापक थी और उस स्वराज की अवधारणा का केन्द्र बिन्दु भारत का गाँव था। वे चाहते थे कि गाँव हर दृष्टि से आत्मनिर्भर बने। गाँव का शासन गाँव के चुने हुए व्यक्ति द्वारा चलाया जाए तथा उन्हें शासन की विधायी, कार्यकारी तथा न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हों। वे सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में थे। यह स्वराज अहिंसात्मक तथा वर्गविहीन होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति की सहमति पर आधारित हो। गांधी ने इसे वास्तविक स्वराज बताया था (मुखर्जी 2009: 34-39, मथाई 1999)।

गांधी और नेतृत्व

गांधी उन नेताओं में से थे जिनके नेतृत्व के गुण शासन, प्रशासन तथा लोक प्रशासन के संगठन एवं प्रशासनिक व्यवहार में अत्यन्त उपयोगी हैं। गांधी एक करिश्माई नेतृत्व के धनी थे और वेबर द्वारा दी गई नेतृत्व की शैली में से एक करिश्माई शैली के नजदीक थे। अभिप्रेरणा की शैलियों में वह मासलो द्वारा प्रतिपादित की गई शैली में सबसे उच्च स्थान स्वयंसिद्धि के सोपान पर थे। शाह एवं तोड़ी के अनुसार गांधी ने 4ई - एनविजन, इनेबल, एम्पॉवर, एनर्जाइज़ (दूरदृष्टि, योग्य बनाना, सशक्तिकरण तथा प्रेरित करना) का प्रयोग करके अपने नेतृत्व को प्रभावशाली बनाया। शाह एवं तोड़ी के अनुसार गांधी में निम्नलिखित नेतृत्व के गुण थे -

1. **उदाहरण के द्वारा नेतृत्व** - नेतृत्व की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वह उदाहरणों के द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करता है। गांधी स्वयं जिन बातों को लोगों को कहने के लिए प्रोत्साहित करते थे वे स्वयं उसका पालन करते थे ताकि कथनी और करनी में अन्तर नहीं रहे।
2. **दूसरों के साथ व्यवहार** - गांधीजी ने सभी को हमेशा बराबर समझा। वे हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते थे। जब वे बड़े समूह से बात कर रहे होते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि वे बड़े समूह से बात कर रहे हैं। बल्कि ऐसा लगता था कि वे समूह के प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत कर रहे हैं।
3. **दृढ़ता** - गांधीजी के चरित्र की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे जो सोचते थे वे निश्चित रूप से उसे करके रहते थे। यह प्रशासकों के लिए तथा नीति निर्माताओं के लिए बहुत जरूरी है कि वे लक्ष्य निर्धारित करके उसे दृढ़ता से पाने की कोशिश करें।
4. **निरन्तर विकास** - गांधी अपने व्यक्तित्व में निरन्तर विकास करते रहे तथा चीजों को बेहतर ढँग से समझने की कोशिश करते रहे।
5. **शक्ति का प्रदर्शन बाहुबल से नहीं हो सकता** - गांधीजी लगातार इस बात पर जोर देते थे कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हिंसक तरीकों से नहीं हो सकती या बाहुबल से नहीं हो सकती बल्कि अहिंसक तरीकों से तथा लोगों को विश्वास में लेकर ही किसी वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है।
6. **आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी** - गांधीजी किसी भी प्रकार के संघर्ष के समाधान हेतु बदले की भावना से नहीं बल्कि सहानुभूति दिखाकर तथा कूटनीतिक तरीके से उसके हल पर जोर देते थे।
7. **खुद वो बदलाव बनिये जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं** - गांधीजी हमेशा इस बात पर बल देते थे कि अगर बदलाव दुनिया में लाना है तो स्वयं को बदलना पड़ेगा, यही कारण है कि जब उन्होंने देखा कि लाखों-करोड़ों भारतीय तंगहाली का जीवन जीते हैं तो उन्होंने स्वयं भी लेश मात्र वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिये तथा अत्यन्त साधारण तरीके से जीवन जीना प्रारम्भ कर दिया। वे कहा करते थे कि कोई भी तब

तक शान्ति नहीं ला सकता जब तक वह स्वयं शान्तिपूर्ण तरीकों में विश्वास नहीं करता हो।

8. **तर्कसंगत** - गांधीजी की बहुत बड़ी खूबी थी कि वे तर्कसंगत तथा उचित बातें करते थे तथा हमेशा तार्किक तरीके से अपनी बात रखते थे जिससे उनकी बातों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता था।

9. **रणनीतिकार** - गांधीजी एक बहुत बेहतरीन रणनीतिकार थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम का संचालन एक शानदार रणनीति के तहत किया। विपिन चन्द्रा (1989) कहते हैं कि गांधीजी को यह पता था कि भारतीय जनमानस लम्बे समय तक आन्दोलित नहीं रह सकता, अत: उन्होंने आन्दोलन करते समय उसमें उचित जगह पर ठहराव दिया। ठहराव के बाद फिर से आन्दोलन प्रारम्भ किया ताकि लोग नयी ऊर्जा के साथ आन्दोलन कर सकें।

10. **अनुशासन** - गांधीजी में गजब का अनुशासन था। उनका पूरा जीवन अनुशासन की मिसाल है और शायद इसी कारण से वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाये।

इन गुणों एवं दक्षताओं की शाह एवं तोड़ी ने प्रबन्धन में उपयोगिता बताई और उनके निहितार्थ बताएँ हैं (परन्तु यह समान रूप से प्रशासन एवं प्रशासकों के लिए भी उपयोगी हैं) जो इस प्रकार हैं -

1. **परिवर्तन करके नयापन लाना** - गांधीजी ने परिस्थितियों का सामना करने के लिए खेल के सारे नियम बदले। उन्होंने परम्परा तोड़ी। उन्हें पता था कि ब्रिटिश साम्राज्य तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था उसे बल से नहीं हराया जा सकता था अत: उन्होंने अहिंसा एवं सत्य के रास्ते को अपनाया। प्रशासकों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो समय के अनुसार बदलाव लाकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

2. **लक्ष्य की स्पष्टता एवं निश्चित उद्देश्य** - गांधीजी अपने लक्ष्य में काफी स्पष्ट थे। उन्होंने एकरूप योजना बनाकर सामान्य व्यक्तियों को संघर्ष के लिए तैयार किया। प्रशासकों के लिए यह बहुत जरूरी है।

3. **ऐसी नेतृत्व शैली को अपनाइये जो जिस संस्कृति में आप कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार हो अर्थात् उसमें लोचशीलता हो** - गांधीजी ने अपने नेतृत्व की शैली को तत्कालीन भारत की परिस्थितियों के अनुसार अपनाया और आवश्यकतानुसार उन्होंने अपनी योजनाओं को बदला भी। यह दिखाता है कि गांधीजी ने अपनी पारिस्थितिकी को समझा तथा उसके अनुसार कार्य किया। प्रशासकों के लिए भी जरूरी है कि वह सन्दर्भों को समझें और उनके अनुसार निर्णय लें तथा उन्हें क्रियान्वित करें साथ ही नीति नियन्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वे सन्दर्भों के अनुसार नीतियों का निर्माण करें।

4. **लोगों का सशक्तिकरण** - गांधीजी हमेशा लोगों के सशक्तिकरण पर बल देते थे ताकि उनके एवं लोगों के लक्ष्यों में साम्यता आ सके और यही गांधीजी की सफलता का राज भी था। प्रशासक भी जो करना चाहते हैं उसे लोगों को सशक्त करके तथा सहभागिता के साथ करके प्राप्त कर सकते हैं।
5. **सामाजिक विकास** - भारत में नेतृत्व व्यवहार सभी प्रकार की औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी संगठन, समूह वैसा ही कार्य करता है जैसा उसका नेतृत्व होता है। प्रशासकों को भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।
6. **विपत्तियों पर जीत हासिल करना** - गांधीजी के सामने शुरुआत में बहुत सारी विपत्तियाँ और चुनौतियाँ थीं। गांधी ने अपनी सारी कमजोरियों पर विजय पाई और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए लगातार कार्य किया। प्रशासकों को भी अगर लगता है कि कोई विपत्ति है या कोई कमजोरी है तो उन्हें उस पर कार्य करना चाहिए जिससे कि लक्ष्य प्राप्त करने में उन्हें मदद मिल सके।
7. **अभिप्रेरित करना एवं उत्साह बढ़ाना** - नेतृत्व के पास हमेशा यह दक्षता होनी चाहिए कि वे लोगों को अभिप्रेरित कर सकें और उनका उत्साह बनाए रख सकें। गांधीजी ने तत्कालीन भारत जैसे विशाल देश जिसमें साक्षरता दर नहीं के बराबर थी उस परिस्थिति में भी लोगों को लगातार प्रेरित किया तथा उनका उत्साह बनाये रखा जिसके फलस्वरूप वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
8. **विश्वसनीयता** - नेतृत्व के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपनी विश्वसनीयता बनाए रखे। यह नेतृत्व की आधारशिला है। संगठन में कर्मचारी अपने नेता को अपना रोल मॉडल समझते हैं। बस जरूरी है कि नेतृत्व हमेशा ईमानदारी, सत्य निष्ठा एवं अनुशासन से कार्य करें। गांधीजी की विश्वसनीयता इतनी अधिक थी कि लोग उन्हें किसी मसीहा से कम नहीं समझते थे और शायद इसी कारण से उनकी बातों को आसानी से मान लेते थे।
9. **दीर्घकालिक सम्बन्ध** - गांधीजी हमेशा व्यक्तिगत सम्बन्धों में विश्वास रखते थे, तथा उनसे कोई भी मिल सकता था और अपनी बात कह सकता था। यह उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू था, इसे सभी प्रशासकों को सीखना चाहिए।

गांधी और सम्प्रेषण

लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रशासनिक/सांगठनिक व्यवहार है और सम्प्रेषण उसका एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रशासकों और शासन के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी बात पहुँचाने के लिए एक बेहतर सम्प्रेषणकर्ता बने। गांधी अपने समय के एक बेहतरीन सम्प्रेषणकर्ता थे। एक ऐसे समय में उन्होंने लाखों-करोड़ों भारतीयों से संवाद स्थापित किया जब सम्प्रेषण के नाम पर अल्प साधन थे। उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक

उनके द्वारा किया गया सम्प्रेषण था। अफ्रीका के दिनों से ही उन्होंने अखबारों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुँचाई। भारत में भी उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन आदि समाचार पत्रों से अपनी बात जनता तक पहुँचाई। साथ ही प्रत्येक पत्र का जवाब वे स्वयं देते थे। अत: उनका संचार एक प्रेरक संचार था जिसमें तर्क था और साधारण शब्दों में अपनी बात कहने का तरीका था जिसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता था (सिंह, 2012; चक्रवर्ती 2013)।

गांधी और नैतिकता

गांधी और नैतिकता के बारे में वर्णन करते हुए सुजाता (2012, VII एवं XXIV और 113-123) कहती हैं कि महात्मा गांधी का उद्देश्य किसी नये दर्शन का विकास करना नहीं था। किन्तु ऐसा कोई पहलू नहीं था जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया हो, चाहे वह राजनीतिक पहलू हो या सामाजिक, धार्मिक हो या आर्थिक। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके सभी पहलुओं का आधार एक ही है और वह है नैतिकता। महात्मा गांधी का मानना था कि जिससे हम अच्छे विचारों में प्रवृत्त हो सकते हैं वह हमारी नैतिकता का परिणाम माना जाएगा। नीति मार्ग हमें यह बतलाता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। यदि हमें पूर्ण बनना है तो हमें आज से हर तरह के कष्ट उठाकर नीति का पालन करना चाहिए और उन्होंने आजीवन यही किया। महात्मा गांधी ने नैतिकता के प्रकाश से सिर्फ भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व को आलोकित किया है। गांधीजी के लिए आजादी का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था। वे हिंसा रक्तपात, असत्य धोखेबाजी की कीमत पर आजादी नहीं चाहते थे क्योंकि वे जानते थे कि नैतिकताविहीन आजादी का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने हमें सिर्फ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता ही नहीं दिलाई बल्कि हमें एक वातावरण भी दिया जिसमें हम अपने नैतिक गुणों का विकास कर मनुष्यत्व को पा सकें। ऐसा लगता है जैसे महात्मा गांधी का शरीर हाड़-मांस से निर्मित न होकर नैतिकता के अवयवों से निर्मित था। उनकी नैतिकता का प्रमुख अवयव सत्य था। सत्य और गांधी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची लगते हैं। महात्मा गांधी के लिए सत्य साध्य था, अहिंसा उसको प्राप्त करने का साधन। उनके अनुसार सबसे बड़ी ताकत जो मानव को प्रदान की गई है वह है अहिंसा और सत्य की प्राप्ति, अहिंसा के अतिरिक्त और किसी उपाय से नहीं हो सकती। गांधीजी के अनुसार सर्वोच्च नैतिकता का निर्वाह करने वाले मनुष्य से धन संग्रह किया ही नहीं जा सकता। ऐसी नैतिकता कम दिखाई देती है, फिर भी नैतिक व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि वह नैतिकता का स्वामी है। महात्मा गांधी के जीवन में पूरी पारदर्शिता थी - अन्दर-बाहर एक समान। जो विचार में था वही हृदय में था और वही वाणी में था। गांधी नम्रता के प्रति अत्यन्त आग्रहशील थे क्योंकि उनका मानना था कि नम्रता के बिना आध्यात्मिक विरासत नहीं मिल सकती। महात्मा गांधी निर्भीकता को भी मनुष्य के लिए सबसे जरूरी मानते थे और शायद इसी के कारण निर्भीकता के मन्त्र ने थके-हारे भारतीयों में ऊर्जा का संचार किया था। वे किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। महात्मा गांधी ने अपनी दृष्टि को एक क्षण के लिए भी विद्वेष, रोष या अन्य किसी कारण से धुँधला नहीं होने दिया।

उनकी नैतिकता के मार्ग का एक अन्य गुण लोगों पर विश्वास करना था। वे लोगों पर अत्यधिक विश्वास करते थे और शायद इसी कारण लोग भी उन पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। अपने को उनका शत्रु मानने वाले अंग्रेज भी उनकी प्रखर नैतिकता के कारण उन्हें अलौकिक मानते थे।

गांधी कहते थे कि हमारे मन में हर एक मनुष्य के लिए दया नहीं जगती तब तक हमने न तो नीति धर्म का पालन किया और न ही उसे जाना है। उत्कृष्ट नैतिकता सार्वजनिक होनी चाहिए। अपने सम्बन्ध पर हमें यह सोच कर चलना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य का हम पर हक है यानी सदा उसकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। किन्तु अपने बारे में हमें यह सोच कर चलना चाहिए कि हमारा किसी पर हक नहीं है। हम कितनी ही भलाई क्यों न करें हमें उसका कभी गुमान नहीं करना चाहिए और न उसकी कीमत आँकनी चाहिए। निरन्तर यह इच्छा करते रहना चाहिए कि हम और अधिक अच्छे बनें और अधिक भलाई करें। ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये गये आचरण एवं व्यवहार का नाम ही सच्ची नीति है। गांधीजी के अनुसार सभी को अपने अन्दर तीन गुण विकसित करने चाहिए वह हैं - मर्यादा, संयम और चरित्र-बल। गांधी कहते थे कि नैतिकता का तकाजा यह है कि जहाँ भी शंका हो वहाँ उसका निर्णय हमें अपने स्वार्थ के विरुद्ध करना चाहिए। उनके अनुसार राष्ट्र की संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ लक्षण सत्य-निष्ठा है। गांधीजी के अनुसार जो छोटे-छोटे नियमों का पालन करना सीख जाता है उसमें बड़े-बड़े संकल्पों के पालन की शक्ति सहज ही आ जाती है। दुनिया से हम जैसे बर्ताव की उम्मीद करते हैं वैसा ही बर्ताव हमें छोटे-से-छोटे आदमी के साथ भी करना चाहिए। गांधीजी के अनुसार सारे धर्म नीतियों पर टिके हुए हैं। हम किसी धर्म को मानें या न मानें किन्तु नीति का पालन करना मानव का दायित्व है। नीतिहीन व्यक्ति लोक या परलोक में, किसी दूसरे का भला नहीं कर सकता।

इस प्रकार वर्तमान में जब हम देखते हैं कि शासन में नीति की बात हो रही है और प्रशासकों को नैतिकता और सत्य-निष्ठा का पाठ पढ़ाया जा रहा है उस समय गांधी नैतिकता के सन्दर्भ में अत्यन्त प्रासंगिक हो जाते हैं।

गांधीजी का न्यासिता (ट्रस्टीशिप) सिद्धान्त

आर्थिक लोकतान्त्रिक कारण के सन्दर्भ में महात्मा गांधी न्यासिता का सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं। आचार्य (2016, 224-225) कहते हैं कि गांधी आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व का एक ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं जो केवल व्यक्ति की सदाशयता पर निर्भर न रहकर सांस्थानिक परिवर्तन बन जाता है। इसे ही गांधीजी ने न्यासिता का सिद्धान्त कहा है। न्यासिता एक प्रकार का अनासक्त स्वामित्व है। महात्मा गांधी मानते हैं कि वर्तमान में आर्थिक साधनों पर स्वामित्व रखने वाले पूंजीपतियों और भूमि मालिकों को एक न्यासी की तरह व्यवहार करना चाहिए और अपनी पूंजी को एक न्यास में परिवर्तन कर देना चाहिए। वे पूंजीपतियों का आह्वान करते हैं - मैं उन व्यक्तियों को, जो आज अपने आप को मालिक

समझ रहे हैं न्यासी के रूप में काम करने के लिए आमन्त्रित कर रहा हूँ अर्थात् यह आग्रह कर रहा हूँ कि वे स्वयं को अपने अधिकार की बदौलत मालिक न समझें बल्कि उनके अधिकार की बदौलत मालिक समझें जिसका उन्होंने शोषण किया है। गांधीजी के इस कथन से यह भी ध्वनित होता है कि न्यासिता एक प्रकार से मालिकों के शोषण से उत्पन्न पाप का प्रायश्चित भी है। इस प्रकार गांधीजी मालिकों के नैतिक बोध को जाग्रत करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह बात गौर करने लायक है कि न्यासिता के सिद्धान्त का दो तरीकों से शासन और प्रशासन में प्रयोग किया जा सकता है - पहला यह कि नीतियाँ, विशेषकर आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार से बनायी जाएँ कि वह एक समतामूलक समाज का निर्माण करें और पूंजीपतियों को इस कर्तव्य की याद दिलाएँ कि उनकी जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति भी है जिससे उन्होंने लाभ कमाया है। दूसरे स्तर पर न्यासिता का सिद्धान्त प्रशासकों के लिए इस बात से उपयोगी है कि प्रशासकों को यह बोध होना चाहिए कि वे किसी भी पद पर बैठे हुए मालिक नहीं हैं बल्कि न्यासी हैं और उसी के अनुसार उन्हें जनता के लिए कार्य करना चाहिए। न्यासिता की प्रशासकीय अवधारणा पर काम करने की जरूरत है।

गांधी द्वारा साध्य और साधन की शुद्धता पर बल दिया गया। उनका चिन्तन सत्य और अहिंसा के विचारों पर आधारित था। गांधी के अनुसार हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। अत: जिस लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। अत: गांधी पूर्ण रूप से नैतिक व्यवहार की बात करते हैं। प्रशासकों के लिए भी यह जरूरी है कि वे साधन और साध्य दोनों की ही पवित्रता को ध्यान में रखें।

III

आज जब सतत विकास की अवधारणा की चर्चा की जा रही है और उसके लिए सतत विकास लक्ष्य विश्व के नीति नियन्ताओं द्वारा तय किये जा रहे हैं उस समय गांधी और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। जब वे कहते थे कि पृथ्वी के पास प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता के लिए सब-कुछ है परन्तु उसके लालच के लिए बहुत कम है। गांधी का सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का चिन्तन आज सबके लिए प्रेरणा एवं अनुसरण का विषय है। नीति नियन्ताओं द्वारा जेंडर जस्टिस, मानवाधिकार पर गांधी का चिन्तन एक निर्देशक तत्व की तरह लिया जा सकता है। गांधी और उनके विचारों के महत्व पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा था कि अब तक उनके बहुत से विचार पूर्णत: आत्मसात नहीं किये गये हैं। अगर कभी कोई ऐसा पुरुष हुआ जिसने जीवन को सम्पूर्ण रूप में देखा और जिसने अपने आप को सम्पूर्ण मानव जाति की सेवा में न्यौछावर कर दिया तो वह निश्चय ही गांधीजी थे। उनकी विचारधारा का सम्बल श्रद्धा और सेवा के उच्च आदर्श थे तथा उनके कार्य और प्रत्यक्ष शिक्षाएँ सदा एकान्त नैतिक और अत्यन्त व्यावहारिक विचारों से प्रभावित होती थीं...जो भी गांधीजी की जीवन सरिता में डुबकी लगाएगा निराश नहीं होगा... क्योंकि उसमें एक ऐसा खजाना समाया हुआ है जिसमें हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति और श्रद्धा

के अनुसार जितना चाहे उतना ले सकता है (दी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, 1958)। वर्तमान कलुषित दौर में गांधी एक ऐसे नायक बनकर उभरते हैं जिन्होंने अपने जीवन को ही अपना सन्देश समझा। आवश्यकता है उस सन्देश को ग्रहण और आत्मसात करने की और नीतिगत चिन्तन, प्रशासकों के आचरण में और लोक प्रशासन अनुशासन (अकादमिक पक्ष) के शोध के सन्दर्भों में समाहित करने की ताकि समावेशी विकास और अन्त्योदय को प्राप्त कर सब का उदय और सब का कल्याण किया जा सके।

सन्दर्भ

आचार्य, नन्दकिशोर (2016) 'न्यासिता : आर्थिक लोकतान्त्रीकरण', जोसेफ सिबी के, महोदय भारत, प्रधान रामचन्द्र (सं.), *ट्रस्टीशिप : ए पाथलैस ट्रैवल्ड,* वर्धा, इंस्टीट्यूट ऑफ गांधियन स्टडीज.

एलन अलेक्सरोड (2010) *गांधी, सीईओ, फोर्टीन प्रिंसिपल्स टू गाइड एंड इंस्पायर मॉडर्न लीडर्स,* न्यूयॉर्क, स्टर्लिंग पब्लिशिंग कम्पनी.

चन्द्र, बिपन (1988) *इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस,* नई दिल्ली, पेंग्विन बुक्स.

चक्रवर्ती, निखिल (2013) 'महात्मा गांधी-द ग्रेट कम्युनिकेटर', *मेनस्ट्रीम,* वॉल्यूम 1, नं 42, अक्टूबर 5, http://www.mainstreamweekly.net/article4489.html पर उपलब्ध.

दी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी - वॉल्यूम 1, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय भारत सरकार, https://gandhi.gov.in/gandhian-literature.html पर उपलब्ध.

गुहा, रामचन्द्र (2018) *गांधी द इयर्स देट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914-1948,* नई दिल्ली, पेंग्विन एलन लेन.

गुहा, रामचन्द्र (2014) *गांधीज एनड्यूरिंग लीगेसी* : रामचन्द्र गुहा एट टेड×एमएआईएस https://www.youtube.com/watch?v=1mwrmwds9wM पर उपलब्ध.

गांधी, मोहनदास करमचन्द (1909, 1949) *हिन्द स्वराज,* अहमदाबाद, नवजीवन मुद्रणालय.

कोठारी, उर्वीश (2019) *'गांधी @ 150 : आज के दौर में गांधी की कितनी कितनी जरूरत?'* https://www.bbc.com/hindi/india-49807211 पर उपलब्ध.

मथाई एम.पी. (1999) 'व्हाट स्वराज मेंट टू गांधी', इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन नॉनवायलेंट स्ट्रगल्स इन दी ट्वेंटिएथ सेंचुरी एंड देयर लेसंस फॉर दी ट्वेंटी फर्स्ट, अक्टूबर 5-12, नई दिल्ली, https://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-articles/what-swaraj-meant-to-gandhi.php पर उपलब्ध.

मुखर्जी, रुद्रागंशु (2009) 'गांधीज स्वराज', *इकोनॉमिक एंड पॉलीटिकल वीकली,* वॉल्यूम XLIV, नं. 50, दिसम्बर, पृ. 34-39.

नज़रैथ, एलन पास्कल (2009) 'सत्याग्रह एंड सर्वोदय एज कीज टू गुड गवर्नेंस', *गांधी मार्ग,* वॉल्यूम 31, नम्बर 3, अक्टूबर-दिसम्बर, https://www.mkgandhi.org/articles/satyagraha_sarvodaya.html पर उपलब्ध.

शाह कविता एवं तोड़ी मेहा (2014) 'बापू : लीडर्स ऑफ लीडर्स', *गांधी इन द न्यू मिलेनियम - इश्यूज एंड चैलेंजेस,* मुम्बई, खाडवाला पब्लिशिंग हाउस, https://www.mkgandhi.org/articles/bapu-leader-of-leaders.html पर उपलब्ध.

सिंह, के. नटवर (2012) *मोहनदास करमचन्द गांधी - द ग्रेट कम्युनिकेटर,* https://www.indiatoday.in/opinion/k-natwar-singh/story/mahatma-gandhi-jayanti-celebration-117566-2012-10-02 पर उपलब्ध.

सुजाता (2012) *गांधी की नैतिकता,* वाराणसी, सर्वसेवा संघ प्रकाशन.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 12-22)

आपदा प्रबन्धन : कारण, चुनौतियाँ एवं प्रभावी रणनीतियाँ (चेन्नई एवं केरल बाढ़ का एक अध्ययन)

हरीश दत्त*

वैश्विक जगत के अधिकांश मामलों में मानवीय आपदा को ही प्राकृतिक आपदा का स्वरूप मान लिया जाता है, जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रकृति से ज्यादा मानव ही दोषी पाया गया है। हाल ही में जो भी प्राकृतिक आपदाएँ आई हैं उन्हें बढ़ाने में मानव ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण योगदान दिया है। यदि हम प्रकृति की सुन्दरता को बनाये रखने वाले प्राकृतिक मेनग्रोव वन और पहाड़ को नुकसान पहुँचाते हैं तो वास्तव में हम उन प्राकृतिक अवरोधों को समाप्त कर रहे होते हैं जो हमें बाढ़, सूखा, भूस्खलन इत्यादि खतरों से बचाते हैं। इसी तरह से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक जल भण्डारण एवं जल निकासी प्रणाली की जिस तरह से हम उपेक्षा करते आ रहे हैं, उससे हाल ही के वर्षों में भारत के कई क्षेत्रों में हमने बड़ी बाढ़ आपदा का सामना किया है। प्रस्तुत लेख दिसम्बर-2015 में चेन्नई तथा अगस्त-2018 में केरल में आई भयंकर बाढ़ आपदाओं के कारण, चुनौतियों और प्रभावी रणनीतियों पर केन्द्रित है।

*शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली.
E-mail: harish@iegindia.org

आपदाएँ वैश्विक जीवन की पर्यावरणीय समस्याएँ हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपदा को 'समुदाय या समाज के संचालन में व्यवधान' के रूप में परिभाषित किया है। इसमें व्यापक मानव सामग्रियों तथा आर्थिक या पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया जाता है। आपदा प्रबन्धन से तात्पर्य आपदा के सभी मानवीय पहलुओं से जूझने के लिए संसाधनों एवं जवाबदेहियों का संगठन एवं प्रबन्धन है। आपदा प्रबन्धन में केवल आपदा राहत कार्य ही सम्मिलित नहीं होता है अपितु आपदा से निपटने के लिए आपदापूर्व की तैयारियों से लेकर आपदा के पश्चात् राहत और बचाव तथा पुनर्निर्माण भी शामिल होता है। दरअसल आपदा प्रबन्धन में कई तत्व शामिल होते हैं, जैसे - आपदा निवारण, आपदा शमन, आपदा मुस्तैदी, आपदा पर्युत्तर, आपदा से उबरना तथा पुनर्निर्माण। इन सबके बावजूद भारत के आपदा प्रबन्धन में अभी भी कई कमियाँ हैं। इन्टरनेशनल डिजास्टर डेटाबेस के अनुसार वर्ष 2017 में आपदाओं के कारण भारत में 2,291 लोगों की मौत हो गई, जो विश्व में सबसे अधिक है।

भारत में आपदा प्रबन्धन की मुख्य जवाबदेही राज्य सरकारों की है। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबन्धन के लिए उचित तैयारी तथा त्वरित कार्यवाही तन्त्र के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर संस्थागत तन्त्र स्थापित किये गये हैं। इसमें राष्ट्रीय आपदाओं के समय किये जाने वाले उपायों के बारे में लोगों को शिक्षित करना भी शामिल है, जिसका हिस्सा जागरूकता एवं अभ्यास भी है। हाल के वर्षों में आपदा प्रबन्धन के क्षेत्रों में काफी परिवर्तन आया है। अब राहत एवं पुनर्वास के साथ-साथ निवारण, शमन एवं मुस्तैदी पर भी बल दिया जा रहा है एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास प्रक्रियाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है। केन्द्र सरकार ने आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी नीतियाँ और योजना निर्माण मार्गदर्शन जारी करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन 30 मई, 2005 को किया। इसी तरह राज्य एवं जिला स्तर पर भी राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना की गयी। चेन्नई में वर्ष 2015 की आपदा के बाद 1 जून, 2016 को भारत में आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना को केन्द्रीय केबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है।

आपदा प्रबन्धन के समक्ष प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं में सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है, जो सर्वाधिक सामान्य एवं व्यापक आपदा है। बाढ़ की घटना किसी भी स्थान पर भारी वर्षा के कारण होती है। विश्व के अधिकांश भागों की तरह भारत भी बाढ़ प्रवण देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट 'मौसम सम्बन्धी आपदाओं की मानव हानि' के अनुसार पिछले 20 वर्षों में बाढ़ के कारण 1,57,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि 1995 से 2015 के बीच बाढ़ से 2.3 अरब लोग प्रभावित हुए हैं। युनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल स्ट्रेटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन (यूएनआईएसडीआर) की वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1995 से 2015 के मध्य विश्व में बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या कुल 56 प्रतिशत थी, जो अन्य आपदाओं की अपेक्षा बहुत अधिक है।

गैर-सरकारी संस्था सेन्टर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि वर्ष 1900 के दशक में जहाँ मौसम की प्रतिकूलता के कारण केवल दो-तीन घटनाएँ हर साल होती थीं, वहीं अब साल में दर्जनों ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं। पिछले दस सालों में देश में छह से अधिक तबाही फैलाने वाले हादसे हो चुके हैं जिनमें वर्ष 2005 में मुम्बई, 2010 में लेह, 2013 में उत्तराखण्ड, 2014 में जम्मू-कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल हादसे प्रमुख हैं। इन सभी जगहों पर पानी और वृक्षों ने अपनी जगह वापस पाने के लिए इंसान और उसके विनाशकारी विकास को बुरी तरह किनारे पर ला कर खड़ा कर दिया है। अब यह इंसान और पानी के बीच अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। चेन्नई और केरल की बाढ़ अभी तक की सबसे बड़ी आपदाओं में सम्मिलित हैं। इन दोनों ही राज्यों की आपदाओं में मुख्य समानता यह है कि दोनों ही राज्य बढ़ते शहरीकरण, तालाबों एवं जल निकासी तन्त्र के खात्मे एवं अप्रभावी बाढ़ आपदा प्रबन्धन से ग्रसित हैं।

'प्रकृति ज्ञान, रक्षते जीवनम्' अर्थात् प्रकृति का ज्ञान होने से जीवन की रक्षा सम्भव है।

चेन्नई बाढ़ आपदा (दिसम्बर 2015)

प्रकृति जब अपने सौम्य रूप में होती है तो यह बहुत आनन्ददायक और मनोहारी प्रतीत होती है किन्तु जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो चारों ओर विनाश ही दिखाई देता है। 2-3 दिसम्बर, 2015 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को प्रकृति के इसी रौद्र रूप का सामना करना पड़ा, जब भारी वर्षा के परिणामस्वरूप पूरा चेन्नई शहर एक टापू में बदल गया तथा देश के अन्य भागों से इसका सम्पर्क टूट गया। इस भारी वर्षा के दौरान चेन्नई शहर को सर्वाधिक क्षति हुई तथा चेन्नई में पिछले 100 वर्षों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। परिणामस्वरूप 2 दिसम्बर को चेन्नई को आपदा क्षेत्र घोषित किया गया। दक्षिण भारत में भारी वर्षा का यह क्रम नवम्बर माह से लगातार चल रहा था। इस लगातार होने वाली भारी वर्षा ने चेन्नई शहर को पूरी शताब्दी की सबसे भयावह बाढ़ की स्थिति में खड़ा कर दिया था।

चेन्नई बाढ़ आपदा के कारण

इमारतों के लिये केवल जमीन ही दिखाई देती है, पानी नहीं। दरअसल, हजारों करोड़ के बजट के सामने पुरखों की सहज बुद्धि के आधार पर बने तालाबों की क्या बिसात? बताया जाता है कि अंग्रेजों के समय तक मद्रास प्रेसीडेंसी में 53,000 तालाब थे। यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या आज ये तालाब बचे होंगे? पद्मपुराण (144-145) में तालाबों का महत्व बताते हुए कहा गया है कि दस कुओं के बराबर एक बावड़ी है, दस बावड़ियों के समान एक तालाब है, तथा दस तालाबों के बराबर एक पुत्र हैं। क्या यह सही नहीं है कि तबाही ऊपर से नहीं आती, बल्कि हम तबाही का कारण स्वयं जुटा कर रखते हैं?

बाढ़ के कारणों की पड़ताल करती एक रिपोर्ट के अनुसार, तीव्र बेतरतीब विकास के राजनीतिक वादों की पूर्ति के लिए शहर के कई बड़े सरोवरों को भी सूखे होने के नाम पर पाट दिया गया है। इससे दलदली क्षेत्र सिकुड़ कर एक चौथाई भी नहीं बचा। रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ की तबाही बता रही है कि जिस चेन्नई को देश में शहरों के विकास और आधुनिकीकरण का आईना माना जाता है, वहाँ सबसे अधिक निर्माण कार्य जल संचयन स्थलों और उन जगहों पर हुए, जो जल मार्ग के तौर पर जाने जाते थे। चेन्नई में अनेक झीलें और दलदली क्षेत्र थे जिन पर अब अनेक भवन, अवैध निर्माण और उद्योग फल-फूल रहे हैं तथा अनियोजित विकास के कारण नदियों के किनारों पर अतिक्रमण किया जा चुका है। इसलिये बाढ़ के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त स्थान नहीं बचा है, जो सड़कों पर जमा हो जाता है और इस अतिक्रमण से शहर में लगभग 300 जल निकास समाप्त हो गये हैं। संक्षेप में कहें तो चेन्नई में नगर नियोजन की खामियों और विकास की वासना में अन्धाधुन्ध निर्माण करने से यह आपदा मौत की हद तक पहुँच गई। यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुचाएँगे तो प्रकृति के प्रकोप से कैसे बच पाएँगे?

चेन्नई में आई इस विध्वंसक बाढ़ के लिए प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त मानव जनित कारक भी उत्तरदायी हैं। लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए भी जल निकास की उचित व्यवस्था नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अरयर नदी में चेबारामबक्कम झील से 25 हजार घन फीट अतिरिक्त जल छोड़े जाने से स्थिति और बिगड़ गई। स्पष्ट है कि चेन्नई में आई यह बाढ़ आपदा अव्यवस्थित नगरीय विकास के कारण और भी विध्वंसक हो गई।

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण का मानना है कि चेन्न्ई की सभी झीलों में प्राकृतिक तरीके से बाढ़ का पानी निकालने के चैनल हैं, जो बाढ़ के समय उपयोगी होते हैं, लेकिन तरक्की के नाम पर इन जलाशयों पर निर्माण कर पानी का बहाव ही बाधित कर दिया गया।

चेन्नई बाढ़ आपदा के प्रभाव

तरक्की और आधुनिकता की मिसाल समझा जाने वाला चेन्नई दिसम्बर 2015 में सिर्फ दो दिन की बारिश में देखते ही देखते पूरा पानी में डूब गया। तमाम सड़कें, भव्य इमारतें, रेल लाइन, सरकारी दफ्तर, यहाँ तक कि राज्य की शान समझा जाने वाला हवाई अड्डा भी पानी से भर गया। बाढ़ ने दो हफ्ते तक चेन्नई में दहशत बनाये रखी। इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की मौत और आठ से दस हजार करोड़ के नुकसान की पुष्टि की गयी है। चेन्नई ऑटोमोबाइल एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के बहुत बड़े केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है किन्तु बाढ़ के कारण बड़ी औद्योगिक कम्पनियों, जैसे - इंफोसिस, टीसीएस, फोर्ड आदि को अपना उत्पादन बन्द करना पड़ा था।

केरल बाढ़ आपदा (अगस्त, 2018)

केरल, भगवान का अपना पारम्परिक-धार्मिक राज्य, निरन्तर दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी वर्षा के कारण सबसे अधिक आपदाजनक बाढ़ से हमेशा ही जूझता रहता है। यहाँ 8 से 18 अगस्त, 2018 तक निरन्तर वर्षा एवं बाढ़ से 350 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 7,80,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए और लगभग 50,000 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति नष्ट हुई। वर्ष 1924 के पश्चात् केरल में यह भीषणतम बाढ़ थी। केन्द्र सरकार ने केरल में बाढ़ और भूस्खलन की तीव्रता और परिणाम को ध्यान में रखते हुए, केरल की भारी बाढ़ को गम्भीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया था।

केरल बाढ़ आपदा के कारण

बाँधों का बेहतर प्रबन्धन होना अत्यन्त आवश्यक है। भारत के सन्दर्भ में बेहतर प्रबन्धन से आशय है कि मानसून प्रारम्भ होने से पहले जल भण्डार खाली होने जरूरी हैं, ताकि मानसूनी वर्षा से जमा जल यहाँ संगृहीत हो सके। केरल में 53 बड़े बाँध हैं। इनमे से तीन बड़े बाँध इडुक्की, इडामलायर एवं मुल्लापेरियार पश्चिमी घाट में स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि मानसून के प्रारम्भ में ही इडुक्की में क्षमता के बराबर पानी था, अर्थात् और अधिक पानी वहाँ संचय हो पाना सम्भव नहीं था।

यह संसाधनों के कुप्रबन्धन का भी नतीजा है। उदाहरण के लिए केरल ने जंगल से लेकर खेतों, तालाबों और नदियों तक के अपने जल निकासी तन्त्र को बर्बाद कर दिया जो अतिरिक्त पानी का भण्डारण करते थे। यह उन तकनीकी एजेंसियों के नकारेपन का भी नतीजा है जो बाढ़ नियन्त्रण और बाँध प्रबन्धन की योजनाएँ बनाती हैं। इसलिये यह मानव निर्मित आपदा है, न कि प्राकृतिक।

बारिश की अनिश्चितता के कारण बाँध प्रबन्धक अधिक से अधिक पानी का भण्डारण करना चाहते थे, उन्होंने रुक-रुक कर पानी नहीं छोड़ा और न ही मौसम के खत्म होने का इन्तजार किया। ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि उनके पास उचित सूचना तन्त्र के अभाव के साथ ही यह विश्वास नहीं था कि बिजली निर्माण के लिए पर्याप्त पानी का भण्डारण हो पायेगा या नहीं। इसने आपदा को कई गुना अधिक बढ़ा दिया था।

सबसे चौकाने वाली गैर-जिम्मेदारीपूर्ण बात यह है कि भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने वाली एकमात्र एजेंसी केन्द्रीय जल आयोग के पास केरल में बाढ़ के सम्बन्ध में पूर्वानुमान तन्त्र विकसित नहीं है। इसी वजह से स्थानीय लोग बाढ़ से बचाव करने की तैयारी कर पाने में असमर्थ रह जाते हैं।

अन्य चौंकाने वाली बात यह है कि केन्द्रीय जल आयोग ने आपातकालीन कार्य योजना के लिए विकास एवं क्रियान्वयन दिशानिर्देश मई 2006 में तैयार किये और राज्य सरकारों के पास कार्यवाही के लिए भेजे थे। भारत के महालेखा एवं नियन्त्रक परीक्षक

(सीएजी) की हालिया रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि केरल के 61 बाँधो में से किसी के भी आपातकालीन कार्य योजना और ऑपरेशन एवं मेन्टेनेंस मैन्युअल अभी तक तैयार नहीं हैं।

एक अन्य कारण बाँधों का अन्तर्राज्यीय प्रबन्धन है। उदाहरण के तौर पर मुल्लापेरियार बाँध केरल में स्थित है परन्तु इसका संचालन तमिलनाडु सरकार द्वारा किया जाता है। इसके जलस्तर को लेकर दोनों राज्य आमने-सामने आते रहते हैं, वर्तमान संकट में भी सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा।

केरल ने अपने 39 बाँधों में से 35 के द्वार खोल दिये थे, जिनमें गम्भीर स्थितियों को देखते हुए इडुक्की बाँध के पाँच द्वारों को खोला गया, जो नदियों के किनारे की बस्तियों में बाढ़ लाते हैं। जब केरल राज्य पहले से ही गम्भीर बाढ़ की स्थिति से निपट रहा था, उसी समय दो दर्जन से अधिक बाँधों ने भारी मात्रा में पानी छोड़ा, जिससे केरल की स्थिति और अधिक खराब हो गई, फलस्वरूप राज्य जलमग्न हो गया। पानी पहले क्यों नहीं छोड़ा गया था? भारत में मानसून आने से पहले अधिकारी क्या कर रहे थे? ये वह खामियाँ हैं, जो लगभग हर आपदा में हमारे सामने मुँह खोले खड़ी रहती हैं, फिर भी हम इन आपदाओं का प्रभावी प्रबन्धन कर पाने में हमेशा ही असफल होते हैं। आई.आई.टी. दिल्ली के अशोक केसरी कहते हैं - “अगर बारिश रुकने के दो सप्ताह के अन्दर धीरे धीरे पानी छोड़ा जाता तो 20-40 प्रतिशत नुकसान कम हो सकता था।”

केरल बाढ़ आपदा के प्रभाव

केरल में 20 दिन में 771 मिमी बारिश हुई। इस बारिश का 75 प्रतिशत हिस्सा मात्र आठ दिन में बरस गया। चिन्ताजनक बात यह थी कि बारिश उन इलाकों में अधिक थी जहाँ वन क्षेत्र अधिक थे। आमतौर पर अधिक बारिश तटीय इलाकों में होती है। इस बारिश का नतीजा यह हुआ कि पहाड़ तहस-नहस हो गये और अपनी जगह से हिल गये, फलस्वरूप भूस्खलन से जान-माल को हानि पहुँची। 12,000 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं, जो तत्काल राहत पहुँचाने और पुनर्निर्माण में बाधक हो रही थीं। ऐसा अनुमान है कि कुल मिलाकर इस आपदा से केरल राज्य की विकास दर एक प्रतिशत नीचे पहुँच गयी।

बाढ़ आपदा प्रबन्धन के समक्ष चुनौतियाँ

बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बाढ़ आपदा की समस्या हर साल पैदा होती है, पर अब तक बाढ़ को नियन्त्रित करने की कोई कारगर योजना नहीं बन पाई है। इसलिये अल्प वर्षा में सूखे की स्थिति तथा अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र और हरियाणा के कुछ भागों में जल निकासी बाधित होने के कारण बाढ़ आ जाती है। नदियाँ अक्सर अपना रास्ता बदल लेती हैं, जो नये क्षेत्रों में बाढ़ और तबाही का कारण बनती हैं। अब तो रेगिस्तानी प्रदेश राजस्थान और गुजरात में भी बाढ़ की स्थितियाँ निर्मित होने लगी हैं। यह नयी विकास नीतियों और बड़े-बड़े बाँधों का ही नतीजा है।

बीसों साल की मेहनत से हमने गैर-मानसून महिनों के लिए बारिश के पानी को जमा करने का जो प्रबन्ध किया था वह ध्वस्त हो रहा है। इसीलिये देश के अधिकांश तालाबों और बाँधों में पानी की आमद घटने का अन्देशा हमारे सामने बाढ़ जितनी ही बड़ी चुनौती है।

एक अन्य चुनौती हमारे समक्ष यह है कि हम अपने देश में आधिकारिक जल वैज्ञानिकों की सूची अभी तक नहीं बना पाये हैं ताकि मौके पर उनसे कुछ जान सकें और आपदा को न्यूनीकरण के स्तर तक ले जा पाएँ।

नदियों एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को विस्थापित करना भी हमारे सामने एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि लोग अक्सर ऐसी जगहों से भावनात्मक, रचनात्मक एवं रोजगारात्मक स्वरूप में जुड़े रहना चाहते हैं। 'प्रकृतिः रक्षति रक्षिता' अर्थात् प्रकृति से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए हमें उसका संरक्षण करना भी अति आवश्यक है। इसके लिए प्रभावी रणनीति भी अति आवश्यक है।

प्रभावी बाढ़ आपदा प्रबन्धन के लिए रणनीति

यदि पेड़-पौधे और खुला इलाका हो तो वर्षा का जल भूमि में शोषित हो जाता है, किन्तु यदि हम कांक्रीट का जंगल बनाते जाएँगे तो फिर हमें चेन्नई एवं केरल जैसी बाढ़ से हैरान नहीं होना चाहिए और इसकी भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय आ गया है कि सरकार इस समस्या को नजर अन्दाज न करे। अब अनिर्णय की स्थिति से काम नहीं चलेगा और यदि यह स्थिति जारी रही तो इससे और अधिक आपदाएँ आएँगी तथा लोग सरकार से निराश हो जाएँगे। इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इन आपदाओं से शिक्षा लेकर आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए प्रभावी आपदा प्रबन्धन पर ध्यान दिया जाए।

प्रभावी बाढ़ आपदा प्रबन्धन की रणनीतियों में आपदा सम्भावित क्षेत्रों की पहचान करना, उन पर ध्यान देना, लोगों को यह बताना कि बाढ़ के समय क्या करें, प्रभावी संचार तन्त्र की स्थापना करना और समय-समय पर सुरक्षाभ्यास करना शामिल हैं। आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षित आश्रयों और कमानों का निर्माण करना चाहिए ताकि भावी आपदा का प्रभाव कम हो।

सुरक्षित भवन निर्माण के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। पुनर्वास में आपदा के बाद लोगों को स्वस्थ एवं सुरक्षित जगह पर ले जाना और उन्हें ऐसे साधन उपलब्ध कराना ताकि वे पहले की ही तरह अपना जीवन सुचारु रूप से चला सकें।

प्रभावी बाढ़ आपदा प्रबन्धन के लिए नवीनतम, विश्वसनीय, सटीक एवं सामयिक जानकारी अति आवश्यक है। नदियों की बाढ़ के प्रसार वाले खतरनाक क्षेत्रों की पहचान, बाढ़ के प्रसार की सम्भाव्यता का निर्धारण, बाढ़ पूर्व की घटनाओं का अवलोकन, बाढ़ पूर्वानुमान तथा विश्वसनीय चेतावनी प्रणाली का विकास करना भी अति आवश्यक है। पूर्व में हुई घटनाओं से सबक लेकर प्रभावी बाढ़ आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था करना भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

यदि हम चेन्नई एवं केरल त्रासदी को गम्भीरता से ले रहे हैं और इस आपदा से सबक लेना चाहते हैं तो पूरे देश के मैदानी बाढ़ क्षेत्र और जल निकायों के डूब क्षेत्र को वर्गीकृत और संरक्षित श्रेणी में रख देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह विगत 30-40 वर्ष के आँकड़ों की अपेक्षा विगत 100 वर्ष में नदियों के रुख और जल फैलाव को ध्यान में रखकर योजना बनाएँ, क्योंकि नदियों का जीवन मानव सभ्यता जैसा ही हजारों वर्ष पुराना है। पिछली कई बड़ी तबाहियों से शिक्षा न लेने का ही नतीजा है कि तरक्की और आधुनिकता की मिसाल समझे जाने वाले चेन्नई एवं केरल में बाढ़ आपदा के समय वहाँ का प्रशासन भी हतप्रभ रह गया था, इसलिये यह सवाल बड़ी तेजी से गूँज रहा है कि कहीं पर्यावरण को नजर अन्दाज कर लगातार किये जा रहे इस तरह के विकास का ये उपहास तो नहीं है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय पेरियार नदी पर जब बाँध बनाया गया था तो साथ में 25 किलोमीटर लम्बी एक नहर भी तैयार की गई थी। लेकिन मेक इन चेन्नई के लकदक नारे के बीच अब वह नहर महज सात-आठ किलोमीटर ही शेष है।

विगत 30 वर्षों में चेन्नई में चार बार बाढ़ें आईं, फिर भी शहर में ड्रेनेज का कोई पुख्ता इन्तजाम नहीं किया गया, और तो और, जो पारम्परिक ढाँचा था, उसे भी नष्ट कर दिया गया। बेतरतीब इमारतें बनाने के लिए झीलें पाट दी गईं। चेन्नई का सबसे बड़ा मॉल 'फीनिक्स' ऐसी ही एक पटी हुई झील पर बना है। नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में चेन्नई में 650 से ज्यादा झीलें और तालाब पट चुके हैं। ऐसे निर्माण कार्यों से अब बचना चाहिये।

इन सबसे जरूरी यह है कि सरकार को अपनी योजनाओं में भी सुधार करना होगा। पुनर्निर्माण एवं तकनीकी दक्षता में सुधार लाना अत्यन्त आवश्यक है। अगर पूर्व में ही बारिश की सूचना दे दी जाती तो ऐसे प्रलय से बचा जा सकता था। उस समय बाँधों से धीरे-धीरे पानी छोड़ा जाता और अतिशय बारिश के समय पानी के भण्डारण की जगह बनाई जा सकती थी।

प्रभावी बाढ़ आपदा प्रबन्धन हेतु सुझाव

चेन्नई एवं केरल की वर्तमान लचर स्थिति में सरकार को एक ठोस योजना पर कार्य करने की महती आवश्यकता है। जिसकी शुरूआत नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को जोखिम क्षेत्रों से दूर स्थानान्तरित करके की जानी चाहिए, जो पिछले कुछ समय में लगभग दो दर्जन बाँधों द्वारा छोड़े जाने वाले पानी से बाढ़ की चपेट में हैं। यह भविष्य के लिए तैयार की जाने वाली निश्चित आवश्यकता है।

भारत में कई हिस्सों में नदियों के किनारे बड़ी आबादी रहती है। यहाँ नियमित तौर पर बाढ़ मार्ग और बाढ़ मार्ग सीमान्त क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जाता है। बाढ़ मैदान विनियमन के द्वारा इनका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए। इस प्रकार बाढ़ से हुए

नुकसान से बीमा आवरण प्रदान करना होगा तथा वह लोगों को बाढ़ वाली नदियों के किनारे रहने के प्रति भी हतोत्साहित करेगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की के डॉ. अस्थाना के अनुसार "प्राचीन जल निकायों की इंजीनियरिंग पर अभी तक कोई नुक्ताचीनी नहीं कर पाया है, बल्कि उसे देखकर हम आज भी अपने शोध करते हैं।" इसलिये आज के इंजीनियरों को भी प्राचीन प्रणालियों से सीख लेकर शहर स्थापित करने चाहिए।

देश में विकास का नया दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत सौ शहरों को आधुनिक और स्मार्ट बनाया जाना है। इसलिये जरूरी है कि पिछले छह दशकों के बाढ़ की तबाही से सबक लिया जाए और स्मार्ट शहरों की बसाहट में जल निकासी के पुख्ता इन्तजाम किये जाएँ, क्योंकि इन शहरों में ऐसे शहरों की संख्या ज्यादा है, जो बड़ी नदियों के किनारे आबाद हैं। इन नदियों और ऐसे शहरों की बाढ़ का अपना इतिहास भी है।

विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, भूस्खलन और संक्रामक बीमारियों जैसी असामान्य स्थितियों का सामना हमें लगातार करना पड़ेगा। अनुमान है कि सन् 2030 तक देश की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। इसके लिए मूलभूत ढाँचा बनाते समय नीति निर्माताओं को चेन्नई एवं केरल की मौजूदा तस्वीरें हमेशा अपने सामने रखनी होंगी।

कई हफ्तों की भयंकर बारिश के बाद चेन्नई एवं केरल के शहरों में मची तबाही बताती है कि हमारा शहरी नियोजन मौसमों के बदलते मिजाज के सामने कितना लाचार है। हाल ही में विकास के नाम पर जो निर्माण हुआ है, उसने हमारे शहरों को अंग्रेजी मुहावरे वाली 'सिटिंग डक' बना डाला है। वे मौसम का मामूली उतार-चढ़ाव झेलने लायक भी नहीं बचे हैं। दिल्ली में तो दो इंच बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। चेन्नई की तरह यहाँ एक दिन में 15 इंच बारिश हो जाए तो इसका क्या हाल होगा? दुर्भाग्य यही है कि हम किसी हादसे से कोई सबक भी नहीं लेते हैं।

हमारी बाढ़ प्रबन्धन रणनीति में निहित खामियों को स्वीकार करना भी बहुत जरुरी है। अब समय आ गया है कि बाढ़ नियन्त्रण से बाढ़ प्रबन्धन कि ओर रुख किया जाए जो बाढ़ की प्रक्रिया आधारित समझ पर बल देता है तथा बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए गैर-संरचनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन भी करता है।

निष्कर्ष

चेन्नई एवं केरल में आई बाढ़ आपदाएँ इस बात का स्पष्ट उदाहरण हैं कि कुछ मानवीय कारक प्राकृतिक आपदा के दुष्प्रभावों को बढ़ा देते हैं। अत: इन्हे प्राकृतिक सह मानवीय आपदाएँ मानना ज्यादा उचित है। इन आपदाओं के सम्बन्ध में अल्पकालिक उपायों से अब काम नहीं चलेगा। अत: आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा, अधोसंरचना निर्माण के बारे में पुनर्विचार करें और इस सम्बन्ध में स्थानीय वास्तविकताओं पर ध्यान दें।

सेवा में तत्परता दिखाएँ तथा नीति अनुसन्धान और सेवाओं को आम आदमी से जोड़ें। इसके लिए सरकार को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ-साथ स्थानीय प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना होगा, साथ ही विशेषज्ञों और पर्यावरणविदों की सहायता लेनी होगी। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण पैदा हुई समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा और यह भी ध्यान में रखना होगा कि इसका स्थानीय पारितन्त्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? चेन्नई एवं केरल का पुनर्निर्माण हो रहा है। हमें इनसे सबक लेकर आगे बढ़ना होगा, यह पुनर्निर्माण में हम वही गलतियाँ दोबारा नहीं कर सकते। जल निकासी कि योजनाओं पर हमें काम करना है। हर नदी, नाले, तालाब और खेतों कि मैपिंग की जानी चाहिए और हर कीमत पर इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। हर घर, संस्थान, गाँव और शहर को वर्षा जल का संचय करना होगा ताकि बारिश के पानी को दिशा दी जा सके और पानी पुन: रिचार्ज हो सके। मिट्टी के संरक्षण के लिए पौधारोपण के क्षेत्र को बेहतर प्रबन्धन कि आवश्यकता है। यहाँ पर यदि प्रभावी आपदा प्रबन्धन पूर्व में ही अपना लिया जाता अर्थात् नदियों के ढलानों पर अवैध निर्माण न किए जाते, शहर की जल निकास की व्यवस्था अच्छी होती तथा बाँधों का प्रबन्धन ठीक होता तो बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह नहीं हो पाती। प्रभावी आपदा प्रबन्धन एक उपाय है जिसके द्वारा आपदा के समय होने वाली जनहानि को कम किया जा सकता है तथा आपदा के समय प्रबन्धन एवं आपदा के पश्चात् प्रबन्धन में होने वाले व्यय को भी घटाया जा सकता है। विश्व में जलवायु परिवर्तन एवं तापमान में वृद्धि के कारण भारत में बाढ़, सूखा, भूस्खलन जैसी घटनाएँ होते रहना स्वाभाविक ही है, साथ-साथ विकासात्मक गतिविधियों पर भी पूर्ण रोक लगा पाना अब एक कल्पना मात्र ही है, इसलिये भविष्य में प्रभावी आपदा प्रबन्धन ही ऐसी घटनाओं के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो सकता है। अत: आपदाओं से सबक लेकर अब प्रभावी आपदा प्रबन्धन की रणनीतियों पर सुचारु अध्ययन एवं शोध की समाज में आपात आवश्यकता है।

सन्दर्भ

चेन्निथला, रमेश (2018) 'डेम डिस्क्लोजर ऑन द केरला फ्लड', *द हिन्दू*, नई दिल्ली।

जी.ओ.आई. (2016) 'डिजास्टर इन चेन्नई कास्ड बाय टोरेन्शल रेनफाल एण्ड कान्सीक्वेन्ट फ्लडिंग', *198वीं रिपोर्ट ऑफ राज्यसभा*, इंडिया।

जी.ओ.आई. (2017ए) *अलाइड ऑर्गेनाइजेशन्स डिजास्टर मेनेजमेन्ट डिवीजन*, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इंडिया।

जी.ओ.आई. (2017बी) *रिपोर्ट ऑफ द कन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन स्कीम फॉर फ्लड कंट्रोल एंड फोरकास्टिंग*, मिनिस्ट्री ऑफ वॉटर रिसोर्सेस, रिवर डेवलपमेन्ट एण्ड गंगा रेजुवनेशन, नई दिल्ली।

हनीफ माहिर (2018) 'केरला फ्लड्स केटेगराइज्ड एंड अ केटास्ट्रीफी : सेन्टर टेल्स एच.सी', *टाइम्स ऑफ इंडिया*, नई दिल्ली।

इंडिया टुडे वेब डेस्क (2015) 'चेन्नई रेन्स : मेट साउन्ड्स अलर्ट, मोर डाउनपोर्स इन नेक्स्ट 48 अवर्स', *इंडिया टुडे*, नई दिल्ली।

कृष्णाकुमार, आर. (2011) 'केरला एंड तमिलनाडु ऑफ हार्नस वन्स अगेन ओवर द 116 इयर ओल्ड मुल्लापेरियार डेम', *फ्रन्टलाइन मेगजीन*, इंडिया, 28(26).

मिश्र, अनुपम (2002) *आज भी खारे हैं तालाब*, गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान, दिल्ली।

नरसिह्मन, बालाजी एवं एस. मूर्ति भल्लामुदी (2016) *चेन्नई फ्लड्स 2015 : अ रेपिड असेसमेन्ट इंटरडिसिप्लीनरी सेंटर फॉर वॉटर रिसर्च*, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस, बैंगलोर, इंडिया।

पद्मनाभन, विष्णु (2018) 'केरला फ्लड्स हाइलाइटेड इंडियास पुअर डेम मेनेजमेन्ट', *लाइव मिन्ट*, दिल्ली।

पी.टी.आई. (2015) 'चेन्नई हाइलाइट्स फ्लड्स ऑर अ मेन मेड अर्बन डिजास्टर', *बिजनेस स्टैन्डर्ड*, नई दिल्ली।

स्टॉफ, डी.टी.ई. (2015) 'एशिया हेज फेस्ड मोर डिजास्टर्स देन एनी अदर कॉन्टीनेन्ट सिन्स 1970', *डाउन टू अर्थ*, दिल्ली, https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/ since-1970-asia-hasfaced-a-higher-number-of-disasters-than-any-other-continent-51811. देखा 19.03. 2019।

यू.एन.ओ. (2015) *द ह्यूमन कास्ट ऑफ वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स 1995-2015 : रिर्पोट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन* (यू.एन.आई. एस.डी.आर.)

उपाध्याय, हिमांशु (2018) 'केरला फ्लड्स : व्हाट टू एक्सेप्ट व्हेन नन् ऑफ द 61 डेम्स हेव एनी इमरजेन्सी प्लान?' *डाउन टू अर्थ*, दिल्ली. https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/kerala-floods-what-to-expect-when-none-of-the-61-dams-have-any-emergencyplan-61416 देखा 25.04.2019।

वेंकटेश, श्रीशन (2015) 'चेन्नई रेन्स ब्रेक मल्टीपल सेन्चुरी - लॉंग रेकॉर्ड्स', *डाउन टू अर्थ*, दिल्ली, https://www.downtoearth.org.in/news/natural-disasters/chennai-rains-breakmultiple-century-longrecords-51952 देखा 25.04.2019।

वेंकटेश, श्रीशन एवं कुट्टुप्पन, रेंजिमोन (2018) 'धिस इज व्हाय केरला फ्लड्स वर द वर्स इन अ सेन्चुरी', *डाउन टू अर्थ*, दिल्ली, https://www.downtoearth.org.in/coverage/ climatechange/this-is-why-kerala-floods-were-the-worst-in-a-century-61491 देखा 25.04.2019।

वाल्लेमैक, पास्कलाइन (2018) *नेचरल डिजास्टरर्स इन 2017 लोअर मोर्टेलिटी, हायर कॉस्ट*, यू.एस.ए.आई.डी., सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन द यूपेडिमिओलॉजी ऑफ डिजास्टर्स, सी.आर.ई.डी., बेल्जियम।

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 23-32)

अटलबिहारी वाजपेयी : भारतीय राजनीति के अजातशत्रु

अनुपमा कौशिक*

अपने छः दशक लम्बे राजनीतिक जीवन में अटलबिहारी वाजपेयी के अपने सहयोगियों और विरोधियों से मधुर सम्बन्ध रहे। इसी कारण उनके सहयोगी रहे केन्द्रीय मन्त्री राजनाथ सिंह ने उन्हें अजातशत्रु कहा था। अजातशत्रु अर्थात वह व्यक्ति जिसका कोई शत्रु न हो। राजनाथ सिंह के अनुसार अटलजी के मित्र हर राजनीतिक दल में थे क्योंकि अटलजी सर्वसम्मति की राजनीति करते थे जिसके भारतीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़े।[1]

विरोधी दलों में मित्र

अटलबिहारी वाजपेयी के सभी राजनीतिक दलो में मित्र थे। वे राजनीतिक दल भी जो भारतीय जनता पार्टी को अछूत की तरह देखते थे वे भी अटलबिहारी वाजपेयी को मित्र मानते थे। खास तौर पर दो वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से वे देश के मुद्दो पर हमेशा वार्ताएँ और विचार-विमर्श करते थे। ये थे - नरसिंहाराव एव चन्द्रशेखर।[2]

*प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन, डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
E-mail: koushikanupama@gmail.com

अटलबिहारी वाजपेयी का नरसिंहाराव के साथ खास रिश्ता था। प्रधानमन्त्री नरसिंहाराव ने अटलबिहारी वाजपेयी को भारतरत्न प्रदान किया था। राव ने वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार आयोग के विशेष सत्र में भारतीय दल का नेता बनाकर जिनेवा भेजा था। इस सत्र में पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा बनाकर भारत विरोधी प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया था जिसे वाजपेयी के नेतृत्व वाले दल ने विफल कर दिया था। 1996 के आम चुनावों में जब त्रिशंकु संसद बनी और राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा ने अटलबिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया तो नरसिंहाराव अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में वाजपेयी को एक पर्ची भेजी, जिस पर लिखा था "अब मेरे अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने का समय है।" जिस अपूर्ण कार्य की बात राव कर रहे थे वह था परमाणु परीक्षण करने का। यह प्रसंग आजीवन कांग्रेसी रहे राव और संघी वाजपेयी के आपसी सम्बन्धों की नजदीकी को दर्शाता है।[3] जब वाजपेयी सरकार के दौरान परमाणु परीक्षण हुआ तो वाजपेयी ने उसका पूरा श्रेय नरसिंहाराव को देते हुये कहा कि सारी तैयारियाँ राव के समय हो चुकी थीं और उन्हें केवल आदेश भर देना पड़ा था।[4]

वाजपेयी का गाँधी परिवार से भी अच्छा रिश्ता रहा। वाजपेयी की मृत्यु पर सोनिया गाँधी ने उन्हें एक ऊष्मावान व्यक्तित्व कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें मित्रता का गुण प्राप्त था जिसने उनके लिए हर राजनीतिक धारा और जीवन धारा में प्रशंसक और मित्र जुटा दिये थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वाजपेयी के जाने से एक रिक्तता उत्पन्न होगी और वे अन्य लोगों की तरह उनकी कमी महसूस करेंगी और उनकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करेंगी। राहुल गाँधी ने कहा कि भारत ने अपना सुपुत्र खो दिया तथा लाखों लोग उन्हें प्यार करते हैं और उनका आदर करते हैं। उन्होंने माना कि वे वाजपेयीजी की कमी महसूस करेंगे।[5] सोनिया गाँधी ने कहा कि वाजपेयी हमारे राष्ट्रीय जीवन का एक बड़ा स्तम्भ थे तथा वे जीवनपर्यन्त लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिए खड़े रहे चाहे वे सांसद रहे हों या मन्त्री रहे हों या प्रधानमन्त्री रहे हों। वे एक अद्भुत वक्ता, महान दृष्टि वाले नेता और देशभक्त थे जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि था।[6]

वाजपेयी का जवाहरलाल नेहरू से भी विशिष्ट सम्बन्ध था, हालाँकि वे अलग-अलग विचारधाराओं को मानते थे। सन् 1957 में जब वाजपेयी पहली बार सांसद बने थे तब नेहरू ने एक विदेशी अतिथि से उन्हें भविष्य के प्रधानमन्त्री कह कर मिलवाया था। हालाँकि वाजपेयी नेहरू की चीन और कश्मीर नीति की खुलकर आलोचना करते थे। नेहरू की मृत्यु पर वाजपेयी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी।[7] सत्तर के दशक में जब वाजपेयी जनता पार्टी की सरकार में विदेश मन्त्री बने तो उन्होंने देखा कि गैलरी से नेहरू की एक तस्वीर हटा दी गई है। उन्होंने स्टाफ से उस तस्वीर को वापस लगाने का निर्देश दिया। वे मानते थे कि विचारों में मतभेद से राजनीतिज्ञो के बीच गलतफहमी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। लोकतन्त्र की सफलता

के लिये आवश्यक है कि विरोधी मतों का भी सम्मान हो। उनके प्रधानमन्त्री नेहरू से मतभेद थे परन्तु उनके रिश्ते गर्मजोशी भरे थे।[8]

प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी भी वाजपेयी से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सलाह लिया करती थीं। स्वर्ण मन्दिर में सेना भेज कर आतंकवादियों को निकालने का फैसला लेने के समय इन्दिरा गाँधी ने वाजपेयी से सलाह ली थी। उस समय वाजपेयी बनारस के जिन्दल नैचरोपैथी क्लीनिक में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। उनसे बात करने के लिये इन्दिरा गाँधी ने विशेष टेलीफोन लाइन डलवाई जिससे बात किसी ओर को ना पता चले।[9] वाजपेयी के राजीव गाँधी से भी अच्छे सम्बन्ध थे। राजीव गाँधी ने वाजपेयी को 1986 में संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिनिधि मण्डल में सम्मिलित किया था जिससे वो अपनी किडनी का उपचार अमेरिका में करा सकें। राजीव गाँधी की मृत्यु के समय उन्हें याद करते हुए वाजपेयी ने कहा था कि उनके जिन्दा रहने का कारण राजीव गाँधी थे। जिन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वाजपेयी अमेरिका से इलाज करा कर ही वापस आयेंगे।[10] ये वही राजीव गाँधी थे जिन्होंने 1984 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदो के जीतने पर 'हम दो हमारे दो' का ताना वाजपेयी को दिया था।[11]

वाजपेयी को मित्र बनाना आता था। एक बार नरसिंहाराव से वाजपेयी को पता चला कि वाजपेयी की आलोचना वित्तमन्त्री मनमोहन सिंह को बुरी लगी है तो वाजपेयी ने मनमोहन से माफी माँगी और सलाह भी दी कि इस तरह की आलोचना को दिल पर नहीं लेना चाहिए। विपक्ष का तो काम ही सरकार की आलोचना करना है।[12] वाजपेयी मनमोहन सिंह के 1991-92 के आर्थिक सुधारों के प्रशंसक थे। उन्होंने कुछ आलोचना की परन्तु बाजार की नीति की प्रशंसा भी की। मनमोहन सिंह ने वाजपेयी की आलोचना का सम्मान करते हुये उन्हें आश्वासन दिया कि वे बताई गई कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। 1996 से 1998 के काल में सरकारों के गिरने के क्रम से परेशान वाजपेयी ने केन्द्र में स्थायित्व के लिये कांग्रेस सरकार के समर्थन का प्रस्ताव भेजा यदि उक्त सरकार के प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह हों तो, ये वाकया वाजपेयी के देशप्रेम और विशाल हृदय की पुष्टि करता है।[13] मनमोहन सिंह ने भी माना कि वित्तमन्त्री के रूप में उनके वाजपेयी से अच्छे सम्बन्ध बने थे। मनमोहन सिंह वाजपेयी से सलाह लिया करते थे तथा वाजपेयी और आडवाणी दोनों उदारीकरण के समर्थक थे। 1992 में जब मनमोहन बजट प्रस्तुत कर रहे थे, खाद की कीमत बड़ा मुद्दा थी परन्तु वाजपेयी ने संसद में मनमोहन का बचाव किया। एक बार जब मनमोहन सिंह को संसद में कठिन समय का सामना करना पड़ा तो वाजपेयी ने सलाह दी कि उन्हें मोटी चमड़ी बनानी होगी। चाहे उनकी कितनी भी आलोचना हो, उन्हें अपने मार्ग से हटना नहीं है।[14]

चन्द्रशेखर वाजपेयी को गुरुदेव कहते थे और वाजपेयी चन्द्रशेखर को व्यक्तिगत मित्र, योद्धा और चालाक राजनीतिज्ञ भी मानते थे।[15] वाजपेयी के अन्य दलो के मित्रों में पूर्व राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण, पूर्व प्रधानमन्त्री आई.के. गुजराल, पूर्व लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी और नेशनल कांग्रेस प्रमुख शरद पंवार सम्मिलित थे। पंवार को वाजपेयी ने आपदा

प्रबन्धन समूह का प्रमुख बनाया था।[16] वर्ष 2006 में एक बार सोमनाथ चटर्जी ने एक पत्र में, जिसमें उन पर राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगाया गया था, वाजपेयी के हस्ताक्षर देखकर स्पीकर पद से त्याग पत्र देने का मन बना लिया था। जब वाजपेयी को इस का पता चला उन्होंने चटर्जी को त्याग पत्र न देने के लिए मनाया।[17] वाजपेयी के पश्चिम बंगाल के वामपन्थी मुख्यमन्त्री ज्योति बसु से भी अच्छे सम्बन्ध थे[18] तथा वे उस समय से मित्र थे जब 1957 में वाजपेयी ने लोकसभा में प्रवेश किया था। वाजपेयी जनसंघ को सशक्त बनाने के लिये अक्सर पश्चिम बंगाल जाते थे। उस समय ज्योति बसु का दल अधिकतर प्रतिबन्धित होता था। ऐसा कहा जाता है कि वाजपेयी छुपे हुये बसु से मिलते थे। यही वो सम्बन्ध था जिसने बसु को यकीन दिलाया कि वामपन्थ वी.पी. सिंह की सरकार में शामिल हो जिसमें भाजपा भी सम्मिलित थी। दोनों नेता 1989 के कलकत्ता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मंच पर उपस्थित थे। परन्तु 1999 में अपने कलकत्ता दौरे पर वाजपेयी ने राजभवन में ज्योति बसु को फटकारा क्योंकि उन्होंने आडवाणी को अपराधी कहा था। उन्होंने बसु को समझाया कि आडवाणी उनके सम्मानित सहयोगी हैं और उन पर आक्रमण करना वाजपेयी पर आक्रमण करना है।[19]

वाजपेयी के राष्ट्रपति आर. वेंकटरमण से भी अच्छे सम्बन्ध थे। परमाणु परीक्षण करने पर उन्होंने वाजपेयी को बधाई दी और कहा कि वाजपेयी ने भारत की प्रतिष्ठा को विश्व में बढ़ाया और भारत की तकनीकी श्रेष्ठता को विकासशील देशों के सामने प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री तो कई बनते हैं, वे आते-जाते रहते हैं, उन्हें कोई याद नहीं करता पर वाजपेयी देश के इतिहास में हमेशा के लिए रेखांकित रहेंगे।[20] वेंकटरमण, वाजपेयी और चन्द्रशेखर एक साथ नई दिल्ली की सड़कों पर उतरे जब शंकराचार्य और उनके समर्थकों के साथ यू.पी.ए. की सरकार ने बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य अपने कांची मठ के माध्यम से लोककल्याण के लिये स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों की स्थापना कर रहे हैं तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए।[21]

अपने दल में साथियों के साथ मधुर सम्बन्ध

वाजपेयी श्यामाप्रसाद मुखर्जी को अपना नेता मानते थे ओर उनकी रहस्यमय मृत्यु पर अचम्भित थे।[22] उन्होंने इसके लिये नेहरू को साजिशकर्ता माना था।[23] वे श्यामाप्रसाद मुखर्जी के प्रशंसक थे ओर दीनदयाल उपाध्याय के साथ उनके सम्बन्ध मित्रतापूर्ण थे। वे उपाध्याय की मितव्ययता को पसन्द करते थे।[24] दीनदयाल उपाध्याय की राख को प्रयाग में विसर्जित करने के लिये वे नंगे पैर चले थे।[25] वाजपेयी 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बने और उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा का प्रारम्भ राष्ट्रधर्म और पांचजन्य के सम्पादन से किया। जब वे लखनऊ आये तब उनका दीनदयाल उपाध्याय से सम्पर्क हुआ। दीनदयाल उपाध्याय को वाजपेयी तुरन्त पसन्द आ गये थे। वर्ष 1950 में श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना कर रहे थे। उपाध्याय ने वाजपेयी को मुखर्जी से

मिलवाया क्योंकि वे उन्हें पार्टी में सम्मिलित करना चाहते थे। मुखर्जी भी वाजपेयी से प्रभावित हुए और उन्हें अपना सहायक बना लिया।[26]

वाजपेयी और आडवाणी का रिश्ता भारत के राजनीतिक इतिहास का निराला रिश्ता था। दोनों अच्छे दोस्त थे, राजनीतिक भागीदार और सहयोगी थे। वे एक दूसरे का सम्मान करते थे। दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति वफादार थे और हिन्दुओं को एक करना चाहते थे। उनकी रूचियाँ भी एक जैसी थीं। दोनों को साहित्य, पत्रकारिता और सिनेमा में रुचि थी। वे भारतीय जनता पार्टी में तब सम्मिलित हुए जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने श्रेष्ठतम कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दल में भेज रहा था। दोनों ने दल को शुरूआत से बनाया। वाजपेयी वरिष्ठ थे। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की 1968 में मृत्यु के बाद जनसंघ को सँभाला था। आडवाणी बाद में आये थे। दोनों ने आपातकाल के दौरान जेल में समय व्यतीत किया था। दोनो ने जनसंघ को जनता पार्टी में शामिल करने का निर्णय साथ-साथ लिया था, जिसने 1977 में कांग्रेस का हराया था। जनता सरकार में वाजपेयी विदेश मन्त्री बने और आडवाणी सूचना प्रसारण मन्त्री परन्तु जब उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी में से एक को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने जनता पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। वाजपेयी प्रथम अध्यक्ष बने और दोनों ने मिलकर पार्टी के लिए कार्य किया। वे साथी थे और उनका उदेश्य एक ही था परन्तु उसे प्राप्त करने के तरीके को लेकर उनमें मतभेद था, उनके अपने-अपने विचार और अनुयायी थे। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आयी तो दो शक्ति के केन्द्र बन गये थे परन्तु उनमें व्यक्तिगत रूप से जो विरोध था वह कभी भी लोगों के सामने नहीं आता था। आडवाणी दूसरे नम्बर पर थे और उन्होंने प्रधानमन्त्री का हमेशा सम्मान किया और पदसोपान को स्वीकार किया।[27] वाजपेयी को याद करते हुए आडवाणी ने कहा कि उनकी दोस्ती 65 वर्ष पुरानी थी। वे साथ फिल्में देखते थे, किताबें पढ़ते थे और दल का कार्य करते थे। आडवाणी ने माना कि वाजपेयी ने उन्हे बहुत कुछ सिखाया।[28]

वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से नेता भैरोसिंह शेखावत के भी करीब थे। उन्होने शेखावत की बेटी का कन्यादान भी किया था।[29] शेखावत के पोते अभिमन्यु याद करते हैं कि वाजपेयी उनके घर ठहरते थे तथा राजस्थानी घेवर और मिश्री मावा चखे बिना नहीं जाते थे। वे शेखावत के साथ राजनीति, फिल्म, परिवार, किताबें सभी पर बाते करते थे।[30] वाजपेयी का सिन्धिया परिवार से भी विशेष सम्बन्ध था। जीवाजीराव सिन्धिया ने वाजपेयी की उच्च शिक्षा के लिए 1945 में रुपये 75 प्रतिमाह का वजीफा बाँधा था जिसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। इसी छात्रवृत्ति के बल पर वाजपेयी कानपुर के डी.ए.वी. कॉलेज पढ़ने गये। वाजपेयी सिन्धिया परिवार का तथा सिन्धिया परिवार वाजपेयी का सम्मान करते थे। केवल 1984 के चुनाव में वाजपेयी और सिन्धिया आमने-सामने थे। वर्ष 2001 में जब माधवराव सिन्धिया की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हुई तो प्रधानमन्त्री वाजपेयी ने एयर फोर्स के विमान में शव के साथ वरिष्ठ मन्त्री अरुण जेटली को भेजा और सिन्धिया को राजकीय सम्मान प्रदान

किया।[31] माधवराव राजमाता सिन्धिया के पुत्र थे। राजमाता की भारतीय जनता पार्टी में अहम् भूमिका थी।

वाजपेयी के प्रमोद महाजन और उनके परिवार से गर्मजाशी भरे सम्बन्ध थे। प्रमोद महाजन की पुत्री पूनम याद करती है कि प्रमोद महाजन, वाजपेयी को 'बापजी' पुकारते थे तथा उनके सम्बन्ध पिता-पुत्र के ही थे।[32]

गठबन्धन के साथियों के साथ मधुर सम्बन्ध

राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबन्धन के उनके साथी नेता जैसे जॉर्ज फर्नांडीज, शरद पंवार, नितीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और वाइको उनके विश्वासपात्र थे। प्रकाश सिंह बादल और ओमप्रकाश चोटाला उनके साथ लम्बी वार्ताएँ करते थे। उनके प्रमुख सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा उनके बेहद करीबी थे। वाजपेयी प्रधानमन्त्री कार्यालय के सहायकों के साथ स्पष्टता एवं गर्मजोशी का व्यवहार करते थे। वे मीडिया के साथ भी बिना भेदभाव के बात करते थे।[33]

वाजपेयी और शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे एक दूसरे का सम्मान करते थे जिसके कारण दोनों दलों के सम्बन्ध मजबूत रहे। वाजपेयी प्रधानमन्त्री बनने के बाद भी ठाकरे से महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करते थे। जब वे साथ में रैली करते थे तो ठाकरे हमेशा पहले भाषण देते थे और रैली के बाद साथ में चाय पीते और गपशप करते थे। उन दोनों को हँसी-मजाक पसन्द था और दोनों कवि थे।[34]

ममता बनर्जी जो वाजपेयी मन्त्री मंडल में सहयोगी थीं, याद करती हैं कि वे अटलजी से गम्भीर विषयों के साथ ही पारिवारिक मामलों में भी सलाह कर लेती थीं। वे 2004 में मन्त्रीमंडल की सदस्य नहीं बनना चाहती थीं पर वाजपेयी ने उन्हें मनाया। वाजपेयी ने ममता के घर पहुँच कर मालपुआ भी खाया था।[35]

सहायक

वाजपेयी के समीप कुछ लोग थे जिन पर वे निर्भर रहते थे। उनमें प्रमोद महाजन प्रमुख थे, जो पूरे समय प्रधानमन्त्री कार्यालय में मौजूद रहते थे। उनका पद राजनीतिक सलाहकार का था परन्तु वे वाजपेयी के प्रमुख सहायक के रूप में कार्य करते थे। वे मीडिया को भी सँभालते थे, पार्टी के सांसदो को भी और सहयोगियों को भी। अटलजी के व्यक्तिगत सचिव और आइ.ए.एस. अधिकारी शक्ति सिन्हा 1996 से अटलजी के साथ थे, उनके देखे बिना कोई फाइल अटलजी तक नहीं पहुचती थी। मेजर जसवन्त सिंह भी अटलजी के विश्वासपात्र थे। ब्रजेश मिश्र भारत के विदेश नीति पर सबसे प्रभावशाली आवाज थे और प्रधानमन्त्री कार्यालय के प्रमुख थे। वाजपेयी जियो और जीने दो में विश्वास करते थे। उनके लिए किसी को भी ना कहना मुश्किल था। इसकी वजह से उनका परिवार परेशान रहता था। वाजपेयी की गोद ली बेटी नमिता और उनके पति रंजन भट्टाचार्य वाजपेयी के साथ रहते थे। वे

लोग उन्हें बापजी पुकारते थे। वाजपेयी का कार्यालय अन्य प्रधानमन्त्रियों के दरबार से अलग था। जो लोग ये गलतफहमी पाल लेते थे कि वे वाजपेयी के करीबी हैं और उसका फायदा उठाना चाहते थे वे स्वयं को वाजपेयी से दूर पाते थे। हालाँकि सम्मिलन की राजनीति के कारण कुछ चीजों को वाजपेयी न चाहते हुए भी बर्दाश्त करते थे। जो लोग वाजपेयी से पुरानी जान-पहचान रखते थे वे स्वयं ही दूरी बना कर रखते थे। वाजपेयी के सहयोगी उनके परिवार की तरह थे वहाँ दोस्ती और परिवार की गर्माहट थी।[36]

निष्कर्ष

वाजपेयी जनता से जुड़ना जानते थे, साथ ही वे सहयोगियों और विपक्षियों से भी जुड़ना जानते थे। उन्होंने अमेरिका, रूस, चीन, मलेशिया, सिंगापुर और कम्बोड़िया की यात्राओं द्वारा भारत को पुन: इन देशों से नजदीकी से जोड़ा। उनकी भारत को यही देन है उन्होंने भारत को अन्दर और बाहर दोनों तरफ से जोड़ा और शत्रुओं को भी मित्र बनाया।[37]

सन्दर्भ

1. 'अटलबिहारी वाजपेयी : दी टू अजातशत्रु आफ इंडियन पॉलिटिक्स इज नो मोर, लीडर्स पे ट्रिब्यूट' (2018), न्यूज-18, https://www.news18.com/news/india/atal-bihari-vajpayee-the-true-ajatshatru-of-indian-politics-is-no-more-leaders-pay-tributes-1847085.html, देखा 06. 02.2019
2. प्रभु चावला (2018) 'दी वाजपेयी इयर्स', इंडिया टुडे, https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20151221-india-today-40th-anniversary-prabhu-chawla-the-vajpayee-years-820992-2015-12-10, देखा 13.12.19
3. अशोक टंडन (2019) 'दी टेस्ट आफ प्राइम मिनिस्टर', इंडियन एक्सप्रेस, https://indianexpress.com/article/opinion/columns/test-of-a-prime-minister/, देखा 5.2.19
4. रुचिर शुक्ला (2018) 'अटलबिहारी वाजपेयी: अटलजी का वो फैसला जिसने देश ही नहीं दुनिया को हिला कर रख दिया', वन इंडिया हिन्दी, https://hindi.oneindia.com/news/india/atal-bihari-vajpayee-when-take-decision-with-apj-abdul-kalam-carried-out-pokhran-nuclear-test-1998-468746.html, देखा 14.12.19
5. 'अटलबिहारी वाजपेयीज डेथ : हिज वार्म पर्सनेल्टी........', इंडिया टुडे, अगस्त 17, 2018, https://www.indiatoday.in/india/story/atal-bihari-vajpayee-last-rites-tomorrow-at-rajghat-live-updates-1315582-2018-08-16#6538, देखा 5.2.19
6. 'पोलिटिकल डिफरेन्सेज डिड नॉट स्टाप वाजपेयी फ्रॉम प्रेजिंग सोनिया और राजीव गाँधी' (2018) डीएनए, https://www.dnaindia.com/india/report-political-differences-didn-t-stop-vajpayee-from-praising-sonia-and-rajiv-gandhi-2650965, देखा 13.2.19
7. प्रभास के. दत्ता (2018) 'वाजपेयी वाज ग्रेशियस इन प्रेज, लाइकेन्ड नेहरू टू रामा आन हिज डेथ', इंडिया टुडे, https://www.indiatoday.in/atal-bihari-vajpayee/story/atal-bihari-vajpayee-jawaharlal-nehru-rama-ramayana-death-1316539-2018-08-17, देखा 6.2.19

8. 'व्हेन अटलबिहारी वाजपेयी सर्च्ड फार नेहरू' (2018) बिजनेस टुडे, https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/when-atal-bihari-vajpayee-searched-for-nehru/story/281376.html, देखा 6.2.19

9. शरद कुमार (2018) 'व्हेन इन्दिरा गाँधी गोट ए टेलिफोन लाइन लेड टू टॉक टु अटलबिहारी वाजपेयी' भास्कर न्यूज नेटवर्क, डीबी पोस्ट, https://dbpost.com/when-indira-ji-got-a-telephone-line-laid-to-talk-to-atal-bihari-vajpayee/, देखा 6.2.19

10. प्रभास के. दत्ता (2018) 'व्हेन राजीव गाँधी सेव्ड अटलबिहारी वाजपेयी लाइफ', इंडिया टुडे, https://www.indiatoday.in/india/story/rajiv-gandhi-atal-bihari-vajpayee-1319018-2018-08-20, देखा 13.2.19

11. मिलिन्द खांडेकर (2018) 'ए रिलेटिवली अननोन स्टोरी अबाउट अटलबिहारी वाजपेयी', बिजनेस वर्ल्ड, http://www.businessworld.in/article/A-Relatively-Unknown-Story-About-Atal-Bihari-Vajpayee/17-08-2018-158048/, देखा 13.2.19

12. 'व्हेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटलबिहारी वाजपेयी अपोलोजाइज्ड टू मनमोहन सिंह' (2018) टाइम्स नाउ न्यूज डाट कॉम, https://www.timesnownews.com/india/article/atal-bihari-vajpayee-when-former-prime-minister-apologised-to-manmohan-singh-aiims-bjp-congress/239552, देखा 13.219

13. प्रभास के. दत्ता (2018) 'व्हेन अटलबिहारी वाजपेयी ऑफर्ड आउटसाइड सपोर्ट टू ए कांग्रेस गर्वनमेन्ट', इंडिया टुडे, https://www.indiatoday.in/india/story/atal-bihari-vajpayee-congress-government-1316208-2018-08-16, देखा 13.2.19

14. सुदासिनी हैदर (2018) 'अटलबिहारी वाजपेयी शेयर्ड नेहरूज विजन ऑफ इंडिया : मनमोहन सिंह', दी हिन्दु, https://www.thehindu.com/news/national/manmohan-singh-on-atal-bihari-vajpayee-he-shared-nehrus-vision-of-india/article24710747.ece, देखा 13.2.19

15. ओंकार सिंह (2001) 'चन्द्रशेखर दू बी क्रिमेटेड विथ फूल स्टेट ऑनर्स', रिडिफ डाट कॉम, https://www.rediff.com/news/2007/jul/08shekhar4.htm, देखा 13.2.19

16. अशोक टंडन (2014) 'अटलबिहारी वाजपेयी नेवर अलाउड डिग्निटी ऑफ पीएमओ टू बी अंडरमाइन्ड', दी इकोनामिक टाइम्स, 14.4.2014, https://economictimes.indiatimes.com/opinion/et-commentary/atal-bihari-vajpayee-never-allowed-dignity-of-pmo-to-be-undermined/articleshow/33713976.cms, देखा 5.2.19

17. हिमांशु मिश्रा (2018) 'तब अटल ने हाथ थामकर सोमनाथ को इस्तीफा देने से रोका, भावुक हो गये थे चटर्जी', अमर उजाला, https://www.amarujala.com/india-news/atal-bihari-vajpayee-prevented-somnath-chatterjee-for-resigning-from-lok-sabha-speaker-post, देखा 13.219

18. अशोक टंडन (2014) 'अटलबिहारी वाजपेयी नेवर अलाउड डिग्निटी ऑफ पीएमओ टू बी अंडरमाइन्ड', दी इकोनोमिक टाइम्स, 14.4.2014, https://economictimes.indiatimes.com/opinion/et-commentary/atal-bihari-vajpayee-never-allowed-dignity-of-pmo-to-be-undermined/articleshow/33713976.cms, देखा 5.2.19

19. रबी बनर्जी (2018) 'व्हेन वाजपेयी स्कोल्डेड ज्योति बसु इन कोलकत्ता, दी वीक, https://www.theweek.in/news/india/2018/08/17/when-vajpayee-scolded-jyoti-basu-in-kolkata.html, देखा 14.2.19

20. 'आर वेंकटरमण प्रेजेज वाजपेयी फॉर एन-टेस्ट' (1998) रिडिफ ऑन दी नेट, https://www.rediff.com/news/1998/may/26bomb2.htm, देखा 14.2.19

21. 'वाजपेयी वेंकटरमण जॉइन्स धरना इन डेल्ही' (2004) रिडिफ डाट कॉम, https://www.rediff.com/news/2004/nov/22bjp.htm, देखा 14.2.19
22. 'फॉर्मर पीएम एन्ड बीजेपी स्टालवार्ट अटलबिहारी वाजपेयी टर्न 93' (2017) बिजनेस स्टेन्डर्ड, https://www.business-standard.com/article/news-ani/former-pm-and-bjp-stalwart-atal-bihari-vajpayee-turns-93-117122500058_1.html, देखा 14.2.19
23. कृति पांडे (2018) 'व्हेन वाजपेयी एक्यूज्ड नेहरू एण्ड जम्मू कश्मीर गर्वनमेन्ट आफ 'कान्सपिरेसी' देट 'किल्ड' श्यामाप्रसाद मुखर्जी', टाइम्स नाऊ न्यूज डाट कॉम, https://www.timesnownews.com/india/article/when-vajpayee-accused-nehru-and-jammu-kashmir-government-of-conspiracy-that-killed-shyama-prasad-mookerjee-mukherjee-jana-jan-sangh-article/270247, देखा 14.2.19
24. एरम आगा (2018) 'वाजपेयी वाज मुखर्जीज एडमायरर, दीनदयालज फ्रेन्ड, बट फॉलोड नेहरू : जर्नलिस्ट-फ्रेन्ड आर.वी. पंडित', न्यूज 18, https://www.news18.com/news/india/vajpayee-was-mookerjees-admirer-deendayals-friend-but-followed-nehru-former-journalist-rv-pandit-1849441.html, देखा 14.2.19
25. अविनाश राय (2018) 'अद्भुत संयोग : पचास साल पहले अटलजी जब दीनदयाल उपाध्याय का अस्थि कलश लेकर आये थे प्रयाग', वन इंडिया हिन्दी, https://hindi.oneindia.com/news/uttar-pradesh/before-50-years-ago-when-atal-bihari-vajpayee-came-allahabd-to-take-bones-of-deen-dayal-upadhyay-469813.html, देखा 14.2.19
26. शमीम जॉय (2018) 'दी मैनी फेसेस ऑफ अटलबिहारी वाजपेयी', डेक्कन हेराल्ड, https://www.deccanherald.com/national/many-faces-atal-bihari-687878.html, देखा 14.2.19
27. प्रशांत झा (2018) 'फ्रेन्ड्स एण्ड एडवर्सरीज : एल.के. आडवाणी एण्ड अटलबिहारी वाजपेयी शेयर्ड ए रिमार्केबल पार्टनरशिप ऑफ ओवर सेवन डिकेड्स', हिन्दुस्तान टाइम्स, https://www.hindustantimes.com/india-news/friends-and-adversaries-lk-advani-and-atal-bihari-vajpayee-shared-a-remarkable-partnership-of-over-7-decades/story-SesaGfi2KUZlT8M, देखा 14.2.19
28. इंडिया टुडे वेब डेस्क (2018) 'अटलबिहारी वाजपेयी टॉट एण्ड गेव मी अ लॉट : आडवाणी एट आल पार्टी प्रेयर मीट', इंडिया टुडे, https://www.indiatoday.in/india/story/atal-bihari-vajpayee-taught-and-gave-me-a-lot-advani-at-all-party-prayer-meet-1319300-2018-08-20, देखा 14.2.19
29. अनिल देव (2018) 'इस दोस्त की बेटी का कन्यादान कर मिला था कुँवारे वाजपेयी को पिता होने का सुख', पंजाब केसरी, https://www.punjabkesari.in/national/news/rajasthan-bjp-bhairon-singh-shekhawat-atal-bihari-vajpayee-857382, देखा 14.2.19
30. तवीनाह अंजुम (2018) 'मिश्री मावा, घेवर वर वाजपेयी फेव स्वीट्स', डेक्कन हेराल्ड, https://www.deccanherald.com/national/jaipurs-mishri-mawa-ghevar-688038.html, देखा 14.2.19
31. दीपक तिवारी (2018) 'व्हाय अटलबिहारी वाजपेयी नेवर स्पोक अगेन्स्ट सिन्धियाज ऑफ ग्वालियर', दी वीक, https://www.theweek.in/news/india/2018/08/17/why-atal-bihari-vajpayee-never-spoke-against-scindias-gwalior.html, देखा 19.2.19
32. कृतिका वेध (2018) 'पूनम महाजन शेयर्स एन इमोशनल पोस्ट, रिमेम्बर्स अटलबिहारी वाजपेयी एण्ड प्रमोद महाजन', इंडिया, https://www.india.com/buzz/poonam-mahajan-remembers-atal-bihari-vajpayee-and-pramod-mahajan-shares-an-emotional-picture-check-3232253/, देखा 19.2.19

33. अशोक टण्डन (2014) 'अटलबिहारी वाजपेयी नेवर अलाउड डिग्निटी ऑफ पीएमओ टू बी अंडरमाइंड', दी इकोनोमिक टाइम्स, https://economictimes.indiatimes.com/opinion/et-commentary/atal-bihari-vajpayee-never-allowed-dignity-of-pmo-to-be-undermined/articleshow/33713976.cms, देखा 5.2.19

34. 'बीजेपी-शिवसेना अलाइन्स बेनेफिटेड फ्रॉम अटलबिहारी वाजपेयी- बाल ठाकरे बॉन्डिंग' (2018) दी इण्डियन एक्सप्रेस, http://www.newindianexpress.com/nation/2018/aug/16/bjp-shiv-sena-alliance-benefitted-from-atal-bihari-vajpayee-bal-thackeray-bonding-1858712.html, देखा 19.2.19

35. रोमिला दत्ता (2018) 'व्हाय ममता बनर्जी थिंक्स शी वाज मोर क्लोज टू अटलबिहारी वाजपेयी देन मैनी इन बीजेपी', डेली, https://www.dailyo.in/politics/mamata-banerjee-atal-bihari-vajpayee-manmohan-singh-nda-bjp/story/1/26201.html, देखा 13.2.19

36. वीर सिंघवी (2018) 'दी टेस्ट विथ वीर सिंघवी: अटलबिहारी वाजपेयी वाज पीएम बाय डे, ग्रैण्ड डैड बाय नाइट', हिन्दुस्तान टाइम्स, https://www.hindustantimes.com/more-lifestyle/the-taste-with-vir-sanghvi-atal-bihari-vajpayee-was-pm-by-day-grandad-by-night/story-ItwnMwEmBhhFH48nWd4lpJ.html, देखा 14.2.19

37. प्रभु चावला (2018) 'दी वाजपेयी इयर्स', इंडिया टुडे, https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20151221-india-today-40th-anniversary-prabhu-chawla-the-vajpayee-years-820992-2015-12-10, देखा 13.2.19

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 33-52)

बाँस : बस्तर क्षेत्र में जनजातियों के लिए एक पवित्र संसाधन

बिन्दु साहू* एवं डी.वी. प्रसाद†

बाँस एक प्राकृतिक संसाधन है, जो वनों पर निर्भर जनजातीय आबाद के लिए ग्रामीणों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका बहुमुखी उपयोग न केवल आजीविका के उद्देश्य के लिए किया जाता है, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों के लिए भी है। बाँस एवं उसके उप-उत्पादों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जीवनचक्र अनुष्ठानों, वार्षिक अनुष्ठानों एवं प्रथम फल समारोहों के उत्सवों के साथ प्राकृतिक एवं कुलदेवताओं के रूप में पूजन किया जाता है। दैनन्दिन में कार्यात्मक उपकरण, जैसे - शिकार एवं मछली पकड़ने का जाल, कृषि उपकरण, संगीत वाद्ययन्त्र और अन्य घरेलू सामानों के रूप में प्रयोग करते हैं। इस प्रकार, जनजाति एक पवित्र और जीवित प्राकृतिक संसाधन के रूप में बाँस के साथ सहजीवी सम्बन्ध बनाये हुए है। बस्तर के दंडकारण्य वन क्षेत्र में बाँस की कई प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। जिसमें डोंगर बाँस बस्तर में धुरवा, बाइसन हॉर्न माड़िया, अबुझमाड़िया, मुरिया, दोरला, गदबा और हल्बा जनजातियों के जीवन में मुख्य भूमिका निभा रहा है। गाँव के देवता, जैसे - बैरक लाठ, चिरनी काड़ी, धनुष, सूपा इत्यादि डोंगर बाँस से ही बनाये जाते हैं, और लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, दीयारी, हरियाली, बीज पुटनी, मेला, मड़ई और त्यौहारों के समय पूजा-पाठ भी करते हैं। जनजातीय जीवन में बाँस के महत्व को ध्यान में रखते हुए

*शोधार्थी
†सहायक प्राध्यापक, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.).
E-mail: dvprasada@gmail.com

बाँस : बस्तर क्षेत्र में जनजातियों के लिए एक पवित्र संसाधन

प्रस्तुत शोधपत्र में बस्तर क्षेत्र के जनजातीय समुदायों के जीवन में बाँस के सहजीवी सम्बन्ध को समझने का प्रयास किया गया है। अपने सामाजिक-सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक महत्व के अध्ययन के अलावा, इस बात पर प्रकाश डाला है कि बाँस कैसे जनजातीय आजीविका के अभाव एवं अस्तित्व के सन्दर्भ में प्रतिस्थापित कर रहा है। वर्तमान अध्ययन के लिए चन्द्रगिरी, छिन्दवाड़ा, बड़े किलेपाल, मंगलपुर, चितापुर, मधोता इत्यादि गाँवों का चयन बाँस की विभिन्न किस्मों की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। तथ्य संकलन के लिए मानवशास्त्रीय पद्धति, जैसे - अवलोकन, प्रश्नावली, प्रमुख सूचना प्रदाता साक्षात्कार, केन्द्रित सामूहिक चर्चा का प्रयोग किया गया है।

परिचय

बाँस को सीमान्त एवं निम्नीकृत भूमि, ऊँचे मैदानों, नदी के किनारों, बाँधों इत्यादि पर जल्दी से उगाया जा सकता है। यह अधिकांश जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी के प्रकारों के अनुकूल होता है, जो मिट्टी को स्थिर करने का कार्य करता है। चीन के बाद बाँस के भंडार के मामले में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह लगभग 125 स्वदेशी, 11 विदेशी और 23 प्रजातियों से सम्बन्धित है (भारतीय वन सर्वेक्षण, 2011)। यह कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में पायी जाती है, और 9.57 मिलियन हेक्टेयर (सोडरस्टॉर्म एवं एलिस, 1988) में फैले वन क्षेत्र के 12.8 प्रतिशत हिस्से को आवरण करता है। देश का उत्तर पूर्वी भाग देश का सबसे बड़ा बाँस उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद पश्चिमी घाट, छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं।

बाँस को हरा सोना या निर्धन व्यक्ति की लकड़ी के रूप में जाना जाता है। इसका आवास, बाड़ी, ईन्धन, संगीत वाद्ययन्त्र, कृषि उपकरण, शिकार एवं मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके नये अंकुर को ताजा कटे हुए या सूखे में सब्जी या अचार के रूप में पारम्परिक व्यंजन बनते हैं। इसके अलावा इसका लुगदी तथा कागज, आवास निर्माण तथा इंजीनियरिंग सामग्री, हस्तशिल्प और औद्योगिक कच्चे माल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसकी बहुमुखी प्रकृति और बहुमुखी उपयोग के कारण, भारत में बाँस जनजातीय समुदायों के लिए अतिरिक्त आय एवं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सहाय (2000) के अध्ययन ने भीलों के समूह, नृत्य, संस्कारों व अनुष्ठानों के उत्सव, मनोरंजन इत्यादि में बाँस से बनी बाँसुरी के महत्व पर प्रकाश डाला। सिवाकोटी (2011) ने छोटा नागपुर क्षेत्र की सन्थाल जनजाति के जीवनचक्र अनुष्ठानों में बाँस की पवित्रता पर भी प्रकाश डाला। नवजात शिशु को बाँस से निर्मित गोफन में सुलाने की प्रथा है। इससे यह माना जाता है कि यह नवजात शिशु को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता है। इसी तरह की प्रथा बस्तर क्षेत्र की जनजातियों में भी व्यापक रूप से प्रचलित है। बाँस के सामाजिक-आर्थिक महत्व पर लोंगशिबेनी (2014) के अध्ययन ने नागा समाज के जीवनचक्र अनुष्ठानों में बाँस के महत्व पर प्रकाश डाला, जो बाँस के चाकू से गर्भनाल को काटने से

लेकर बाँस से बनी चटाई मृत शरीर को लपेटने तक की प्रथा होती है। इसके अलावा वैकल्पिक आजीविका प्राप्त करने में बाँस की उपयोगितावादी प्रकृति पर भी जोर दिया है, इसलिये यह उनके सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा बन गया। बस्तर की जनजातियाँ खेतों में बुवाई के पूर्व बीज की रस्म करते हैं, जो भोजली के रूप में लोकप्रिय है। जिसे माटी पुजारी एवं विवाहित जोड़े द्वारा विशेष रूप से निर्मित बाँस की छोटी टोकरियों में धान, मंडिया, उड़द, सरसों, मक्का, कोदो, तिल इत्यादि के बीज उगाये जाते हैं (जगदलपुरी, 2007)। इसी प्रकार कमार जनजाति के बीच वैष्णव (2017) द्वारा किए गए अध्ययन, साहू एवं सरदार (2015) बाइसन हॉर्न माड़िया के बीच, उत्तर-पूर्व क्षेत्र की जनजातियों में भराली (2020), कार्बी जनजातियों पर सिंह एवं तिमुंग (2015) इत्यादि ने बाँस के महत्व पर प्रकाश डाला। गोवरी एवं सक्सेना (2003) और मोक्तन (2007) के समाधान में ग्राम सृजन बाँस के विकास का प्रयास किया गया।

छत्तीसगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में जनजाति प्रमुख राज्यों में से एक है, जो 2000 में वर्तमान मध्य प्रदेश से अलग होकर 1,35,194 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ बना है। इसमें 44 प्रतिशत वन का आवरण शामिल है, जो भारत के कुल वन आवरण का 12 प्रतिशत है। इसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र के 19.02 प्रतिशत के साथ 1.137 मिलियन हेक्टेयर बाँस वाला क्षेत्र है। राज्य को मौटे तौर पर तीन भू-जलवायु क्षेत्रों यानी मध्य, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। रायपुर, बिलासपुर, जाँजगीर-चाँपा, कबीरधाम, राजनान्दगाँव, दुर्ग, धमतरी और महासमुन्द जैसे जिलों को आवरण करने वाला मध्य क्षेत्र है। उत्तरी क्षेत्र में कोरिया, सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ और कोरबा शामिल हैं, जो पहाड़ी और घने जंगलों से आच्छादित हैं। दक्षिणी वन क्षेत्र में समृद्ध हैं, और यह क्षेत्र जनजातीय समुदायों का निवास है। इस क्षेत्र के जिले बस्तर, कांकेर एवं दन्तेवाड़ा हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है, जो मुख्य रूप से जनजाति समुदायों का रहवासी क्षेत्र है, जिसमें धुरवा, बाइसन हॉर्न माडिया, हल्बा, भतरा, गदबा, दोरला, अबुझमाड़िया एवं मुरिया महत्वपूर्ण हैं। वे मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं, और उसके बाद वन उपज का संग्रह, पशुपालन व हस्तशिल्प का कार्य करते हैं। हालांकि, बाँस छत्तीसगढ़ के लगभग समस्त जिलों में पाया जाता है। बस्तर में 3,100 वर्ग किलोमीटर बाँस के भंडार हैं जिसमें 31 प्रतिशत बाँस के जंगल हैं (नागरिया एवं पुरी,1997)। बस्तर के जनजातीय समुदायों की आजीविका मुख्य रूप से बाँस के प्रयोग के साथ-साथ स्वयं के पारम्परिक ज्ञान के माध्यम से वन उपज के संग्रह से प्रभावित होती है। बाँस के महत्व के कारण, जीवनचक्र अनुष्ठानों, त्यौहारों, मेलों और वार्षिक अनुष्ठानों में प्रयोग करते हुए पीढ़ियों से एक सहजीवी सम्बन्ध विकसित किया है। यहाँ बैरक लाठ, चिरनी काड़ी, धनुष, सूपा जैसे गाँव के देवता डोगर बाँस से बनाये जाते हैं। इन्हें लक्ष्मी जगार, तीजा जगार, दीयारी, बीज पुटनी, मेला, मड़ई और त्यौहार के समय पवित्र माना जाता है, जैसे - बाँस संसाधनों के साथ सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं के बीच अन्तर्सम्बन्ध मौजूद है, इसलिये इसे बस्तर क्षेत्र की जनजातियों के लिए पवित्र संसाधन माना जाता है।

उद्देश्य

प्रस्तुत पत्र बस्तर क्षेत्र के जनजातीय समुदायों के जीवन में बाँस के सहजीवी सम्बन्ध को समझने का प्रयास करता है। इसके अलावा, बस्तर की जनजातियों द्वारा बाँस के प्रयोग में शामिल सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने का प्रयास किया गया है। इस पत्र में लोक कथा, डोंगर बाँस के चमत्कारों से जुड़ी मान्यताओं के माध्यम से उनके समाज में बाँस की भूमिका को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

बस्तर छत्तीसगढ़ का एक छोटा-सा जिला है। सन् 2011 जनगणना के अनुसार बस्तर की कुल जनसंख्या 14,13,199 है। जिसमें पुरुषों की संख्या 6,98,487 (49.4 प्रतिशत) एवं महिलाओं की संख्या 7,14,712 (50.5 प्रतिशत) है। बस्तर की पाँच जनजातियों जैसे अबुझमाड़िया, दोरला, मुरिया, धुरवा एवं बाइसन हॉर्न माड़िया को गोंड की उपशाखा मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ धाकड़, पनारा, पंका, लोहार, माहरा, घढ़वा, कलार, सुंड़ी, कुम्हार, राउत इत्यादि निवास करते हैं।

तालिका 1

2011 जनगणना के अनुसार बस्तर की कुल जनसंख्या का विवरण

जनसंख्या	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत
14,13,199	6,98,487	49.4	7,14,712	50.5

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र बस्तर है, क्योंकि बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में बाँस देखने को मिलता है, और उन बाँसों को भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। यह बस्तर की समस्त जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके साथ इनमें मौखिक रूप से बाँस से सम्बन्धित लोककथाएँ एवं लोकमान्यताएँ भी प्रचलित हैं। प्रस्तुत शोध में 12 प्रकार के बाँसों की व्याख्या की गयी है और उन बाँसों का भिन्न-भिन्न प्रयोग देखे गये हैं, इसलिये वर्तमान अध्ययन के लिए बस्तर के छिन्दावाड़ा, मंगलपुर, चन्द्रगिरी, चितापुर, बड़े किलेपाल, मधोता इत्यादि गाँवों का चयन किया गया है। इसके साथ 2011 जनगणना के अनुसार गाँवों की जनसंख्या का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जनजाति व अन्य जातियों की जनसंख्या और पुरुष तथा महिला जनसंख्या का विवरण प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा गाँवों के जनजातियों और अन्य जातियों की संख्या को भी भिन्न-भिन्न प्रदर्शित किया है, जो इस प्रकार हैं -

तालिका 2
2011 जनसंख्या के अनुसार छिन्दावाड़ा गाँव की जनसंख्या

समुदाय	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
जनजाति	1,709	38.9	1,724	39.3	3,433	78.2
अन्य जातियाँ	453	10.3	499	11.3	952	21.7
कुल	2,192	49.3	2,223	50.6	4,385	99.9

तालिका 2 के अनुसार छिन्दावाड़ा गाँव की कुल जनसंख्या 4,385 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,162 (49.3 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 2,223 (50.6 प्रतिशत) है। इसके साथ इस गाँव की जनजातियों की जनसंख्या 3,433 (78.2 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,709 (38.9 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 1,724 (39.3 प्रतिशत) है, और अन्य जातियों की जनसंख्या 952 (21.7 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 453 (10.3 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 499 (11.3 प्रतिशत) है।

तालिका 3
2011 जनसंख्या के अनुसार मंगलपुर गाँव की जनसंख्या

समुदाय	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
जनजाति	518	34.9	534	35.9	1,052	70.8
अन्य जातियाँ	212	14.2	220	14.8	432	29.1
कुल	730	49.1	754	50.8	1,484	99.9

तालिका 3 के अनुसार मंगलपुर गाँव की कुल जनसंख्या 1,484 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 730 (49.1 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 754 (50.8 प्रतिशत) है। इसके साथ इस गाँव की जनजातियों की जनसंख्या 1,052 (70.8 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 518 (34.9 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 534 (35.9 प्रतिशत) है, और अन्य जातियों की जनसंख्या 952 (35.9 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 212 (14.2 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 220 (14.8 प्रतिशत) है। दोनों गाँवों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है।

तालिका 4
2011 जनसंख्या के अनुसार चन्द्रगिरी गाँव की जनसंख्या

समुदाय	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
जनजाति	823	42.0	797	40.7	1,620	82.7
अन्य जातियाँ	177	9.0	160	8.1	337	17.2
कुल	1,000	51.0	957	48.9	1,957	99.9

तालिका 4 के अनुसार चन्द्रगिरी गाँव की कुल जनसंख्या 1,957 है, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 1,000 (51.0 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 957 (48.9 प्रतिशत) है।

इसके साथ इस गाँव में जनजातियों की जनसंख्या 1,620 (82.7 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 823 (42.0 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 797 (40.7 प्रतिशत) है, और अन्य जातियों की जनसंख्या 337 (17.2 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 177 (9.0 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 160 (8.1 प्रतिशत) है। यहाँ पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं की तुलना में ज्यादा है।

तालिका 5

2011 जनसंख्या के अनुसार चितापुर गाँव की जनसंख्या

समुदाय	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
जनजाति	1,520	46.5	1,691	51.7	3,211	98.2
अन्य जातियाँ	27	0.8	29	0.8	56	1.7
कुल	1,547	47.3	1,720	52.6	3,267	99.9

तालिका 5 के अनुसार चितापुर गाँव की कुल जनसंख्या 3,267 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,547 (47.3 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 1,720 (52.6 प्रतिशत) है। इसके साथ इस गाँव में जनजातियों की जनसंख्या 3,211 (98.2 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,520 (46.5 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 1,691 (51.7 प्रतिशत) है, और अन्य जातियों की जनसंख्या 56 (1.7 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 27 (0.8 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 29 (0.8 प्रतिशत) है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है।

तालिका 6

2011 जनसंख्या के अनुसार बड़े किलेपाल गाँव की जनसंख्या

समुदाय	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
जनजाति	3,373	43.6	3,549	45.9	6,922	89.5
अन्य जातियाँ	371	4.8	435	5.6	806	10.4
कुल	3,744	48.4	3,984	51.5	7,728	99.9

तालिका 6 के अनुसार बड़े किलेपाल गाँव की कुल जनसंख्या 7,728 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 3,744 (48.4 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 3,984 (51.5 प्रतिशत) है। इसके साथ इस गाँव में जनजातियों की जनसंख्या 6,922 (89.5 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 3,744 (48.4 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 3,984 (51.5 प्रतिशत) है, और अन्य जातियों की जनसंख्या 806 (10.4 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 371 (4.8 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 435 (5.6 प्रतिशत) है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा है।

तालिका 7
2011 जनसंख्या के अनुसार मधोता गाँव की जनसंख्या

समुदाय	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
जनजाति	1,659	38.6	1,713	39.9	3,372	78.5
अन्य जातियाँ	479	11.1	442	10.2	921	21.4
कुल	2,138	49.8	2,155	50.1	4,293	99.9

तालिका 7 के अनुसार मधोता गाँव की कुल जनसंख्या 4,293 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 2,138 (49.8 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 2,155 (50.1 प्रतिशत) है। इसके साथ इस गाँव में जनजातियों की जनसंख्या 3,372 (78.5 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1,659 (38.6 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 1,713 (39.9 प्रतिशत है, और अन्य जातियों की जनसंख्या 921 (21.4 प्रतिशत) है, जिसमें पुरुषों की संख्या 479 (11.1 प्रतिशत) और महिलाओं की संख्या 442 (10.2 प्रतिशत) है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है।

शोध प्रविधि

प्रायोगिक अध्ययन में उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन पद्धति के आधार पर गाँवों का चयन किया गया है। इसके लिए गहन मानवशास्त्रीय शोध कार्य के माध्यम से प्राथमिक तथ्य एकत्र किये गये थे। शोध अध्ययन के एक भाग के रूप में शोधकर्ता गाँव में रहा था, और उनकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, विशेष रूप से जीवनचक्र, वार्षिक अनुष्ठानों, जातराओं और गाँव के त्यौहारों में भाग लिया था। तथ्य संग्रह के लिए मानवशास्त्रीय अनुसन्धान विधियों जैसे - अवलोकन, प्रश्नावली और साक्षात्कार का प्रयोग किया गया था। सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से शोधकर्ता को उन लोगों तक पहुँचने में सहायता मिली है, जो समूह चर्चा में कम रुचि रखते हैं। अवलोकन पद्धति द्वारा बाँस संसाधनों के प्रबन्धन, देवताओं की पूजा और प्रसन्न करने में औपचारिक गतिविधियाँ को समझना सम्भव हुआ। जनजातियों के साथ अनौपचारिक चर्चा में शोधकर्ता को अवलोकन के साथ-साथ उनकी भौतिक संस्कृति, कुलदेवता, वस्तुओं, बाँस की धार्मिक पूजा इत्यादि को समझने में सक्षम बनाया। स्थानीय समुदायों के आख्यान और जीवन इतिहास बाँस के सम्बन्ध में प्रथागत प्रथाओं, विश्वासों, अवधारणाओं और सम्बन्धित वर्जनाओं की अन्तर्दृष्टि को प्रकट करता है। वृद्धजनों के साथ चर्चा ने पारम्परिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से संकट की स्थितियों से निपटने में उनके अनुभवों का खुलासा हुआ। केन्द्रित सामूहिक चर्चा जनजातियों के दैनिक जीवन में बाँस की सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने का मार्ग प्रशस्त करती है।

बस्तर में बाँस की महत्ता

बस्तर में बाँस की तीन अवस्थाएँ देखने को मिलती हैं। सर्वप्रथम जब बाँस अंकुरित होता है तो उस अंकुरित बाँस को खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में बास्ता कहते हैं। इसके पश्चात् जब अंकुरित बाँस की एक वर्ष में वृद्धि होती है, तो उस बाँस से बाँसुरियाँ बनाते हैं, जिसका मेले एवं मड़ई के समय प्रयोग देखने को मिलता है और जब बाँस तीन वर्ष पूर्ण कर लेती है, तो उन बाँसों से आवासीय वस्तुएँ, मछली जाल, सिलक (दोना पत्तल सिलने का उपकरण), कृषि उपकरण और प्राकृतिक देवी-देवता के प्रतीक चिह्न बनाये जाते हैं (साहू, 2015)। इनके द्वारा बस्तर अंचल में नौ प्रकार के बाँसों का अवलोकन किया गया है, जिनमें घर बाँस, बरहा बाँस, पानी बाँस, डोंगर बाँस, पोडसी बाँस, रान बाँस, माल बाँस, सुन्दर कोया बाँस एवं बोंगू बाँस प्रमुख हैं। बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाँसों से आवासों का निर्माण, मछली जाल, चाप या टाटी (चटाई), छतोडी (बाँस और सियाडी पत्ते से बनी छाता) एवं फडकी (दरवाजा) बनाते हैं। हमें इस शोध में 12 प्रकार के बाँसों की सूचना प्राप्त हुई है। जिसमें जंगली बाँस, बरहा बाँस, कांडा बाँस, डोंगर बाँस, पानी बाँस, सिलिक बाँस, कोडों बाँस, बांवरी बाँस, बेन्दरी बाँस, सुन्दर कोया बाँस, बाँसुरी बाँस एवं बाले बाँस प्रमुख हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है -

जंगली बाँस

यह बाँस अधिकांश जंगल में पायी जाती है, इसलिये इसे जंगली बाँस के नाम से जाना जाता है। यह अत्यधिक मजबूत, पतली, टिकाऊ एवं तिरछा होता है और इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं। इसके ऊपरी हिस्से में काँटे निकले होते हैं, इसलिये इस बाँस से सर्वाधिक सिलक, खाकबगोड़ा, अगरबत्ती और झाड़ू बनाते हैं, जो उनके आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा इसका आवासों की छावनी एवं सीढ़ियों के निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। इस बाँस से गुप्तेश्वर के नदी को पार करने के लिए टाटी (चटाई) का निर्माण किया जाता है, जिसे बस्तर की हल्बी भाषा में मसनी कहा जाता है, और इससे वृद्ध एवं असहाय व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते हैं। इसके साथ बस्तर की समस्त जनजातियों में खाकबगोड़ा खेतों में प्रतिष्ठित करते हैं। इससे पक्षियों एवं जंगली जानवरों से रक्षा मिलती है।

बरहा बाँस

इस बाँस के पौधे को खेतों और आवासों की बाड़ियों में लगाते हैं। यह बाँस मोटा और काँटेदार होता है, और इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं। इस बाँस को पक्के मकानों में छतों की बल्ली, तीर, धनुष और कृषि उपकरण बनाने में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इस बाँस से आवासों की दीवार बनाई जाती हैं, और उस दीवार के ऊपर मिट्टी से छबाई कर देते हैं, क्योंकि इससे आवासों की दीवारें अधिक समय तक संरक्षित एवं सुरक्षित रहती हैं। यह

पारम्परिक विधि दोरला जनजाति के आवासों में देखने को मिलती है। इसके साथ जब किसी व्यक्ति के आवास का निर्माण किया जाता है, तब उस आवास की ढलाई के लिए बाँस को 3-4 हिस्सों में गोलाई में काटते हैं, और गोल बाँस को आधे भाग के ऊपर से बीचों-बीच चिमटे की आकृति में काटते हैं। फिर उस कटे हिस्से के अन्दर बत्ता (फारा) डालकर नारियल डोरी से बाँध देते हैं, ताकि वह लम्बे समय तक सुरक्षित और स्थिर रहे।

कांडा बाँस

यह बाँस जंगल और आवासों की बाड़ी में देखने को मिलता है। यह मोटा, चिकना और चमकदार होता है, और इसमें गाँठें दूर-दूर होती है। इसका कच्चें और पक्कें मकानों में ढ़लाई के रूप में प्रयोग करते हैं। बस्तर की भतरा, हल्बा, धुरवा, मुरिया एवं माड़िया जनजाति में बरहा और कांडा दोनों बाँसों को कच्चा या सूखा काटकर लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आवास निर्माण के समय बरहा बाँस की कमी हो जाती है, तो उसके स्थान पर कांडा बाँस का प्रयोग करते हैं।

डोंगर बाँस

यह बाँस पहाड़ में पाये जाते हैं, इसलिये इसे डोंगर बाँस के नाम से जाना जाता है। यह सीधा, लम्बा एवं मजबूत होती है, और इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं। इसके साथ इस बाँस में जल्दी दीमक (कीड़ा) नहीं लगता, इसलिये इस बाँस को सबसे अच्छा बाँस माना जाता है, और इस बाँस को धार्मिक उद्देश्य के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बस्तर में डोंगर बाँस द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से सम्बन्धित वस्तुओं को निर्मित करते हैं, जैसे - सूपा, चिरनी काडी, चेपा, पर्रा, सुपली दोडी, बिछना, मेत्तड़, बैरक लाठ, धनुष, खरगुड़ा इत्यादि। बस्तर की हल्बा, भतरा, दोरला, धुरवा, मुरिया एवं माड़िया जनजाति में चेपा (चौकोन आकृति का उपकरण) चूल्हे के ऊपर मछलियाँ सूखाने का कार्य करता हैं। इसके साथ इस बाँस से भोजली बुनने की टोकरी बनाते हैं। इस टोकरी में लक्ष्मी एवं तीजा जगार के समय सात प्रकार के अनाज, जैसे - धान, मंडिया, तिल, उडद, सरसों, मक्का, कोदो इत्यादि से भोजली बुनने की परम्परा प्रचलित है। बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्मी जगार का आयोजन देखने को मिलता है, जबकि तीजा जगार हल्बा जनजाति की प्रमुख जगार है। यहाँ भोजली अच्छी बारिश एवं अच्छी फसल का प्रतीक होती है।

पानी बाँस

यह बाँस अत्यन्त पतला होता है, और इसमें गाँठें पास-पास होती हैं। यह बाँस अधिकांश नदी एवं नाला के समीप पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बाँस के अन्दर सदैव पानी भरी रहती है, इसलिये इसे पानी बाँस के नाम से जानी जाती है। इस बाँस से अधिकांश मछली पकड़ने के जालों का निर्माण करते हैं, क्योंकि यह बाँस पानी में जल्दी

खराब नहीं होता, और यह लम्बे समय तक सुरक्षित रहता है। बस्तर की जनजातियाँ पानी बाँस से दांदर, चेपा, ढूटी, गरी लाठ एवं सोढ़िया बनाते हैं। इसके साथ इस बाँस एवं रेशमी धागे द्वारा बड़े जाल का निर्माण करते हैं, और इस जाल के किनारे-किनारे लोहे का गोटा बाँध देते हैं। इस जाल को स्थानीय भाषा में झारी कहा जाता है, बस्तर में मुंडा, नाला, डबरी, तालाब एवं नदी में समस्त जनजातियाँ इन जालों का प्रयोग मछली पकड़ने में करती हैं।

सिलिक बाँस

इसे हल्बी में तिमी बाँस भी कहा जाता है। यह जंगल में अधिक पाया जाता है। यह बाँस मोटा होता है, और इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं। इस बाँस से धुरवा, माड़िया एवं मुरिया जनजाति डीर नामक जाल का निर्माण करते हैं। इस जाल से अधिकांश मुंडा एवं तालाब में मछली पकडते हैं। इस जाल की आकृति आवास के समान होती है। इसे सियाडी रस्सी से गूँथकर बनाया जाता है। इसके निचले भाग में टाटी (चटाई) बनाई जाती है, जिसे हल्बी में वुड कहते हैं। इसके दाएँ तरफ एक टोड बनाया जाता है। टोड का प्रयोग फँसी मछलियों को बाहर निकालने के लिए करते हैं। इसके अलावा इस बाँस से सजावट का सामान, झाड़ू एवं सिलक बनाते हैं। बस्तर की जनजातीय महिलाएँ एवं पुरुष सिलक से दोना-पत्तल बनाते हैं। यहाँ दोना को कटोरा एवं पत्तल को थाली के रूप में प्रयोग करते हैं।

कोडो बाँस

यह बाँस अधिकांश पहाड़, जंगल और आवासों की बाड़ियो में देखने को मिलता है। यह बाँस मोटा होता है, और इसमें गाँठें पास-पास होती हैं। इस बाँस से टोकरी, सूपा, सोहली, ढाकरी और झापी बनाते हैं। झापी की आकृति त्रिभुजाकार होती है। ऐसी मान्यता है कि बस्तर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वैशाख में खेत-खलिहान के लिए आवास या गुड़ी में देवी-देवता की पूजा के समय एक टोकरी में देवी-देवता के लिए धान रखते हैं। वे इस टोकरी को झापी कहकर सम्बोधित करते हैं। इसके उपरान्त वे इस टोकरी को नदी या तालाब में विसर्जित कर देते हैं, ताकि कोई व्यक्ति टोकरी में जादू-टोना न कर सके। इसके साथ सोहली में धान, सरसों और छोटी मछलियों को छानने का कार्य करते हैं। इसे खंड-खंड़ (छेद-छेद) की आकृति में बनाया जाता है, और ढाकरी का चावल, मछली, सब्जी तथा अन्य वस्तुओं को रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इन समस्त वस्तुओं का बस्तर की धुरवा, धाकड़, हल्बा, भतरा, मुरिया, माहरा, राउत, माड़िया, धाकड़ इत्यादि समुदाय प्रयोग करते हैं।

बांवरी बाँस

यह बाँस जंगल और आवासों की बाड़ियों में देखने को मिलता है। यह अन्दर से खोखली एवं पतला होता है, और इसमें पत्ते अधिक होते हैं। इसमें गाँठें पास-पास देखने को मिलती हैं। इस बाँस से आवासों के लिए दरवाजा एवं चिडिया पकड़ने का फन्दा (जाल) बनाते

हैं, जैसे - लावा व पंडकी चिड़िया इत्यादि। बस्तर की जनजातियों में लावा एवं पंडकी चिड़िया का खाद्य और औषधि के रूप में सेवन किया जाता है। इसके सम्बन्ध में मान्यता प्रचलित है कि जब किसी व्यक्ति के पेट में पथरी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को लावा या पंडकी चिड़िया की सब्जी खिलाते हैं, जिससे उस व्यक्ति की पथरी की समस्या ठीक हो जाती है। इसके साथ वे इस बीमारी से सुरक्षा के लिए वर्ष में एक बार लावा या पंडकी चिड़िया की सब्जी का सेवन अवश्य करते हैं, क्योंकि इससे उन्हें भविष्य में पथरी बीमारी का सामना न करना पड़े।

बेन्दरी बाँस

यह बाँस जंगल में पाया जाता है। यह बाँस मोटा होता है, और इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं। इस बाँस से बेला, ढूटी, टोकरी, ढाकरी, टाटी, छतोड़ी और बाँसुरी बनाते हैं। बस्तर में बाँसुरी को गोंडी में ओसोट कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बाँसुरी का धार्मिक और सामाजिक उत्सव के समय वाद्ययन्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे - मेला, मड़ई, जातरा, विवाह, तीज-त्यौहार इत्यादि, और बस्तर की जनजातियाँ बेला का पेज और लांदा निकालने में प्रयोग करती हैं, और ढूटी का छोटी मछलियों एवं चिंगड़ियों को रखने के लिए प्रयोग करती हैं।

सुन्दर कोया बाँस

यह बाँस कड़मा एवं चितापुर ग्राम के पहाड़ एवं जंगल में अधिक पाया जाता है। यह लम्बा, मोटा और अत्यन्त चिकना होता है, और इसमें गाँठें पास-पास होती हैं। इसके साथ यह बाँस अत्यन्त सुन्दर दिखाई देती है। इस बाँस का प्रयोग आवास की छावनी (छत) और बाड़ियाँ बनाने में करते हैं। इस बाँस को अन्य गाँव के ग्रामीण छावनी एवं बाड़ियाँ बनाने के लिए खरीदकर ले जाते हैं।

बाँसुरी बाँस

यह बाँस जंगल में पाया जाता है। यह अन्दर से खोखला एवं पतला होता है, और इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं। इससे बच्चों के लिए बाँसुरी बनाई जाती है। इसकी झलक बस्तर दशहरा के समय देखने को मिलती है। इसे बच्चों का अत्यन्त लोकप्रिय वाद्य माना जाता है, इसलिये इस बाँस को बाँसुरी बाँस के नाम से जाना जाता है।

बाले बाँस

यह अधिकांश पहाड़ में पाया जाता है। यह अन्दर से खोखला एवं मोटा होती है, और इसमें गाँठें दूर-दूर होती हैं। इस बाँस से चटाई, ढोलगी, टोकरी, झरिया इत्यादि का निर्माण करते हैं। बस्तर की समस्त जनजाति चटाई को सोने एवं बैठने, ढोलगी में अनाज का

संग्रहण एवं टोकरी में चावल, धान, मंडिया, सब्जी रखने का कार्य करते हैं, और झरिया से मुंडा, तालाब एवं नाला में मछली पकड़ते हैं।

बाँस काटने की परम्परा

बस्तर की जनजातियाँ बाँस की वर्ष में दो बार पूजा करते हैं। प्रथम जब बाँस का अंकुरण होता है, तो इसे हरियाली (अमूस) त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जुलाई में सोमवार या बुधवार के दिन जंगल या घर में अंकुरित बाँस के समीप पूजा करते हैं। सर्वप्रथम इस दिन माटी पुजारी गाँव के समस्त लोगों के लिए जंगल में अंकुरित बाँस का जल, सिन्दूर, चावल, नारियल एवं केले से पूजा करता है, और फिर वे चिपड़ी (एक सरगी पत्ता) से सात बार महुवा का मंद टपकाता है। इसके पश्चात् माटी पुजारी अंकुरित बाँस को चाकू से काटता है। फिर वह गाँव के मुख्य व्यक्तियों को नारियल व केला का प्रसाद बाँटता है। इसके पश्चात् घरों के मुखिया अपने घर के अंकुरित बाँसों को जल, सिन्दूर, चावल, नारियल, केला एवं महुवा मंद से पूजा करते हैं। फिर मुखिया अंकुरित बाँस को चाकू से काटता है, और इस दिन अंकुरित बाँस की सब्जी बनाकर खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से अंकुरित बाँस की सब्जी का सेवन शुरू हो जाता है।

द्वितीय, पूजा नयाखानी त्यौहार के दिन आयोजित करते हैं। इसे अगस्त में सोमवार या बुधवार के दिन घरों के मुखिया बास्ता की जल, सिन्दूर, चावल, नारियल, केला एवं महुवा मंद से पूजा करते हैं, और इस दिन से बास्ता का इमली के साथ आमट बनाकर खाते हैं। इस दिन से बास्ता का आमट खाना शुरू हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष में एक बार अंकुरित बाँस का पूजा-पाठ करते हैं। इसके पश्चात् कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं होती, इसलिये वे वर्ष भर पूजा-पाठ के बिना बाँस काटते हैं।

परन्तु, जब किसी प्राकृतिक देवी-देवता के लिए नया प्रतीक चिह्न निर्मित करते हैं, तो गाँव का माता पुजारी, माटी पुजारी एवं बुजुर्ग व्यक्ति बाँस के लिए पहाड़ जाते हैं, क्योंकि डोंगर बाँस पहाड़ में अवस्थित होता है, और वहाँ डोंगरदई माता वास करती है, इसलिये माता पुजारी डोंगरदई माता की जल एवं नारियल या अंडे से पूजा करता है, और वह डोंगरदई माता से डोंगर बाँस काटने की अनुमति माँगता है। इसके पश्चात् माता पुजारी कुल्हाड़ी से तीन बार बाँस को स्पर्श करता है, फिर माटी पुजारी कुल्हाड़ी से बाँस को काटता है, और उस बाँस को माटी पुजारी नये वस्त्र से ढककर गुड़ी लाता है, क्योंकि इससे बाँस की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा होती है। फिर इसका माता पुजारी गुड़ी में प्रतीक चिन्ह निर्मित करता है, जैसे - प्राकृतिक देवी-देवता के लिए बैरक लाठ, भीमा देव के लिए चिरनी काड़ी, पारद देव के लिए धनुष, अनाज एवं कुलदेवी के लिए सूपा इत्यादि।

आर्थिक क्षेत्र में बस्तर की जनजातियाँ बाँस से निर्मित विभिन्न वस्तुओं - टोकरी, टाटी (चटाई), ढूटी (मछली संग्रहण), सोहली (बीज छानने का पात्र), ढाकरी (सामान रखने का पात्र), झापी (त्रिभुज आकार की टोकरी), खरगुडा (मुर्गी का खोसला), तीर-धनुष

(शिकार करने का उपकरण), मेत्तड़ (तीर रखने का उपकरण), सूपा (अनाज फटकने का पात्र), चिरनी काडी (वाद्ययन्त्र), चेपा (मछली सुखाने का पात्र), खाकबगोड़ा (खेतों में पक्षियों के लिए पुतला), बाडन (झाड़ू), पर्रा (विवाह की सामग्री), सुपली दोडी (छोटे-छोटे सूपा तथा टोकरी), बिछना (विवाह के समय वर-वधु को धूपने का पंखा), ढोलगी (धान या बीज एकत्र करने का उपकरण), दांदर, सोढ़िया, गरी लाठ, झरिया (मछली पकड़ने का जाल), फड़की (दरवाजा), बेला (डूमनी), छतोड़ी (छाता), फन्दा (चिड़िया पकड़ने का जाल), बाँसुरी एवं सिलक का निर्माण करते हैं। इनमें सिलक से पत्तल एवं दोने सिलने का कार्य करते हैं, जिसका वे थाली एवं कटोरी के रूप में प्रयोग करते हैं। इन समस्त वस्तुओं का दैनिक दिनचर्या में प्रयोग देखा जाता है, और वे कुछ वस्तुओं को हाट-बाजारों में बेचते हैं, जिससे वे अपनी आजीविका को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा वे बाँसों से आवासों की दीवार एवं बाड़ियाँ बनाते हैं, क्योंकि यह लम्बे समय तक सुरक्षित रहती हैं। बस्तर की समस्त जनजातियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, इसलिये वे बाँस से बनी खाकबगोड़ा (खेतों की पक्षियों एवं जानवरों से सुरक्षा के लिए बनाया जाने वाला पुतला) लगाते हैं, ताकि पक्षी एवं जानवर अनाज को बर्बाद न कर सकें।

सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व

सामाजिक क्षेत्र में बस्तर की जनजातियों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु के समय बाँस से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग देखा जाता है। जब किसी नवजात शिशु का जन्म होता है, तो नवजात शिशु के लिए बाँस का झूला बनाया जाता है, जिसे वे स्थानीय भाषा में पालना कहते हैं। इन जनजातियों में विवाह के पूर्व तीन बार माहला (वर और वधु के रिश्ते के लिए) जाने की प्रथा है, जिसमें घर के मुखिया एवं रिश्तेदार तीनों माहलाओं में बाँस से बनी टोकरी में तीन या पाँच पयली (6 या 10 किलोग्राम) चावल या धान लेकर जाते हैं। इन तीनों रस्म को पूर्ण करने के पश्चात् विवाह की तिथि निश्चित की जाती है। इसके साथ इनमें विवाह के समय बिछना, टोकरी, सूपा एवं पर्रा का प्रयोग देखने को मिलता है, और हिन्दू विवाह में समस्त वस्तुओं के अलावा सूपली दोड़ी का भी प्रयोग देखा जाता है, जिसका वर एवं वधु द्वारा फेरा के समय प्रयोग किया जाता है। पूर्व में वधु को विदाई के समय ढाकरी (टोकरी) में 20-25 पयली चावल, एक बड़ा दोना में दाल, वस्त्र, आभूषण, बर्तन, उपयोगी वस्तुएँ देते थे, परन्तु अब यह प्रथा समाप्त हो गयी है, जिसका मुख्य कारण आधुनिकीकरण का प्रभाव है। इसके साथ जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत व्यक्ति को मोटे बाँसों से निर्मित अर्थी में श्मशान घाट ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न मोटे बाँस पाये जाते हैं, जैसे - बरहा बाँस, सिलिक बाँस, कोडो बाँस, बेंदरी बाँस, सुन्दर कोया बाँस, बाले बाँस इत्यादि। इन बाँसों के अनुसार मृत व्यक्ति के लिए मोटे बाँस की अर्थी की व्यवस्था करते हैं, और मृतक के क्रियाकर्म के दिन समस्त रिश्तेदार बड़ी टोकरी में अलग-अलग दोने (सरगी पत्ते से बनी कटोरी) में राशन का सामान, जैसे - चावल, दाल, नमक, लाल मिर्च,

आलू, सब्जी इत्यादि एकत्र करके ले जाते हैं, और इन सभी सामानों को भंडारी को सौंप देते हैं। इसके साथ इनके समस्त संस्कारों के समय बेला का प्रयोग देखा जाता है। वे इससे समस्त रिश्तेदारों को लंदा (चावल से बनी शराब) बाँटते हैं।

धार्मिक अनुष्ठानों में डोंगर बाँस की भूमिका

धार्मिक क्षेत्र में डोंगर बाँस से निर्मित वस्तुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिसमें छोटी टोकरी, झापी, सूपा, धनुष, चिरनी काड़ी, बाँसुरी एवं बैरक लाठ प्रमुख हैं। इन समस्त वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रयोग देखा गया है, जैसे - छोटी टोकरी में सात प्रकार के अनाजों से भोजली बुनने की प्रथा प्रचलित है। इसका तात्पर्य अनाजों का अच्छा अंकुरण माना जाता है, इसलिये इस टोकरी को भोजली टोकरी भी कहा जाता है। झापी त्रिभुजाकार टोकरी है, जिसमें देवी-देवताओं के लिए अनुष्ठान के समय धान रखा जाता है। सूपा, धनुष और चिरनी काड़ी का वाद्ययन्त्र के रूप में प्रयोग देखा जाता है। बाँसुरी का मेला-मड़ई और बैरक लाठ मेला, मड़ई व जातरा में देवी-देवता के प्रतीकों के रूप में उपस्थिति को देखा जाता है। इसका विवरण इस प्रकार है -

बैरक लाठ

बस्तर में डोंगर बाँस को बैरक लाठ के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बाँस अत्यन्त सीधा और आठ से नौ मीटर लम्बा होता है, इसलिये वे इस बाँस से प्राकृतिक देवी-देवताओं के चिह्न में बैरक लाठ का निर्माण करते हैं। इसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि प्रत्येक गाँव की गुड़ी में भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं की पाषाण मूर्तियाँ विराजमान रहती हैं, और उन देवी-देवताओं के प्रतीकों को मेला, मड़ई, जातरा व जगार में नहीं ले जा सकते हैं, इसलिये जब किसी अन्य क्षेत्र से लक्ष्मी जगार, मेला, मड़ई या जातरा का निमन्त्रण आता है, तो गाँव का माता पुजारी और माटी पुजारी देवी-देवता के प्रतीक चिह्न के रूप में बैरक लाठ लेकर जाते हैं। इसके साथ यहाँ यह मान्यता प्रचलित है कि बैरक लाठ में देवियों के लिए सादा लाल, काला एवं सफेद रंग का वस्त्र पहनाते हैं, जबकि देवताओं के लिए चितकबरा लाल, सफेद, नीला एवं काला रंग का वस्त्र पहनाते हैं। वे इन वस्त्रों के माध्यम से अनुष्ठानों के समय प्राकृतिक देवी-देवताओं की पहचान करते हैं। इसके अलावा कुछ देवताओं के बैरक लाठ को सिर्फ सादे बाँस से निर्मित करते हैं, और उस लाठ पर देवताओं के शृंगार के रूप में चाँदी का पट्टा लगा देते हैं।

चिरनी काड़ी

बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में चिरनी काड़ी को भीमा देव (बारिश का देव) के नाम से सम्बोधित करते हैं, इसलिये बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से प्रतिवर्ष एवं हर तीन वर्ष में एक बार अच्छी बारिश के लिए भीमा देव का मेला, मड़ई एवं जातरा का

आयोजन किया जाता है। लक्ष्मी जगार और तीजा जगार में चिरनी काड़ी को अच्छी जल एवं अच्छी फसल का प्रतीक माना जाता है। यहाँ लक्ष्मी का तात्पर्य धन रूपी धान होता है, जबकि तीजा का तात्पर्य पत्नी द्वारा पति की लम्बी आयु के लिए किया जाने वाला व्रत होता है, और जगार का तात्पर्य बस्तर के समस्त देवी-देवताओं का जागरण करना होता है। इन जगारों में गुरुमाए जगार आरम्भ से समाप्ति तक चिरनी काड़ी को धनुष के ऊपर घिस-घिसकर गीत गाती हैं। इसके अलावा इस वाद्ययन्त्र को मुरिया जनजाति में बुजुर्ग व्यक्तियों द्वारा गाता पखना एवं गाता खूटा के समय गीत गा-गाकर बजाया जाता है। गाता पखना एवं गाता खूटा का अर्थ मृत व्यक्तियों की स्मृति मे गाया जाने वाला गीत होता है। जिसे वे अपनी गोंडी भाषा में घोटुल पाटा कहते हैं। मुरिया जनजाति में गाता पखना एवं गाता खूटा एक पीढ़ी या तीस से चालीस वर्ष के उपरान्त आयोजित किया जाता है।

धनुष

बस्तर की जनजातियों में धनुष को शिकार (पारद) देव का प्रतीकचिह्न माना जाता है, इसलिये वे जंगलों से स्वयं के खाद्य के लिए धनुष से छोटे जानवरों एवं पक्षियों का शिकार करते हैं, जिससे वे अपनी आजीविका को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। वे बड़े जानवरों से रक्षा के लिए धनुष का प्रयोग करते हैं। धार्मिक क्षेत्र में धनुष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका गुरुमाए द्वारा धनुष का लक्ष्मी जगार एवं तीजा जगार में गीत गायन के समय प्रयोग करती हैं। यहाँ धनुष का मुख्य उद्देश्य अच्छे शिकार एवं जानवरों से रक्षा की कामना होती है।

सूपा

बस्तर की जनजातियों के अनुसार सूपा में कुलदेवी का वास होता है, इसलिये प्रतिवर्ष घर का मुखिया दीयारी त्यौहार के दिन कुलदेवी की पूजा करता है। फिर वे सूपा में गाय-बैल को चावल, उड़द दाल, कुम्हड़ा, सेमी, बेंगन और आलू से बनी खिचड़ी खिलाता है। इसके उपरान्त घर का मुखिया चरवाह को सूपा में धान एवं 10 या 20 रुपये देता है, और वह चरवाह से सदैव गाय-बैल की रक्षा के लिए कामना करता है। इसके अलावा लक्ष्मी जगार और तीजा जगार में सूपा की झलक देखने को मिलती है। यहाँ इसका मुख्य उद्देश्य सदैव अच्छी फसल की कामना होती है। जनजातीय महिला एवं पुरुष सूपा से चावल, धान, मंडिया, कोदो, कुटकी, दाल, तिल, उड़द और सरसों को साफ करते हैं, जो उनके आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।

इसका महत्व लक्ष्मी जगार, तीजा जगार और बीज पुटनी इत्यादि पर्व में देखा जा सकता है। जहाँ पूजा के लिए बाँस से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग, भोजली बोने और धान संरक्षण की प्रथा है। लक्ष्मी जगार एवं तीजा जगार में चिरनी काड़ी, धनुष एवं सूपा को एकसाथ वाद्ययन्त्र के रूप में देखा गया है।

जगार में गुरुमाए गीत गायन के उपरान्त समस्त वाद्ययन्त्रों को इकट्ठा रखते हैं, क्योंकि इन समस्त वस्तुओं का एक-दूसरे के साथ गहरा सम्बन्ध होता है, और यह जनजातियों के आर्थिक जीवन के महत्व को दर्शाती हैं। तीजा जगार के पूर्व डोगर बाँस की वस्तुएँ - सूपा, धनुष एवं चिरनी काड़ी निर्मित करते हैं। इनमें सूपा को कुलदेवी, चिरनी काड़ी को दांड देव एवं धनुष को जादू-टोना से रक्षा का प्रतीक मानते हैं। लक्ष्मी जगार के दौरान अठपहरिया जंगल से बाँस लाकर भोजली बुनने के लिए छोटी-छोटी टोकरियाँ बनाता है, और नवें दिन सम्पूर्ण पूजा के पश्चात् अंकुरित भोजली को मुंडा या तालाब में विसर्जित कर देता है। बीज पुटनी के दौरान डोंगर बाँस के एक टुकड़े को पदर या पदय में भंडारीन माता के प्रतीक के रूप में गाड़ते हैं, और प्राकृतिक देवी-देवता को अच्छे मानसून एवं उपज के लिए पालतु पशुओं की बलि से प्रसन्न करते हैं। प्रस्तावित त्यौहार में बीजों को संरक्षित करने के लिए डोंगर या कोडो बाँस से एक पवित्र टोकरी बनायी जाती है।

बाँस से सम्बन्धित मान्यताएँ

बस्तर की जनजातियों में बाँस से सम्बन्धित मान्यताएँ प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं -

डोंगर बाँस

जब किसी क्षेत्र में नये तालाब, मुंडा या कुआँ का निर्माण करते हैं, तो उसके पूर्व गाँव का माता पुजारी, सिरहा या मुखिया द्वारा पानी की जाँच की जाती है। वे अपने दोनों हाथों में डोंगर बाँस के टुकड़े को पकड़कर पूरब दिशा की ओर गमन करता है। जिस स्थान पर पानी का संकेत प्राप्त होता है, उस स्थान पर डोंगर बाँस सीधा खड़ा हो जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस स्थान पर पानी का स्रोत है। इसके पश्चात् वहाँ माता पुजारी सिन्दूर और अगरबत्ती से पूजा करता है, और माटी पुजारी एक मुर्गे, बकरे या सुअर की बलि देता है। फिर उस स्थान पर तालाब, मुंडा या कुआँ का निर्माण करवाते हैं। इसके अलावा धुरवा में बीज पुटनी के समय डोगर बाँस की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। बीज पुटनी के दूसरे दिन गुड़ी के पदर में एक से डेढ़ मीटर लम्बा डोंगर बाँस गाड़ते हैं। जिसे वे बूचा कहते हैं, और इसे भंडारिन माता (अनाज की देवी) का प्रतीक मानते हैं।

बरहा बाँस

प्राचीन काल से बस्तर की जनजातियों का जादू-टोना पर अटूट विश्वास रहा है, इसलिये वे प्रतिवर्ष प्राकृतिक देवी-देवताओं की निश्चित काल, तिथि एवं समय में पूजा करते हैं। इसके अलावा वे जादू-टोना से रक्षा के लिए आवासों की चौखट (दरवाजा) मे बरहा बाँस गाड़ते हैं। इसके सम्बन्ध में कहते हैं कि इससे आवास एवं परिवार के सदस्यों की रक्षा होती है, और इससे किसी सदस्य पर बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से सुरक्षा कवच का कार्य करता है।

कोडो बाँस

इस बाँस के सम्बन्ध में मान्यता प्रचलित है कि इस बाँस से आग जलाने का कार्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से मानव चकमक पत्थर (पाषाण) को घिसकर आग जलाने का कार्य करता था। उसी प्रकार बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोडो बाँस को घिसकर आग जलाने का कार्य करते हैं। यह परम्परा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा बाइसन हॉर्न माड़िया में कोडो बाँसों का जंगल में पदय अवस्थित है। इस पदय में डोगरदई माता का निवास स्थान है, और इनमें कोडो बाँस को डोगरदई माता का दांड देव माना जाता है। इसके साथ बीज पुटनी के समय कोडो बाँस की टोकरी निर्मित करते हैं, और उस टोकरी में नया धान रखकर पूजा को पूर्ण करते हैं।

कुलदेवी

बस्तर की जनजातियाँ हर साल अपनी कुलदेवियों के त्यौहारों का आयोजन करते हैं। जिसमें अमूस, नयाखानी, दीयारी एवं आमानुवा प्रमुख त्यौहार हैं। सर्वप्रथम हर त्यौहार में घर का मुखिया गाँव की देवी के लिए एक दोने में चावल, सिन्दूर, अगरबत्ती, नया धान, आम, महुवा एवं रसना लेकर जाता है। इनमें अमूस में गाय-बैल के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रसना (जड़ी-बूटी), नयाखानी में नया धान का भोजन, दीयारी में गाय-बैल को खिचड़ी एवं आमानुवा में नया आम और महुवा फल ले जाते हैं, फिर माता पुजारी गुड़ी में समस्त वस्तुओं की पूजा करने के उपरान्त समस्त वस्तुओं को लौटा देता है। इसके पश्चात् मुखिया अपनी कुलदेवियों की पूजा करते हैं, और वे अपनी कुलदेवी से कुटुम्ब, खेत, जंगल, गाय-बैल, सुख-समृद्धि, गाँव की रक्षा की कामना करते हैं, परन्तु इन जनजातियों में दीयारी त्यौहार में सूपा की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। यह त्यौहार जनवरी से शुरू हो जाता है, और वे इस त्यौहार को क्षेत्र के अनुसार निश्चित तिथि, काल एवं समय में मनाते हैं। इसके लिए बुधवार एवं गुरुवार का दिन अत्यन्त शुभ होता है। इस दिन घर का मुखिया कुलदेवी की पूजा के उपरान्त गाय-बैल को सूपा में चावल, कुम्हड़ा, आलू, गोभी एवं उड़द दाल से बनी खिचड़ी खिलाता है। इनमें ऐसी मान्यता है कि सूपा में कुलदेवी वास करती हैं, और कुलदेवी अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करती हैं, इसलिये इस दिन गाय-बैल को सूपा में खिचड़ी खिलाते हैं। बाइसन हॉर्न माड़िया जनजाति दीयारी त्यौहार का आयोजन नहीं करते, क्योंकि इनमें कहा जाता है कि किसी समय दीयारी के दिन अचानक गाय-बैल की मृत्यु हो गई थी। इस कारण इस जनजाति में दीयारी त्यौहार का आयोजन नहीं करते, अत: वे अमूस त्यौहार के दिन गाय-बैल को रसना (जड़ी-बूटी) एवं सूपा में खिचड़ी खिलाते हैं। इससे प्रतीत होता है कि वे इन दोनों त्यौहारों को एक दिन मनाते हैं। इसके पश्चात् प्रत्येक घर के मुखिया द्वारा चरवाह को एक सुपा धान, एक दोना चावल और पैसा दिया जाता है, क्योंकि चरवाह गाँव के हर घर के गाय-बैलों की देखभाल करता है, और समस्त मुखिया चरवाह से अच्छी देखभाल की कामना करते हैं। इनमें सूपा को लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है।

बाँस से सम्बन्धित लोक मान्यताएँ

धुरवा लोककथा के अनुसार जब प्रलय के दौरान धरती पूरी तरह जलमग्न हो गयी थी, तो एक तुम्बा (लौकी का बना उपकरण) में दो भाई बहन बचे हुए थे। जब पानी का स्तर कम हुआ, तब तुम्बा एक स्थान में रुक गया। फिर तुम्बा से दोनो भाई-बहन बाहर आये, और दोनों ने देखा कि धरती पूरी तरह सुनसान हो गयी है, और सब कुछ समाप्त हो चुका है। फिर दोनों सोचने लगे कि अब हमारा क्या होगा? हम कैसे जीवित रहेंगे, तब देवलोक से दन्तेश्वरी माता ने भरवा डोकरा को धरती पर भेजा। भरवा डोकरा दोनों को थोड़ा चावल और धान देकर वापस देवलोक चले गये। उन दोनों ने चावल को पकाकर खा लिया, और दूसरे दिन धान को बाहर जमीन पर फेंक दिया। कुछ दिनों पश्चात् वह धान धीरे-धीरे अंकुरित होकर बढ़ने लगा। फिर दोनों ने सृष्टि के निर्माण के लिए आपस में विवाह कर लिया। फिर वह महिला गर्भवती हो गई, और एक तरफ धान का फूल गिरने लगा, और धान में दाना भरने लगा। दो दिन पश्चात् धान पककर नीचे की ओर झुकने लगा, तो दोनों ने सोचा कि अब धान को कैसे काटें? फिर दन्तेश्वरी माता ने देवलोक से भरवा डोकरा को धरती में धान काटने के लिए भेजा। भरवा डोकरा धान काटकर देवलोक वापस चले गये। उसके पश्चात् दोनों सोचने लगे कि धान को कैसे एवं कहाँ रखें, और घास को अलग कैसे करें? यह सोचकर दोनों एक दिन जंगल गये, तो वहाँ उन्हे तीन बाँस मिले। दोनों सोचने लगे कि इन तीनों मे से किस बाँस को काटें? तभी अचानक एक बाँस झुक गया, और वे उस बाँस को काटकर घर ले आये। उन्होंने उस बाँस से एक गापा (टोकरी) बनाया, और उसमें धान का संरक्षण किया, परन्तु वह गापा धान से भर गया। कुछ दिन पश्चात् फिर दोनों जंगल गये, तो वहाँ पाँच बाँस मिले, और उसने उस बाँस से ढोलगी बनाई, और उसमें धान को संरक्षित किया। इससे पता चलता है कि कैसे बाँस खाद्यान्न के भंडारण और अन्य कार्यात्मक उपयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह कमोबेश बाइसन हॉर्न माड़िया और अन्य जनजातियों के मामले में समान है।

बाँसों का संरक्षण

प्रारम्भिक चरणों में बाँस की शाखाओं का उपभोग करने के लिए पवित्र स्थान पर जंगल के देवता का पूजा करते हैं। जिसे पदर या पदय के नाम से जाना जाता है, इसलिये वे प्रतिवर्ष वैशाख (अपैल-मई) में एक निश्चित दिन जंगल के देव की पूजा करते हैं। इनके अनुसार जंगल के देव का प्रतीक चिह्न पाषाण (पत्थर) होता है, जबकि देवी का प्रतीक चिह्न पेड़ होता है। वे जंगल में देव या देवी की पालतु पशुओं एवं प्राकृतिक वस्तुओं के संरक्षण एवं प्रबन्धन के लिए पूजा करते हैं। प्रारम्भ से बस्तर की जनजातियाँ पारम्परिक रूप से बाँसों का संरक्षण कर रही हैं, क्योंकि इनके जीवन एवं संस्कृति में बाँस महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इसलिये वे बाँसों की सुरक्षा के लिए बाँस के किनारे-किनारे यूरिया एवं पोटाश डालते हैं। इससे बाँस लम्बे समय तक सुरक्षित रहते हैं, और इससे बाँस में जल्दी कीड़े नहीं

लगते हैं। यहाँ तक कि जब परिपक्व बाँस में नयी शाखा उगती है, तो वहाँ तिरछा काट दिया जाता है, ताकि यह थोड़े समय के अन्दर पुन: उत्पन्न हो जाए।

निष्कर्ष

बस्तर में बाँस की विभिन्न किस्मों का पक्षियों एवं जंगली जानवरों को ड़राने के लिए पुतले के रूप में कार्यात्मक महत्व है, और इससे झाड़ू, नदी पार करने के लिए टाटी, आवास का निर्माण, कुलचिह्न वस्तुएँ, देवता मूर्ति, घरेलू सामान, संगीत वाद्ययन्त्र, शिकार और मछली पकड़ने के उपकरण बनाये जाते हैं। इसी तरह, टोकरी, चटाई, सोहली, ढाकरी, झापी, सूपा, गरी लाठ, ढोलगी जैसी कार्यात्मक वस्तुओं का दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। बस्तर में स्थानीय रूप से उपलब्ध किस्मों में से डोंगर बाँस धुरवा, बाइसन हॉर्न माड़िया, अबुझमाड़िया, मुरिया, दोरला, हल्बा, भतरा द्वारा अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इसे जन्म, विवाह एवं मृत्यु जैसे जीवनचक्र अनुष्ठानों में पवित्र वस्तु माना जाता है। गाँव के देवता चिह्न जैसे बैरक लाठ, चिरनी काड़ी, धनुष, सूपा इत्यादि डोंगर बाँस से ही बनाये जाते हैं। यह उनके सामाजिक संगठन से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो उनकी लोककथाओं के उल्लेख से स्पष्ट है। इसकी पवित्रता के कारण आजकल महिलाएँ स्वयं सहायता समूह द्वारा राखी और उपहार वस्तुएँ बनाकर रक्षाबन्धन त्यौहार के अवसर पर बेच रही हैं। इसके अलावा, बाँस कला और शिल्प वस्तुएँ आश्रित समुदायों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान कर रही हैं। इस प्रकार, बाँस का न केवल कार्यात्मक महत्व है, बल्कि बस्तर की जनजातियों के सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुलदेवी के अनुष्ठान के दौरान केवल सूपा में ही पवित्र प्रसाद चढ़ाने की प्रथा है। दीयारी के दिन भी इसी उपकरण से जानवरों को प्रसाद खिलाते हैं। इस प्रकार, डोंगर बाँस को इतना पवित्र माना जाता है कि माता पुजारी या ज्ञानी व्यक्ति द्वारा कुआँ, तालाब या मुंडा बनाने के पूर्व जल के स्रोत की पहचान के लिए डोंगर बाँस का प्रयोग किया जाता है। वे बुरी नजर और काले जादू के सम्पर्क से बचने के लिए आवास की चौखट (दरवाजा) में बरहा बाँस गाड़ते हैं, इसलिये इसे पवित्र संसाधन के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनका अस्तित्व इसी के इर्द-गिर्द घूमता है।

सन्दर्भ

भराली, रंजू कुमार (2020) 'बेम्बू एज अ वर्सेटाइल मटेरियल फॉर सोश्यो-इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटि इन नॉर्थ-ईस्ट', *द मिरर,* वॉल्यूम 7, पृ. 231-238।

फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (2011) स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, (एम.ओ.ई.एफ., जी.ओ.आई.) देहरादून, पृ. 286।

गौरी, वी. सोरना एवं सक्सेना, मोहिनी (2003) 'बेम्बू कम्पोजिट्स फॉर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेन्ट', *जर्नल ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी,* वाल्यूम 1, नं. 1, पृ. 10।

जगदलपुरी, लाला (2003) *बस्तर लोक कला और संस्कृति प्रसंग,* आकृति संस्थान, जगदलपुर, पृ. 82-83।

जगदलपुरी, लाला (2007) *बस्तर : इतिहास एवं संस्कृति,* मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ. 247-249 एवं 251।

लॉन्गशिबेनी, एन. किथन (2014) 'इम्पोर्टेन्स ऑफ बेम्बू अंमग द नगर ऑफ नागालैण्ड', *जर्नल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी,* वाल्यूम 48, इशू 3, पृ. 393-397।

मोकतान, सुरेश (2007) 'डेवलपमेन्ट ऑफ स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेस इन भूटान : एनेलाइजिंग कॉन्स्ट्रेन्ट्स टू ग्रोथ', *साउथ एशियन सर्वे,* वॉल्यूम 14, नं. 2, पृ. 251-282।

नागरिया, एम.एन. एवं पुरी, सुनील (1997) 'बेम्बू : प्रोडक्शन एंड यूजेस' इन्दिरा गाँधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, रायपुर।

पर्सनल इंटरव्यू विथ श्री कमलू (2011) छिन्दवाड़ा विलेज, दर्भा ब्लॉक, जिला बस्तर।

सहाय, सरिता (2000) 'जनजाति कला और संस्कृति', *वन्यजाति,* वर्ष XLVIII, अंक 3, भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली, पृ. 39।

साहू, बिन्दु एवं सरदार, विनिता (2015) 'स्मृति स्तम्भ का मानव वैज्ञानिक अध्ययन', *वन्यजाति,* वर्ष 63, अंक 2, भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नई दिल्ली, पृ. 26।

साहू, बिन्दु एवं साहू, रंजू हासिनी (2015) 'धुरवा जनजाति में बाँस कला एवं उसका स्वरूप', *द एसियन मेन,* वर्ष 9, अंक 1, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन साइंस एण्ड डेवलपमेट, लखनऊ, पृ. 130-131।

सिंह, नरेन्द्र एवं तिमुंग, लोंगकिरी (2015) 'सिग्निफिकेंस ऑफ बेम्बू इन कार्बी कल्चर : अ केस स्टडी अमंग द कार्बी ट्राइब ऑफ असम', *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी,* वॉल्यूम 1, इशू 1, पृ. 16।

शिवकोटी, सीता (2011) 'यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेस अमंग द सन्थाल कम्यूनिटी ऑफ ईस्टर्न नेपाल', *साउथ एशिया एन्थ्रोपोलॉजिस्ट,* वाल्यूम 11, इशू 1, पृ. 39।

सोडरस्टॉर्म, टी.आर. एवं एलिस, आर.पी. (1988) 'द वर्ल्ड बेम्बू ऑफ श्रीलंका : अ मॉर्फोलॉजिकल-एनोटॉमिकल स्टडी', स्मिथसोनियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू बॉटनी, नं. 72, पृ. 175।

वैष्णव, टी.के. (2017) *छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ,* छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, रायपुर, पृ. 29, 41 एवं 163।

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 53-60)

थर्ड जेंडर स्थिति : बेहतर और बदतर

दिव्या*

कभी-कभी एक व्यक्ति को उसके जन्म के समय प्राप्त लैंगिक स्थिति, उसके लिंग के साथ मेल नहीं खाएतो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर कह सकता है। सदियों से ही यह वर्ग समाज का अभिन्न अंग रहा है और हमारे प्राचीन रीति-रिवाजों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। प्रस्तुत आलेख में विभिन्न कालखण्डों में थर्ड जेंडर की बदलती स्थिति की समीक्षा की गई है क्योंकि विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से यह पता चलता है कि जहाँ थर्ड जेंडर को हिन्दू पौराणिक कथाओं में भगवान् के बहुत करीब माना जाता था, वहीं इसके ठीक विपरीत आधुनिक काल में उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। थर्ड जेंडर की ऐतिहासिक स्थिति का वर्णन करते हुए, औपनिवेशिक काल और स्वतन्त्रता पश्चात् उनकी बदलती स्थिति का अवलोकन किया गया है। ब्रिटिश सरकार के विभिन्न कानूनों, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निर्णय, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल 2019, ट्रांसजेंडर रोड मॉडल आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

परिचय

जब हम 'सेक्स' और 'लिंग' में अन्तर को समझने की कोशिश करते हैं तो दोनों ही शब्दों मे काफी अन्तर पाया जाता है, सेक्स शब्द से तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं, लड़कियों

*शोधछात्रा, राजनीतिक विज्ञान विभाग, गलगोटिया विश्वविद्यालय, नोएडा
E-mail: diva971797@gmail.com

और लड़कों के बीच जैविक अन्तर से है, यह अन्तर जन्म से ही देखा जा सकता है और लिंग शब्द से तात्पर्य पुरुषों और महिलाओं, लड़कियों और लड़कों द्वारा सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से निर्मित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से है। लिंग शब्द महिलाओं के लिए या यौन अन्तर के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला कोई दूसरा शब्द नहीं है।

कभी-कभी एक व्यक्ति को उसके जन्म के समय प्राप्त लैंगिक स्थिति, उसके लिंग के साथ मेल नहीं खाती है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति स्वयं को ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी या जेंडर नॉन कन्फर्मिंग कह सकता है। लोग नर या मादा या ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं। उनका सेक्स निश्चित होता है, लेकिन अलग-अलग संस्कृतियों ने अलग-अलग सेक्स को अलग-अलग तरीकों से परिभाषित किया और उनके शारीरिक मानदण्डों पर अलग-अलग भूमिकाएँ डाल दीं, जो उन्हें स्त्री और पुरुष बनाते हैं।

ट्रांसजेंडर या हिजड़ा में पुरुष और स्त्री दोनों के ही यौन अंग होते हैं, ये लोग यौन अभिविन्यास (सेक्सुअल ओरिएन्टेशन) पर सवाल उठाते हैं और खुद को तीसरे लिंग/थर्ड जेंडर के रूप मे पहचानते हैं। अगर हम ट्रांसजेंडर शब्द का शाब्दिक अर्थ खोजें तो इसका अर्थ - 'लिंग से परे' (बियोन्ड जेंडर) है। भारत मे लोग इन्हें हिजड़ा, आरावनी, कोथि, जोगता, छक्का और शिव-शक्ति जैसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी उम्र या लिंग से सम्बन्धित हैं और उनकी व्यक्तिगत विशेषताएँ रूढ़िबद्ध (स्टीरियोटाइप) लिंग मानदण्डों से भिन्न हैं कि पुरुषों और महिलाओं को कैसे और क्या करना चाहिए।

यदि हम यह कहें कि भारतीय समाज और संस्कृति का समन्वयशील होना उसकी एक मुख्य विशेषता है, तो यह कहना असत्य होगा, क्योंकि यह बात समाज के सभी सन्दर्भों में एक समान रूप से लागू नहीं होती है। बहुवर्गीय सामाजिक संरचना के आडम्बर के पीछे मूल संरचना में हमारा समाज दो भिन्न वर्गों - स्त्री और पुरुष में बँटा हुआ है और यह जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता है। ट्रांसजेंडर समाज का वह वर्ग है जो न स्त्री है न पुरुष, फिर भी सदियों से समाज का अभिन्न अंग रहा है। इस बात का प्रमाण तमाम प्राचीन ग्रन्थों और पौराणिक कथाओं, जैसे - रामायण, महाभारत, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामसूत्र, मनुस्मृति, बौद्ध त्रिपिटक, भारतीय विधि, चिकित्सा, भाषा आदि क्षेत्रों मे मिलता है।

अप्रैल 2014 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण निर्णय में, ट्रांसजेंडर/किन्नर को 'थर्ड जेंडर' का दर्जा दिया गया और नवम्बर 2019 में संसद के दोनों सदनों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल पारित किया गया।

ऐतिहासिक स्थिति : भारतीय समाज एवं संस्कृति

भारत में हर साल ट्रांसजेंडर समुदाय एक परिवर्तन समारोह (ट्रांसफॉर्मेशन सेरेमनी) मनाता है जो एक प्राचीन कहानी पर आधारित है जिसमें श्रीकृष्ण इरावान से शादी करने के लिए स्वयं को मोहिनी (स्त्री) में बदल लेते हैं। हिन्दू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों - रामायण और महाभारत मे हिजड़ों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के प्रमाण मिलते हैं। ऐसा कहा जाता

है कि जब श्रीराम वनवास पर जा रहे थे तब उन्होने हिजड़ों को बच्चों के जन्मदिवस और विवाह जैसे अवसरों पर आशीर्वाद या बधाई देने की शक्ति दी थी। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में शिखण्डी एक ट्रांसजेंडर थी जो एक महिला थी, परन्तु कौरवों की सेना को हराने के लिए वह पुनर्जन्म लेकर पुरुष के शरीर में आई थी। एक अन्य कहानी भगवान् शिव के एक रूप 'अर्धनारीश्वर' की है, जिसमें शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ अर्धनारी बनने के लिए संविलीन हो जाते हैं। शिव का यह अवतार कहीं न कहीं सिद्ध करता है कि लिंग की तरलता (जेंडर फ्लुडिटी) और कामुकता (सेक्सुएलिटी) हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।

कामसूत्र मे ट्रांसजेंडर को तृतीय प्रकृति कहा गया है जो वैदिक और पौराणिक हिन्दू साहित्य के अभिन्न अंग हुआ करते थे। पुराणों में अप्सरा (स्त्री), गन्धर्व (पुरुष) और किन्नर - इन तीन प्रकार के संगीत और नृत्य के देवताओं की चर्चा मिलती है। बौद्ध त्रिपिटक लिंग की चार श्रेणियों को मान्यता देता है - महिला, पुरुष, पडंका और ओबटोव्यंजनक। साथ ही थर्ड जेंडर प्राचीन हिन्दू विधि मनुस्मृति, भाषा विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिर्विज्ञान में भी मौजूद था।

ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है कि ट्रांसजेंडर को हिन्दू पौराणिक कथाओं में भगवान् के बहुत करीब माना जाता था। भारत में हिन्दू देवी 'बाहुचरा माता' को हिजड़ा समुदाय का संरक्षक माना जाता है। थर्ड जेंडर को भगवान् के समान माना जाता था, इसलिये बच्चों के जन्म के दौरान उनके आशीर्वाद को शुद्ध और प्रभावी माना जाता था इसीलिये लोगों को उनके साथ दुर्व्यवहार करने से मना किया गया था। इन्हीं सब कारणों से, थर्ड जेंडर को हमारे प्राचीन रीति-रिवाजों और प्रथाओं में महत्वपूर्ण माना जाता रहा है।

इस्लामी दुनिया में, विशेष रूप से औटोमन साम्राज्य और मुगल शासन के दौरान शाही अदालतों मे थर्ड जेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हे पहले 'ख्वाजासरा' भी कहा जाता था जो राजमहलों में रानियों के इर्द-गिर्द रहा करते थे, इसका उदाहरण निर्देशक आशुतोष गोवारीकर द्वारा निर्मित फिल्म 'जोधा अकबर' में देखा जा सकता है। फिल्म के एक चरित्र/कलाकार 'निमात' - जो एक ट्रांसजेंडर के रूप में दर्शाया गया है - को रानी जोधाबाई के कक्ष में देखा जा सकता है जिसने फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही वो राजनीतिक सलाहकारों, प्रशासकों और महलों मे रानीवास के संरक्षक जैसे प्रसिद्ध पदों पर हुआ करते थे। उन्हें चतुर, वफादार और भरोसेमन्द माना जाता था। उन्हें हर जगह आने-जाने की स्वतन्त्रता थी। ट्रांसजेंडर को इस्लाम के धार्मिक स्थलों में भी उच्च पद प्राप्त था, मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मक्का-मदीना की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी इन्हीं पर हुआ करती थी। राजा और रानी के करीब रहने के कारण इन्हें काफी धन भी प्राप्त होता था। इन सभी बातों से यह स्पष्ट होता है कि इस काल के दौरान इनकी स्थिति बेहतर थी।

औपनिवेशिक काल और बदलती दशा

जब भारत औपनिवेशिक शासन के आधीन आया तो थर्ड जेंडर की स्थिति में बदलाव आने लगा। ब्रिटिश अधिकारियों ने विभिन्न कानूनों, जैसे - भारतीय दण्ड संहिता

1860 की धारा 377, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 और अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम 1986, के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के क्रियाकलापों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। उनके द्वारा समलैंगिकता को अपराध और समाज में ट्रांसजेंडर को अपराधी घोषित कर दिया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बन्ध का अपराधीकरण करती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि हिजड़ा, प्रकृति के आदेश के खिलाफ कृत्यों में संलग्न है, साथ ही इसी दौरान हिजड़ों को एक अलग वर्ण या आदिम समुदाय के रूप में देखा गया और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत उनको सूचीबद्ध किया गया ताकि उनको आसानी से अपराधी करार किया जा सके और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 (संशोधित 1986) के द्वारा वेश्यावृत्ति में महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोका गया। अधिनियम के तहत यौनकर्मी (सेक्स वर्कर) पुरुष, महिला या हिजड़ा अपराधी माने जाते हैं। इसका एक उदाहरण हम क्वीन एम्प्रेस बनाम खैराती केस 1884 में देख सकते हैं जिसमें पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि उसे महिलाओं के कपड़े पहनने और महिलाओं के साथ गाना गाने की आदत थी। यह पहला मामला था जिसमें किसी व्यक्ति पर धारा 377 के तहत मुकदमा चलाया गया था। केस फाइलों में उसे खैराती नाम दिया गया और अदालत में उसे 'हिजड़ा' कहा गया। खैराती की चिकित्सा जाँच में पुरुष मैथुन के लक्षण दिखाई दिये थे परन्तु बाद में उसे अपील पर बरी कर दिया गया। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के खिलाफ हिंसा केवल इसलिये हुई क्योंकि उसका लिंग उसके जैविक सेक्स से मेल नहीं खाता था। यह पूरा मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि औपनिवेशिक कानूनी रेकॉर्ड मे थर्ड जेंडर का व्यक्ति अनुपस्थित था। ब्रिटिश अधिकारी इन कानूनों का प्रयोग ट्रांसजेंडर और समलैंगिक व्यक्तियों को परेशान करने और उनका शोषण करने के लिए किया करते थे। इन्होंने ट्रांसजेंडर को निर्वासित करने का प्रयास किया, उनके नृत्य प्रदर्शन और परिवर्तन के कार्य को प्रतिबन्धित किया और साथ ही नागरिक अधिकारों से वंचित रखा। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि जहाँ उन्हें मुगलकाल में काफी सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी उसके ठीक विपरीत ब्रिटिश काल में इनका अपमान और अपराधीकरण किया गया। फलस्वरूप उनकी स्थिति बेहतर से बदतर होती चली गई।

देरी से होता दशा में बदलाव

1947 में, भारत की आजादी के बाद भी औपनिवेशिक काल के इन अधिनियमों को बनाये रखा गया और इनकी वैधता भी जारी रही। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस वर्ग के हमेशा से ही समाज में मौजूद होने के बाद भी इनके अधिकारों की बात प्रमुखता से कभी नहीं उठाई गयी। भारत में यह समुदाय अनिश्चित वातावरण में रहा जिससे उन्हें वर्चस्व, उत्पीड़न और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। यह समुदाय भारत के सीमान्त समुदायों में से एक है। प्रतिदिन इनका जीवन एक संघर्ष है। इन्हें समाज द्वारा स्वीकृति नहीं मिलती और

लगभग हर क्षेत्र, जैसे - स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक योजनाओं आदि में इनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इस तरह के सामाजिक बहिष्कार से उनका आत्म-सम्मान कम हो जाता है। इन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने की आवश्यकता है और सभी प्रकार के शोषण और हिंसा से बचाया जाना चाहिए।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करते हैं, विशेषकर जब वे स्वास्थ्य के मुद्दों, रोजगार के अवसरों की कमीं, अशिक्षा, वृद्धावस्था आदि के कारण पैसा कमाने में असक्षम होते हैं। यहाँ तक की योग्य और कुशल ट्रांसजेंडर लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती और आजीविका के विकल्पों की कमीं के कारण वे वेश्यावृत्ति, भीख माँगना और बधाई देने जैसे कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, फरवरी 2018 में शानवी पोन्नुस्वामी नामक एक ट्रांसजेंडर ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द को एयर इंडिया में नौकरी नहीं मिलने पर इच्छामृत्यु की गुहार लगाते हुए एक पत्र लिखा। ऐसा उसने इसलिये किया क्योंकि उसके लिंग के कारण उसे उसके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। वह लिखती है कि उसने ग्राहक सहायक कार्यकारी के तौर पर एक वर्ष एयर इंडिया में नौकरी की थी और बाद में उसने लिंग परिवर्तन की सर्जरी करा ली थी। लिंग परिवर्तन के बाद दो वर्ष तक वो चार बार आवेदन कर चुकी थी परन्तु उसे नौकरी नहीं दी गई। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि योग्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी समाज में उन्नति के कोई अवसर प्राप्त नहीं होते। हैरानी वाली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से 'थर्ड जेंडर' की पहचान प्राप्त करने के बावजूद उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है।

अप्रैल 2014 में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इस समुदाय को 'थर्ड जेंडर' के रूप में पहचान मिली। यह एक ऐतिहासिक फैसला था, सदियों के उत्पीड़न और बहिष्कार के बाद उन्हें नागरिक और मौलिक अधिकार जैसे वोट का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, शादी करने, औपचारिक समानता का दावा करने आदि अधिकार उपलब्ध कराये गये और उन्हें महिला, पुरुष या तीसरे लिंग के रूप में आत्म-पहचान की अनुमति दी गयी।

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद ही इस समुदाय को एक अलग पहचान और दर्जा मिला। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि ट्रांसजेंडर भी भारत के नागरिक हैं और समाज में उन्हें उन्नति के समान अवसर प्रदान किये जाने चाहिये। लेकिन अगर जमीनी हकीकत को देखें तो अभी भी समाज में उनकी भागीदारी शून्य के बराबर है। अपने अधिकारों तक उनकी पहुँच नहीं है साथ ही अभी भी समाज में उन्हें अमानवीय और गैर-नागरिक माना जाता है जिसके कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। यह समुदाय अक्सर दुर्व्यवहार, भेदभाव, हिंसा और घृणा का शिकार होता है।

हालांकि केन्द्र और राज्य सरकारों ने समय-समय पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए विभिन्न कार्यक्रम और बिल पेश करने की पहल की है। तमिलनाडु

ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर का दर्जा देने वाला पहला राज्य है। अप्रैल 2008 में तमिलनाडु राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भारत का पहला कल्याण बोर्ड शुरू किया। तमिलनाडु सरकार ने आवास योजनाओं एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और विद्यालयों में यौन शिक्षा कार्यक्रम जैसे बुनियादी सकारात्मक कार्यों की पेशकश की, साथ ही तीसरे लिंग के लिए राशन कार्ड जारी किये और कॉलेजों में विशेष कोटे की व्यवस्था की गयी। मार्च 2009 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 'मनसु' हेल्पलाइन नम्बर की भी व्यवस्था की गयी। महाराष्ट्र भारत का दूसरा राज्य बना जिसने कल्याण बोर्ड की स्थापना की तथा पहला ऐसा राज्य बना जिसने ट्रांसजेंडर के लिए सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना की। भारतीय चुनाव आयोग ने 2009 में 'अन्य' के रूप में तीसरी श्रेणी को शामिल किया और उन्हें बैलेट पेपर पर 'अन्य' के रूप में अपने लिंग को चुनने की अनुमति दी। अक्टूबर 2015 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता पुलिस से ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ भेदभाव और कलंक को समाप्त करने के लिए सिविल पुलिस वोलेंटियर फोर्स (सीपीवीएफ) में इनकी भर्ती का अनुरोध किया।

साथ ही नवम्बर 2019 में वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) बिल पारित किया गया, परन्तु अनेक कारणों की वजह से ट्रांसजेंडर प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने इसे 'प्रतिगामी' (रिग्रेसिव) कहा, और ट्रांसजेंडर समुदाय ने इस दिन को लैंगिक न्याय हत्या दिवस (जेंडर जस्टिस मर्डर डे) कहा, क्योंकि यह बिल इनकी अभिलाषाओं पर खरा नहीं उतर सका।

अपने जीवन में सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा के बावजूद कुछ प्रतिष्ठित स्थानों पर काम करने वाले ट्रांसजेंडर के उदाहरण देख सकते हैं जो एक रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं, दिसम्बर 2009 में एक ट्रांस मॉडल करीना शालिन को पहली मिस इंडिया ट्रांसजेंडर पेजेंट के लिए चुना गया था।

के. पृथिका याशिनी चेन्नई में भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब-इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनी थीं। सुप्रसिद्ध शबनम मौसी मध्यप्रदेश राज्य से विधायक के रूप में चुनी जाने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थीं। साथ ही 2017 में ज्योतिबा मण्डल को पहली ट्रांसजेंडर, सिविल कोर्ट लोक अदालत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

एक तरफ जहाँ ट्रांसजेंडर/थर्ड जेंडर के सफल होने के उदाहरण देखे जा सकते हैं वहीं दूसरी तरफ वे अभी भी अपमान का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज प्रिंसिपल मानोबी बन्द्योपाध्याय को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके छात्रों और सहयोगियों ने उनकी यौन पहचान के कारण उनका विरोध किया। इन विवादों से बचने के लिए वे अपना पेशा बदल लेते हैं। ऐसी स्थितियाँ प्रत्येक आठ में से एक ट्रांसजेंडर को वेश्यावृत्ति और ड्रग वर्कर बनने के लिए मजबूर कर देती हैं।

निष्कर्ष

उपर्युक्त सन्दर्भों को गम्भीरता से समझने के बाद यह ज्ञात होता है कि ट्रांसजेंडर के वजूद का उल्लेख प्रत्येक कालखण्ड में मिलता है। प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ से लेकर मुगल काल और फिर औपनिवेशिक काल के साथ-साथ स्वतन्त्रता के पश्चात् के भारत में इस समुदाय विशेष के विद्यमान होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन और मुगल काल में जहाँ इनको काफी सम्मान प्राप्त था, उसके ठीक विपरीत औपनिवेशिक काल में इनकी स्थिति काफी बदतर होती चली गई। 1947 में स्वतन्त्रता के पश्चात् अधिकांश भारतीयों को गतिशीलता और समानता का जीवन प्राप्त हुआ, परन्तु ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज के हाशिये पर ही छोड़ दिया गया। आज के आधुनिक काल में भी इनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, इनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे बुनियादी अधिकारों की बात प्रमुखता से कभी नहीं उठाई गई। हालांकि सरकार ने कई सुधार कार्यक्रम चलाए हैं, परन्तु ठोस नीति की कमी के कारण इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखा गया है।

सन्दर्भ

अग्रवाल, एस. (2017) 'सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स ऑफ ट्रांसजेन्डर इन इंडियन कॉन्स्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव', *जर्नल ऑफ लॉ रिसर्च*, 4(4) : 144-160

अगोरमूर्ति, जी. एवं मिन्ना. जे. एच. (2014) 'लिविंग ऑन द सोसायटी एज : इंडियाज ट्रांसजेन्डर रियलिटीज', *स्प्रिंगर*, 54(4) : 1451-1459

आकांक्षा (2018) 'थर्ड जेंडर की अस्मिता और मानवाधिकार के सवाल', *मानवाधिकार नई दिशाएँ*, रजत जयन्ती विशेषांक, नई दिल्ली

बनर्जी, ए. (2018), 'ट्रान्सफार्मिंग द कॉन्स्टीट्यूशन', [Online: Web] Accessed 24 Oct. 2019 URL: https://himalmag.com/transforming-the-constitution-transgender-persons-protection-rights-bill/

बरुआ, बी. (2019) 'आईडेंटिटी क्राइसिस एंड डिनायल ऑफ बेसिक राइट्स टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी', [Online: Web] Accessed 23 Oct. 2019 URL: https://www.careerlauncher.com/blogs/identity-crisis-and-denial-of-basic-rights-to-the-transgender-community/

चौधरी, एफ. (2017) 'ट्रांसजेन्डर', *आई.जे.ए.आर.आई.आई.ई.*, 2(3) : 239-241

https://khabar.ndtv.com/news/india/tamil-nadus-transgender-writes-to-president-for-mercy-killing-1812339

https://www.in.undp.org/content/india/en/home/sustainable-development/successstories/a-development-agenda-for-transgenders-in-maharashtra.html

आई.आई.एल.एस. (2017) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, 'अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया', 10 March, URL: https://www.iisindia.com/blogs /2017/03/10/ brief-history-transgenders-india/

इंडिया टीवी, 21 अक्टूबर 2014, https://www.indiatvnews.com/politics/national/ shabnam-mausi-india-first-eunuch-hijra-politician-mla-inequality-18963.html

करुणानिधि, जी. (2015) 'ट्रांसजेन्डर्स एंड द मेनस्ट्रीम', *इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल वीकली*, तमिलनाडु, 28 नवम्बर 2015

कुमार, आर. (2016) 'एज्युकेशन ऑफ ट्रांसजेन्डर इन इंडिया : स्टेटस एंड चेलेन्जेस', *इंटरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइन्सेस,* 6(1) : 15-24

मजूमदार, एस. (2017) 'मीट द फर्स्ट ट्रान्सजेन्डर जज इन इंडिया' इंडिया : वुमन न्यूज, [Online: Web] Accessed 27 Oct. 2019 URL: https://womensnews.org/2017/10/mmet-the-first-transgender-judge-in-india/

मल्लापुर, सी. (2019) 'व्हाय न्यू बिल मीन्ट टू बेनिफिट ट्रांसजेन्डर पिपल इज टर्म्ड रिग्रेसिव', [Online: Web] Accessed 26 Oct. 2019 URL: https://www.indiaspend.com/why-new-bill-meant-to-benefit-transgender-people-is-termed-regressive/

माइकलराज, एम. (2015) 'हिस्टोरिकल इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसजेन्डर कम्युनिटी इन इंडिया', *द रिसर्च पब्लिकेशन,* 4(1) : 17-19

मिश्रा, जी. (2009) 'डिस्क्रीमिनलाइजिंग होमोसेक्स्युअलिटी इन इंडिया', रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेटर्स, 17(34) : 20-28

नाम्बियार,एस. (2017) 'अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ हिजरा, इंडियास थर्ड जेंडर', [Online: Web] Accessed 30 Sept. 2019 URL: https://theculturetrip.com/ asia/india/articles/a-bfief-history-of-hijra-indias-third-gender/

नारायण, ए. (2018) 'वेसीलेटिंग बिट्वीन एम्पेथी एण्ड कॉन्टेम्ट : द इंडियन ज्यूडिशियरी एण्ड एल.जी.बी.टी. राइट्स', स्कूल ऑफ एडवांस स्टडी, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इस्टीट्यूट ऑफ कॉमनवेल्थ स्टडीज, 1-23

एनडीटीवी, 15 Novemebr 2015 https://www.indiatvnews.com/politics/national/shabnam-mausi-india-first-eunuch-hijra-politician-mla-inequality-18963.html

न्यूमेन, टी. (2018) 'सेक्स एंड जेंडर : व्हाट इज द डिफरेंस', [Online: Web] Accessed 1 Oct. 2019 URL: https://www.medicatnewstoday.com/ articles/232363.php

पांडे, जी. (2014) 'इंडिया कोर्ट रिकगनाइजेस ट्रान्सजेन्डर पिपल एज थर्ड जेन्डर', [Online: Web] Accessed 23 Oct. 2019 URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-india-27031180

पांडेयार ए. (2019) 'व्हेन संस्कृत ग्रामर यूज मोर देन 2 जेन्डर्स, व्हाय केन्ट इंडियन सोसायटी एक्सेप्ट ट्रांस पिपल?', [Online: Web] Accessed 30 Sept. 2019 URL: https://www.youthkiawaaz.com/2019/07/the-third-gender-of-ancient-india/

plato.stanford.com

सिंह, एम. (2013) 'राइट टू एज्युकेशन', [Online: Web] Accessed 3 Oct. 2019 URL: https://www.legalservices.com/article/1925/Right-to-Education.html

सिंह, पी. (2019) 'व्हाय इज ट्रान्सजेन्डर कम्यूनिटी अनहैप्पी विथ ट्रान्स पर्सन बिल?', [Online: Web] Accessed 25 Oct. 2019 URL: https://www.downtoearth.org.in/blog/ governance/why-is-transgender-community-unhappy-with-trans-persons-bill-67158.

यूएनडीपी (2010) यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (इंडिया), 'हिजरास/ ट्रान्सजेन्डर वुमन इन इंडिया : एचआईवी, ह्यूमन राइट्स एंड स्पेशल एक्सक्ल्यूजन', URL: https://www.undp.org/content/dam/india/docs/hijras.transgender.in_india_hiv_human_rights_and_social_exclusion.pdf

Vikaspedia.in/social-welfare/women-and-child-development/women-development-1/gender-concepts

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 61-75)

मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त संगठनों का तुलनात्मक अध्ययन

बसन्त श्रीवास्तव*

यह शोधपत्र मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त संगठन के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1981 एवं संशोधित 1982 के तहत् मध्यप्रदेश में लोकायुक्त संगठन कार्य कर रहा है एवं वर्तमान में लोकायुक्त की नियुक्ति है। लोकायुक्त के आधीन अन्वेषण संस्था के रूप में (मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 के तहत्) विशेष पुलिस स्थापना के महानिदेशक के अन्तर्गत एक अन्वेषण इकाई कार्य कर रही है। उत्तरप्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत् उत्तरप्रदेश लोकायुक्त संगठन कार्य कर रहा है। उत्तरप्रदेश में वर्तमान में लोकायुक्त की नियुक्ति है। उत्तरप्रदेश में लोकायुक्त संगठन के अन्तर्गत पृथक् से कोई जाँच एजेन्सी नहीं है। उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश सतर्कता स्थापना अधिनियम 1965 के तहत उत्तरप्रदेश सतर्कता अधिष्ठान महानिदेशक सतर्कता के अधीन कार्य करता हैं। सतर्कता अधिष्ठान गृह विभाग उत्तरप्रदेश सरकार के अन्तर्गत कार्य करता है। अध्ययन क्षेत्र भारत देश के इन दो राज्यों मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश में लोकायुक्त संगठन किस प्रकार से कार्य कर रहा है एवं किन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, इसका तुलनात्मक अध्ययन है।

*शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.)
E-mail: basant1974shri@gmail.com

प्रस्तावना

भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना के बाद लगातार विभिन्न स्तरों पर इस बात पर विचार किया जाता रहा है कि एक उत्तरदायी कल्याणकारी शासन व्यवस्था में इस प्रकार की स्वतन्त्र मशीनरी की स्थापना आवश्यक है, जो कार्यपालिका के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जन शिकायतों का निवारण कर सके। इस विचार को प्रशासनिक सुधार आयोग ने ठोस आधार प्रदान किया। श्री मुरारजी देसाई की अध्यक्षता में इस आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। आयोग द्वारा अक्टूबर 1966 में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि सरकार द्वारा 'लोकपाल' तथा 'लोकायुक्त' नाम से दो भिन्न संस्थाओं की स्थापना की जाए। प्रतिवेदन के अनुसार लोकपाल द्वारा केन्द्र और राज्य के मन्त्रियों तथा सचिवों के प्रशासनिक कार्यो से सम्बन्धित शिकायतों की जाँच की जाना थी, जबकि लोकायुक्त द्वारा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध जाँच किये जाने की सिफारिश थी। बाद में कतिपय राज्यों द्वारा अपने प्रदेशों के लिए लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई।

भारत देश में वर्तमान में 28 राज्य हैं, जिनमें से ज्यादातर राज्यों में लोकायुक्त संगठन कार्य कर रहा है। अन्वेषण हेतु विशेष पुलिस स्थापना का गठन कई राज्यों में और कई राज्यों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का गठन है, जो भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणों का अन्वेषण करता है। वास्तव में लोकपाल तथा लोकायुक्त संस्था की अवधारणा, स्वीडन की संस्था ओम्बड्समेन पर आधारित है। भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट आचरण से है, परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकसेवकों अथवा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अपने वेतन के अतिरिक्त अपने पद का दुरुपयोग कर, किसी को अवैध लाभ पहुँचाकर, अपने आय से अधिक सम्पत्ति का निर्माण या अपने कार्य के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति से कार्य करने हेतु अवैध पारितोषण का ग्रहण करना आता है। वर्तमान समय में अधिकांश शासकीय एवं अशासकीय संगठन उक्त भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं। भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए आचार्य चाणक्य ने कहा था - "जिस प्रकार जिह्वा पर रखे हुए एक बूँद शहद का स्वाद न ले पाना मुश्किल है, उसी तरह राज्य के कर्मचारी द्वारा राज्य के एक अंश का भक्षण न कर पाना मुश्किल है।"[1] कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार के 40 प्रकार बताये थे।

"भ्रष्टाचार से अभिप्राय किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने सार्वजनिक पद अथवा स्थिति का दुरुपयोग करते हुए किसी प्रकार का आर्थिक अथवा किसी अन्य प्रकार का लाभ उठाना। यह एक व्यवहार है जिसमें सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु सार्वजनिक कर्तव्यों से विचलित होता है अथवा नियमों का उल्लंघन इस प्रकार से करता है जिसमें कुछ विशेष प्रकार के निजी लाभ प्राप्त हो सकें।"[2]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्टाचार के 27 रूप गिनाये हैं। के. संथानम् समिति ने भ्रष्टाचार को स्पष्ट करते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान ऐसा कर्तव्य जो किसी लाभ की दृष्टि से किया जाये अथवा जानबूझकर न किया जाये, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने वीरप्पा मोईली की अध्यक्षता में चौथा प्रतिवेदन फरवरी-2007 को शासन में नैतिकता के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय लोकायुक्त के गठन के सुझाव दिये थे, इसके अलावा लोकायुक्त के पद को संवैधानिक किये जाने का भी सुझाव दिया था एवं भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण करने हेतु उनके द्वारा विभिन्न सुझाव दिये गये थे, जिसके तहत भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का सुझाव दिया गया था एवं बेनामी लेन-देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 का तत्काल क्रियान्वयन करने का सुझाव दिया गया था।[3]

भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट आचरण, शिष्टाचाररहित या नैतिकताविहीन व्यवहार का परिचायक होता है। भ्रष्टाचार का आशय दो दृष्टियों से समझा जा सकता है, संकीर्ण दृष्टि में भ्रष्टाचार का अभिप्राय किसी कार्य को करने या न करने के लिए रिश्वत देना है तो व्यापक दृष्टि में भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद या सत्ता का दुरुपयोग करने को कहते हैं।[4]

लोकायुक्त से अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत् की गई हो, जो शासकीय सेवकों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर, किसी अन्य को लाभ पहुँचाकर, अवैध पारितोषण प्राप्त किया गया हो की जाँच कर सके एवं किसी शासकीय सेवक द्वारा अपने वैध आय स्रोतों के अनुपात में अकूत सम्पत्ति अर्जित की हो जो उसकी वैध आय से कहीं अधिक हो, कि जाँच करे एवं किसी शासकीय सेवक द्वारा लोकसेवक के पद पर रहते हुए पद के सामान्य अनुक्रम में किये गये कृत्यों को करते हुए, अवैध पारितोषण की माँग करे एवं ग्रहण करे तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने में सक्षम हो।[5]

भारत के विभिन्न राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई है, मध्यप्रदेश और कर्नाटक के लोकायुक्त के नियन्त्रण में अन्वेषण हेतु एक विशेष पुलिस स्थापना, संगठन होता था, जो भ्रष्टाचार के मामलों का अन्वेषण करता था, परन्तु वर्तमान में कर्नाटक में लोकायुक्त के अधीन उक्त जाँच एजेन्सी को अलग कर दिया गया है, अब केवल मध्यप्रदेश में ही उक्त जाँच एजेन्सी लोकायुक्त के अधीन है। शेष राज्यों में सतर्कता अधिष्ठान या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य सरकारों के अधीन कार्य कर रहे है। उत्तरप्रदेश में लोकायुक्त संगठन स्वायत्त संस्था है, इसके अधीन जाँच एजेन्सी नहीं है स्वयं ही सुनवाई करते हैं। उत्तरप्रदेश में पृथक् से सतर्कता अधिष्ठान है, जो राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है।

राज्यों के लोकायुक्त संगठन के तुलनात्मक अध्ययन से यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि उक्त संगठनों पर राज्य सरकारों का कितना प्रभाव अथवा दबाव रहता है एवं उक्त संगठनों ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन में कितना योगदान दिया है एवं किन परिस्थितियों और परिवेश में किस तरह का परिणाम प्रदान किया है, क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं एवं राज्यों में अलग-अलग राजनीतिक दलों की सरकारों का शासन है। किसी राज्य में लोकायुक्त प्रभावी कार्यवाही कर रहा है एवं किसी राज्य में कम कार्यवाही कर रहा है। किसी राज्य में कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। इन सब परिस्थितियों हेतु जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करना एवं लोकायुक्त संगठनों का भ्रष्टाचार उन्मूलन में

प्रभावी योगदान हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, जिससे कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में कारगर उपाय प्राप्त किये जा सके। मध्यप्रदेश में लोकायुक्त संगठन का एक कार्यालय एवं इसके अन्तर्गत आने वाले आठ कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना के एवं सात कार्यालय सम्भागीय सतर्कता समितियों के है। मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन एक स्वायत्त संस्था है जिसके अधीन जाँच एजेन्सी मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 के अन्तर्गत विशेष पुलिस स्थापना, महानिदेशक के निर्देशन में कार्य करता है जिसका पर्यवेक्षण लोकायुक्त मध्यप्रदेश करते हैं।[6] उत्तरप्रदेश में लोकायुक्त संगठन का एक कार्यालय है जो स्वायत्त होकर स्वतन्त्र कार्य करता है। उत्तरप्रदेश सतर्कता अधिनियम 1965 के अन्तर्गत उत्तरप्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कार्य करता है, इसके 14 कार्यालय हैं जो उत्तरप्रदेश सरकार के गृह विभाग अन्तर्गत कार्य करते हैं।[7]

अध्ययन के उद्देश्य एवं प्रविधिगत सन्दर्भ

अध्ययन के उद्देश्य प्रमुखत: लोकायुक्त की कार्यवाही से लोकसेवकों या शासकीय सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार पर कितना अंकुश लगा है, ज्ञात करना है; दोनों राज्यों में लोकायुक्त की प्रभावी कार्यवाही होने से शासकीय विभागों एवं लोकसेवकों में भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति पर कितना अंकुश लगा है, ज्ञात करना है; किन परिस्थितियों में लोकायुक्त संगठन प्रभावी कार्यवाही कर रहा है, ज्ञात करना है; लोकायुक्त की नियुक्ति किन राज्यों में निष्पक्षता से एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए की गई है एवं इसका भ्रष्टाचार रोकने में कितना योगदान है, ज्ञात करना; दोनों राज्यों में लोकायुक्त संगठन द्वारा दर्ज किये गये प्रकरण में से कितने प्रकरण अभियोजित किये जाकर, दोषियों को सजा हुई है एवं कितने प्रकरण में अभियोजन नहीं किया जा सका है, ज्ञात करना; लोकायुक्त संगठन द्वारा की जाने वाली जाँचों का दोनों राज्य में कितना प्रभाव है, ज्ञात करना।

शोध पत्र में तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक स्रोत मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन, सरकारी दस्तावेज, पत्रिका और इन्टरनेट रहे हैं। विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन का आधार द्वितीयक स्रोत जैसे पुस्तकें आदि रहे हैं। इसके साथ ही तथ्य संकलन हेतु आवश्यकतानुसार साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन पद्धति से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

मध्यप्रदेश के लोकायुक्त संगठन आनुषांगिक संगठन की कार्यप्रणाली एवं प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आँकड़े

मध्यप्रदेश में लोकायुक्त संगठन की स्थापना के लिए मूलत: एक विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा वर्ष 1975 में पारित किया गया था, किन्तु केन्द्र सरकार द्वारा लोकपाल विधेयक में कतिपय परिवर्तन विचाराधीन होने के कारण इस पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के प्रकाश में राज्य के विधेयक पर भी

पुनर्विचार किया गया तथा तदनुसार तैयार किया गया विधेयक मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 1980 में प्रस्तुत हुआ। अप्रेल 1981 में विधेयक पारित होने तथा उस पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त विधेयक अधिनियम के रूप में लागू हुआ तथा 14 फरवरी 1982 से राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा उसे प्रभावशील किया गया।

लोकायुक्त

मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन के प्रमुख 'लोकायुक्त' होते हैं। इस पद पर नियुक्ति के पात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे हों। मुख्यमन्त्री, उप-मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, उप-मन्त्री, संसदीय सचिव, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, विशेष सचिव मध्यप्रदेश शासन की जाँच लोकायुक्त द्वारा ही की जा सकती है।

उप-लोकायुक्त

उप-लोकायुक्त के पद पर ऐसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों अथवा रहें हों या भारत सरकार में सचिव के पद पर अथवा राज्य या केन्द्र शासन में समकक्ष पद पर रहे हों। उप-लोकायुक्त ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनकी जाँच के अधिकार केवल लोकायुक्त में ही वेष्ठित हैं, अन्य प्रकरणों की जाँच कर सकते हैं। लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त की सहायता हेतु संगठन में चार शाखाएँ कार्यरत हैं -

1. प्रशासकीय कार्य एवं जाँच शाखा

संगठन में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी सचिव के पद पर पदस्थ हैं, जो सम्पूर्ण संगठन के विभागाध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करते हैं। प्रशासकीय एवं जाँच शाखा के प्रमुख भी सचिव हैं। सचिव की सहायता हेतु एक उप सचिव, एक अवर सचिव, एक लेखा अधिकारी एवं चार अनुभाग अधिकारी भी संगठन में पदस्थ हैं।

2. विधि शाखा

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त को वैधानिक सलाह देने तथा महत्वपूर्ण प्रकरणों की जाँच में उनकी सहायता करने के लिए संगठन में चार विधि सलाहकार एवं एक उप-विधि सलाहकार पदस्थ हैं, जो उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी होते हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होते हैं, साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति संविदा पर भी की जाती है।

3. तकनीकी शाखा

तकनीकी स्वरूप के प्रकरणों की जाँच के लिए संगठन के अधीन तकनीकी शाखा भी कार्यरत है। इस शाखा के प्रमुख, मुख्य अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, जिनकी सहायता हेतु एक अधीक्षण यन्त्री, तीन कार्यपालन यन्त्री, छः सहायक यन्त्री तथा दो तकनीकी सहायक के पद स्वीकृत हैं।

4. विशेष पुलिस स्थापना

मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947 के अन्तर्गत विशेष पुलिस स्थापना संगठन कार्य करता है, जिसका पर्यवेक्षण महानिरीक्षक के अधीन था, जिसे वर्ष 2003 में उक्त अधिनियम में संशोधित कर उक्त अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत अन्वेषण के पर्यवेक्षण का अधिकार लोकायुक्त मध्यप्रदेश को दिया गया है।[8]

लोक प्रशासन से सम्बन्धित कतिपय अपराधों के अनुसन्धान के लिए विशेष पुलिस बल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया गया। विशेष पुलिस स्थापना के प्रमख, महानिदेशक होते हैं, जिनकी सहायता के लिए दो अतिरिक्त महानिदेशक, सात पुलिस अधीक्षक तथा 33 उप पुलिस अधीक्षक तथा अन्य दर्जे के अधिकारी/कर्मचारी के पद हैं।

सम्भागीय सतर्कता समितियाँ

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1982 में वर्ष 1998 में संशोधन कर धारा 13ए जोड़ी गई, जिसके अन्तर्गत जिला स्तर पर जिला सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया। वर्ष 2003 में जिला सतर्कता समिति का नाम सम्भागीय सतर्कता समिति संशोधित किया गया। अधिनियम की धारा 13ए के अनुसार प्रत्येक सम्भागीय सतर्कता समिति में तीन सदस्य होंगे, जिनमें से एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होगा जो सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग से निम्न पद श्रेणी का नहीं होगा या एक ऐसा सेवानिवृत्त कार्यपालिक अधिकारी होगा जो राज्य सरकार के प्रथम वर्ग अधिकारी से निम्न पद श्रेणी का न हो और जिसे न्यायालय के कार्य का अनुभव हो। समिति के अन्य दो सदस्यों के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं रखा गया है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा लोकायुक्त की सिफारिश पर की जाती है। सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है तथा यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के बाद समिति का सदस्य नहीं रह सकेगा। समिति को केवल ऐसी शिकायतों की जाँच करने का अधिकार है, जो उन्हें इस हेतु लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त द्वारा भेजी जाएँ।[9]

लोकायुक्त मध्यप्रदेश के पद पर न्यायमूर्ति श्री एन.के. गुप्ता की नियुक्ति दिनांक 18.10.2017 को की गई थी। उनका कार्यकाल छः वर्ष का है, वर्तमान में दो उप-लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री उमेशचन्द्र माहेश्वरी एवं न्यायमूर्ति श्री सुशीलचन्द पालो हैं। लोकायुक्त के

सचिव के पद पर डॉ. अरुणा गुप्ता हैं। श्री राजीव टंडन, महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल हैं, श्री के.टी. वाईके, अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना भोपाल हैं, लोकायुक्त के अधीन पाँच विधि सलाहकार श्री अखिलेश कुमार गुप्ता, श्री भूपेन्द्र कुमार निगम, श्री आर.पी. मिश्रा, श्री आर.के.एस. गौतम, श्री अतुल खण्डेलवाल पदस्थ हैं एवं तकनीकी सलाहकार हेतु श्री एन.एस. जौहरी, मुख्य अभियन्ता, श्री हेमन्त कुमार जैन, अधीक्षण यन्त्री पदस्थ हैं। विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त के सम्भागीय कार्यालयों में निम्न पुलिस अधीक्षक पदस्थ हैं - श्री मनु व्यास पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय भोपाल, श्री अनिल विश्वकर्मा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन, श्री सव्यसाची सर्राफ पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय इन्दौर, श्री संजीव सिन्हा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय ग्वालियर, श्री गोपाल धाकड़ पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय रीवा, श्री संजय साहू पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर, श्री रामेश्वर यादव पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर पदस्थ हैं।

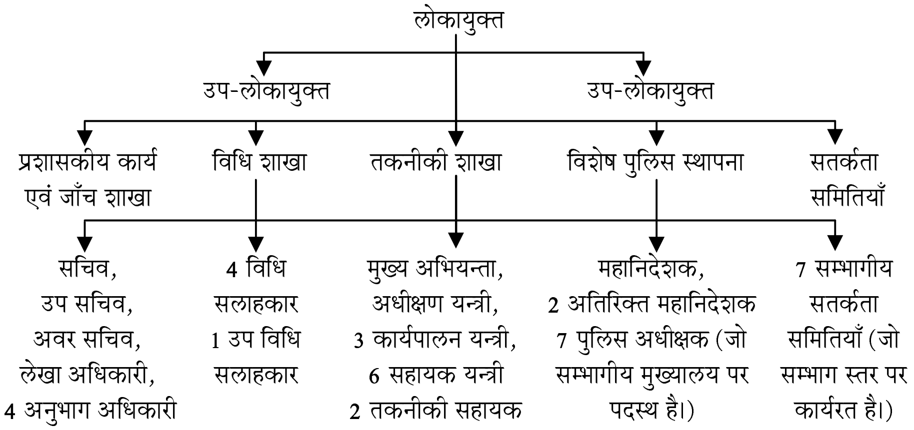

लोकायुक्त संगठन को 2014-15 एवं 2015-16 में प्राप्त शिकायतें एवं उनका निराकरण

अवधि	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतें	वर्ष में प्राप्त शिकायतें	कुल शिकायतें	नस्तीबद्ध शिकायतें	विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गईं शिकायतें	शिकायतें जो जाँच हेतु पंजीबद्ध की गईं	वर्ष के अन्त में परीक्षण हेतु लम्बित शिकायतें
2014-15	33	5687	5720	4675	-	915	130
2015-16	130	5023	5153	3692	03	1034	424

स्रोत - लोकायुक्त मध्यप्रदेश का 33वाँ एवं 34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 एवं 2015-16[10]

लोकायुक्त संगठन को 2014-15 एवं 2015-16 में मुख्यमन्त्री, मन्त्रियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

अवधि	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतें	वर्ष में प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुल शिकायतें	नस्तीबद्ध की गई शिकायतों की संख्या	जाँच हेतु पंजीबद्ध शिकायतों की संख्या	लम्बित शिकायतों की संख्या
2014-15	-	24	24	22	02	-
2015-16	-	12	12	12	-	-

स्रोत - लोकायुक्त मध्यप्रदेश का 33वाँ एवं 34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 एवं 2015-16[10]

लोकायुक्त संगठन को 2014-15 एवं 2015-16 में पंजीबद्ध जाँच प्रकरणों का विवरण

अवधि	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रकरण	वर्ष में पंजीबद्ध किये गये प्रकरण	कुल प्रकरण	वर्ष में निराकृत किये गये प्रकरण	वर्ष के अन्त में लम्बित प्रकरण
2014-15	1661	934	2595	1073	1522
2015-16	1522	1063	2585	1123	1462

स्रोत - लोकायुक्त मध्यप्रदेश का 33वाँ एवं 34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 एवं 2015-16[10]

लोकायुक्त संगठन को 2014-15 एवं 2015-16 में विभागीय कार्यवाही हेतु अनुशंसित प्रकरणों में अधिकारियो/कर्मचारियों का विवरण जिन्हें शास्ति अधिरोपित की गई

अवधि	प्रकरणों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त लोकसेवकों की संख्या	
		राजपत्रित	अराजपत्रित
2014-15	23	22	33
2015-16	28	39	44

स्रोत - लोकायुक्त मध्यप्रदेश का 33वाँ एवं 34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 एवं 2015-16[10]

वर्ष 2015 एवं 2016 में विशेष पुलिस स्थापना द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

वर्ष	ट्रेप अपराध	पद का दुरुपयोग अपराध	अनुपातहीन सम्पत्ति अपराध	योग	चालान	सजा	दोषमुक्ति
2015	411	197	26	634	273	142	41
2016	310	71	21	402	415	137	36

स्रोत - लोकायुक्त मध्यप्रदेश का 33वाँ एवं 34वाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2014-15 एवं 2015-16[9]

लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश की स्थापना मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा अप्रैल-1981 में पारित अधिनियम के द्वारा की गई है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की नियुक्ति उनके कार्यभार ग्रहण करने से छः वर्ष की अवधि के लिए होती है तथा वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इसी प्रकार लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त के पद से मुक्त होने के उपरान्त उनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन के अधीन किसी भी शासकीय पद, सहकारी संस्था, शासकीय कम्पनी अथवा निगम में नहीं की जा सकती।

लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाली ऐसी सभी शिकायतों की जाँच की जा सकती है जिनका विषय शिकायत के दिनांक को पाँच वर्ष से

अधिक पुराना न हो। उनके द्वारा ऐसे प्रकरणों में जाँच नहीं की जा सकती, जिनमें लोकसेवक जाँच अधिनियम, 1950 अथवा कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के अन्तर्गत पूर्व से ही जाँच आदेशित की जा चुकी है। लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त को इस बात की छूट है कि वे स्वविवेक से उस प्रक्रिया का निर्धारण करें जो जाँच के लिए आवश्यक है। साक्षियों आदि की उपस्थिति के लिए साक्ष्य अधिनियम, 1872, एवं दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में निहित प्रावधानों के अनुसार शक्तियाँ लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त में वेष्ठित की गई हैं। लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त के सम्मुख विचाराधीन सभी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 एवं 228 के अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही किये जाने का प्रावधान भी अधिनियम में किया गया है। लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त को न्यायालय की अवमानन अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत न्यायालय की मान्यता भी दी गई है। अत एव उनके आदेशों अथवा निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही की जा सकती है।

अधिनियम की धारा 12(1) में यह प्रावधान है कि यदि किसी भी लोकसेवक के विरुद्ध अभिकथनों के सम्बन्ध में जाँच करने के पश्चात् लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को यह समाधान हो जाये कि ऐसे अभिकथन सिद्ध हो गये हैं, तो सुसंगत दस्तावेजों, सामग्री तथा अन्य साक्ष्य के साथ, अपने निष्कर्ष तथा अपनी सिफारिशें लिखित रिपोर्ट द्वारा सक्षम अधिकारी को संसूचित करेगा। धारा 12-क में इसी सन्दर्भ में मुख्यमन्त्री एवं नेता प्रतिपक्ष के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान कर यह व्यवथा की गई है कि उनसे सम्बन्धित प्रकरणों में प्रतिवेदन तथा अनुशंसा राज्यपाल महोदय को भेजी जायेगी। इस प्रावधान का यह स्पष्ट आशय है कि सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्यपाल महोदय को अभिकथन सिद्ध होने की स्थिति में ही रिपोर्ट तथा अनुशंसा भेजी जाना है, अन्य स्थिति में नहीं।

अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त की रिपोर्ट की प्राप्ति के तीन माह के अन्दर सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी इस बात की जानकारी उन्हें उपलब्ध करायेगा कि उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई अथवा क्या कार्यवाही प्रस्तावित है। किसी प्रकरण में की गई कार्यवाही से तुष्टि न होने की स्थिति में लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त को यह अधिकार है कि वे तत्सम्बन्ध में राज्यपाल को विशेष प्रतिवेदन भेजें।

अधिनियम के अन्तर्गत सद्भाविक तौर पर की गई किसी भी कार्यवाही के लिए लोकायुक्त अथवा उप-लोकायुक्त या संगठन के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। ऐसे प्रकरणों में जहाँ लोकायुक्त यह अनुभव करें कि किसी भी प्रचलित प्रक्रिया के कारण प्रशासन में कदाचार अथवा भ्रष्टाचार का अवसर उत्पन्न होता है तो वे शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर ऐसे उपाय का सुझाव कर सकते हैं, जैसा वे उपयुक्त समझें। अधिनियम के माध्यम से संगठन में विभिन्न अधिकार वेष्ठित करने के बाद से संगठन की भूमिका निश्चित रूप से प्रभावकारी सिद्ध हुई है।

उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त संगठन एवं सतर्कता अधिष्ठान की कार्यप्रणाली एवं प्राथमिक स्रोत से प्राप्त आँकड़े

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तरप्रदेश के लोकसेवकों के कुप्रशासन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की शिकायत सुनने तथा इनका निवारण करने हेतु शासन को संस्तुति प्रस्तुत करना है। उत्तरप्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975 के अन्तर्गत दो प्रकार के परिवाद ग्रहण किये जाते हैं - पहला 'शिकायत' तथा दूसरा 'अभिकथन'।[11]

उत्तरप्रदेश में वर्तमान में माननीय न्यायाधीश श्री संजय मिश्रा लोकायुक्त के पद पर दिनांक 31 जनवरी 2016 से पदस्थ हैं, इनका कार्यकाल आठ वर्ष तक का है एवं वर्तमान में तीन उप-लोकायुक्त पदस्थ हैं - 1. श्री शम्भुसिंह यादव (रिटायर्ड आई.ए.एस.), 2. श्री डी.के. सिंह (रिटायर्ड डी.जे.), 3. श्री सुरेन्द्रकुमार यादव (रिटायर्ड डी.जे.) एवं लोकायुक्त के सचिव श्री अनिल कुमार सिंह उच्च न्यायिक सेवा से हैं तथा मुख्य अन्वेषण अधिकारी श्री अपूर्व सिंह ए.डी.जे. हैं एवं इनके अन्तर्गत तीन अन्वेषण अधिकारी - 1. श्री राहुल रूसिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 2. श्री आलोक सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, 3. श्री जितेन्द्र सिंह, उप पुलिस अधीक्षक हैं। अन्वेषण अधिकारी को जाँच माननीय लोकायुक्त महोदय द्वारा सौंपी जाती है एवं संगठन में संयुक्त सचिव श्री राजेश सिंह हैं एवं श्री अवनीश शर्मा जनसम्पर्क अधिकारी हैं।

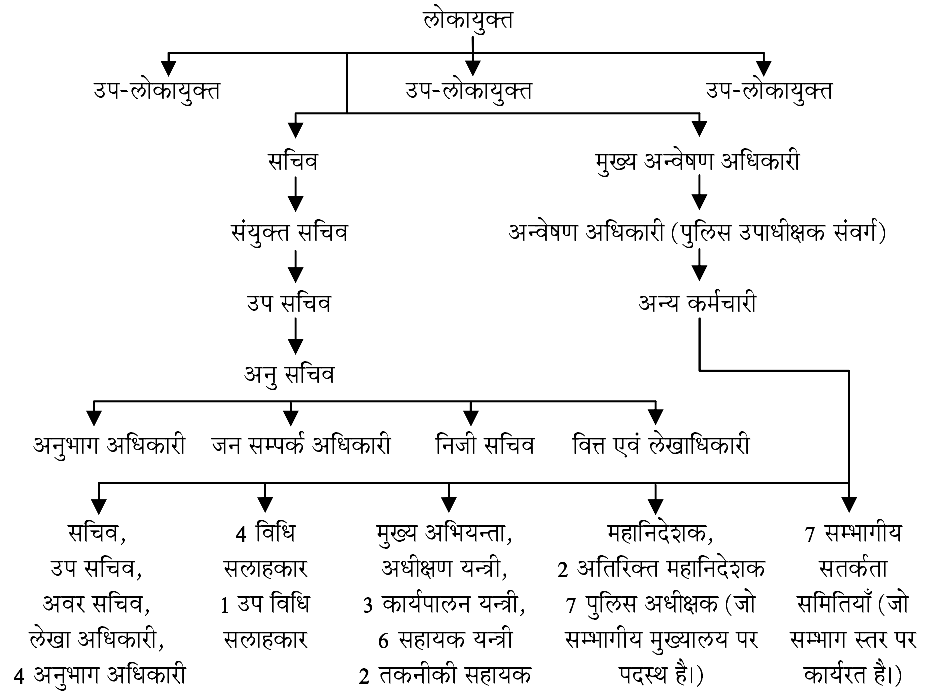

उत्तरप्रदेश के लोकायुक्त का देश में सबसे लम्बा कार्यकाल आठ वर्ष का है। लोकायुक्त का एक अलग कार्यालय है। लोकायुक्त का कार्य उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाँच करना, जाँच के बाद कार्यवाही के लिए राज्य सरकार से संस्तुति करना, कुशासन के विरुद्ध कार्यवाही करना, लोगों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए काम करना है। उत्तरप्रदेश लोकायुक्त के पास जाँच एजेन्सी नहीं है। वह सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर जाँच करता है। यह दस्तावेज शिकायतकर्ता ही देता है उक्त शिकायत पर साक्ष्य एकत्र करने के लिए लोकायुक्त संगठन के पास एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं दो उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। उत्तरप्रदेश लोकायुक्त स्वत: संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है। किसी शिकायतकर्ता द्वारा दिये गये शपथपत्र पर ही जाँच करता है एवं उसके साक्ष्य शिकायतकर्ता ही देता है। जाँच में आरोप सही पाये जाने पर लोकायुक्त सरकार से कार्यवाही करने की संस्तुति करता है। स्वयं अपराध दर्ज नहीं कर सकता।

सतर्कता अधिष्ठान उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम 1965 के तहत् उत्तरप्रदेश का सतर्कता अधिष्ठान कार्य करता है एवं इस अधिनियम के तहत् विशेष पुलिस बल कार्य करता है जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् प्रदेशभर में कार्यवाही कर सकता है। उक्त सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है एवं इसका प्रमुख महानिदेशक सतर्कता होता है। इसके अधीनस्थ अतिरिक्त महानिदेशक एवं संयुक्त निदेशक एवं 14 पुलिस अधीक्षक विभिन्न सम्भागों में कार्य करते हैं।

उत्तरप्रदेश लोकायुक्त संगठन द्वारा माह जनवरी से दिसम्बर 2015 के मध्य लम्बित एवं निस्तारित परिवादों का विवरण

क्र.	माह	प्राप्त परिवादों की संख्या	सीधे निक्षेप किये गये परिवाद		4 और 5 का योग	नये परिवादों की श्रेणी		निस्तारण हेतु लिये गये कुल परिवाद	पूर्व से लम्बित परिवाद	9 + 10 योग	निस्तारित परिवादों की संख्या	निस्तारण हेतु लम्बित परिवाद 11-12
			सूचना पुस्तिका	अधिकार क्षेत्र से बाहर		शिकायत	अभिकथन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जन.-15	327	50	253	303	10	14	24	840	864	37	827
2	फर.-15	435	49	364	413	15	7	22	827	849	35	814
3	मार्च-15	406	26	355	381	12	13	25	814	839	13	826
4	अप्रै.-15	385	70	291	361	14	10	24	826	850	27	823
5	मई-15	405	92	280	372	18	15	33	823	856	58	798
6	जून-15	429	57	347	404	12	13	25	798	823	33	790

क्र.	माह	प्राप्त परिवादों की संख्या	सीधे निक्षेप किये गये परिवाद		4 और 5 का योग	नये परिवादों की श्रेणी		निस्तारण हेतु लिये गये कुल परिवाद	पूर्व से लम्बित परिवाद	9 + 10 योग	निस्तारित परिवादों की संख्या	निस्तारण हेतु लम्बित परिवाद 11-12
			सूचना पुस्तिका	अधिकार क्षेत्र से बाहर		शिकायत	अभिकथन					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	जुला.-15	349	38	293	331	7	11	18	790	808	29	779
8	अगस्त-15	327	28	273	301	12	14	26	779	805	29	776
9	सित.-15	275	28	215	243	21	11	32	776	808	13	795
10	अक्टू.-15	181	34	133	167	11	3	14	795	809	22	787
11	नव.-15	146	32	98	130	7	9	16	787	803	25	778
12	दिस.-15	220	22	184	206	9	5	14	778	792	26	766
	योग	3885	526	3086	3612			273			347	

स्रोत - लोकायुक्त उत्तरप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2015[12]

लोकायुक्त संगठन द्वारा माह जनवरी से दिसम्बर 2016 के मध्य लम्बित एवं निस्तारित परिवादों का विवरण

क्र.	माह	पूर्व से लम्बित परिवाद	प्राप्त परिवादों की संख्या	कुल योग (3+4)	प्रारंभिक स्तर पर निस्तारित परिवाद	अन्वेषण हेतु लिये गये परिवाद			अन्वेषण के बाद निस्तारित परिवाद	कुल योग (6+10)	निस्तारण हेतु लम्बित परिवाद (3-4)
						शिकायत	अभिकथन	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	जनवरी-16	305	250	555	312	9	6	15	23	335	220
2	फरवरी-16	220	442	662	406	12	24	36	14	420	242
3	मार्च-16	242	343	585	321	12	10	22	25	346	239
4	अप्रैल-16	239	299	538	249	27	23	50	11	260	278
5	मई-16	278	348	626	280	29	39	68	11	291	335
6	जून-16	335	295	630	242	19	34	53	17	259	371
7	जुलाई-16	371	313	684	259	30	25	55	26	285	399
8	अगस्त-16	399	288	687	223	27	38	65	22	245	442
9	सितम्बर-16	442	289	731	227	37	25	62	15	242	489
10	अक्टूबर-16	489	178	667	138	20	20	40	11	149	518
11	नवम्बर-16	518	164	682	132	9	23	32	16	148	534
12	दिसम्बर-16	534	184	718	78	90	16	106	25	103	615
	योग		3393		2867	321	283	604	216	3083	

स्रोत - लोकायुक्त उत्तरप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन 2016[12]

सकर्तता अधिष्ठान का पदानुक्रम निम्नानुसार है -

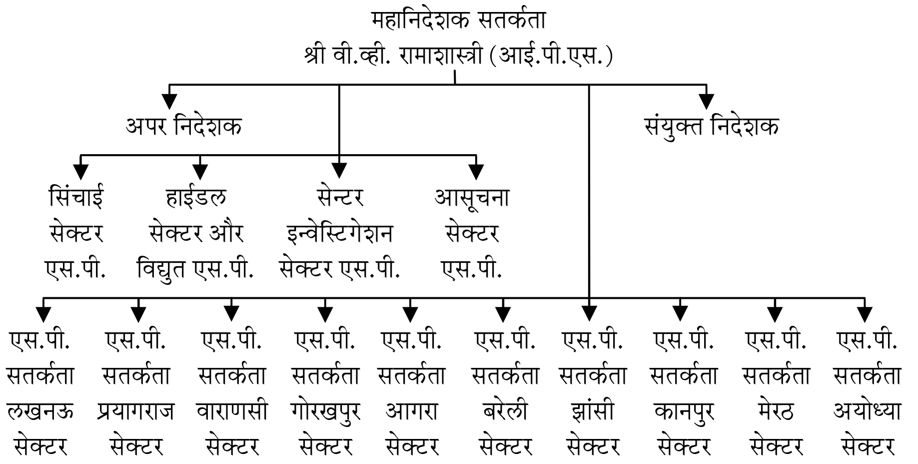

वर्ष 2015 एवं 2016 में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

वर्ष	पंजीकृत अभियोग	पूर्ण की गयी विवेचना	प्रमाणित पाये गये अभियोग	अप्रमाणित पाये गये अभियोग	सजा	दोषमुक्ति
2015	78	72	67	5	6	9
2016	53	49	47	2	6	15

स्रोत - महानिदेशक सतर्कता अधिष्ठान उत्तरप्रदेश से साक्षात्कार से प्राप्त आँकड़े

मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उत्तरप्रदेश लोकायुक्त की शक्तियों एवं कार्यवाहियों की तुलना

मध्यप्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल मध्यप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981-82 के तहत् छः वर्ष का होता है जबकि उत्तरप्रदेश लोकायुक्त का कार्यकाल आठ वर्ष का होता है। मध्यप्रदेश लोकायुक्त के अधीन एक स्वतन्त्र जाँच एजेन्सी विशेष पुलिस स्थापना होती है जिसका प्रमुख महानिदेशक स्तर का अधिकारी होता है। मध्यप्रदेश लोकायुक्त स्वयं ही जाँच प्रकरण दर्ज कर जाँच कर सकते हैं एवं यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत् अपराध पाया जाता है तो अपराध पंजीबद्ध विशेष पुलिस स्थापना से करवाकर अन्वेषण करवाने के उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करवाने की शक्तियाँ हैं।[14] उत्तरप्रदेश लोकायुक्त केवल शिकायतों एवं जाँच प्रकरणों में यदि कोई त्रुटि या अपराध पाते हैं तो वे अपनी रिपोर्ट कार्यवाही करने हेतु सरकार को प्रेषित करते हैं। यह सरकार पर निर्भर होता है कि वह उन पर विभागीय कार्यवाही करे या अपराध पंजीबद्ध करवाकर अन्वेषण करवाये। इस तरह शक्तियों के स्तर से मध्यप्रदेश लोकायुक्त को उत्तरप्रदेश लोकायुक्त से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं क्योंकि यह एक पृथक् जाँच एजेन्सी है। उत्तरप्रदेश लोकायुक्त संगठन केवल कार्यवाही की अनुसंशा करता है। उत्तरप्रदेश में सतर्कता अधिष्ठान के महानिदेशक के

अधीन संगठन कार्य करता है जो कि उत्तरप्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है एवं वह गृह विभाग उत्तरप्रदेश सरकार के अधीन कार्य करता है तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से सम्बन्धी अपराधों[13] का पंजीयन एवं अन्वेषण उक्त संगठन के द्वारा किया जाता है।

क्र.	मध्यप्रदेश लोकायुक्त	क्र.	उत्तरप्रदेश लोकायुक्त
1	स्व-प्रेरणा से जाँच कर सकता है।	1	स्व-प्रेरणा से जाँच नहीं कर सकता है।
2	छः वर्ष का कार्यकाल होता है।	2	आठ वर्ष का कार्यकाल होता है।
3	न्यायिक योग्यता अनिवार्य है।	3	न्यायिक योग्यता अनिवार्य है।
4	मुख्यमन्त्री भी जाँच के दायरे में है।	4	मुख्यमन्त्री जाँच के दायरे में नहीं है।
5	विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा के साथ स्वयं आपराधिक प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज करा सकते हैं एवं अनुसन्धान अपने पर्यवेक्षण में विशेष पुलिस स्थापना से कराकर न्यायालय में अभियोजित करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत कराते हैं।	5	केवल विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा करते हैं। यदि अपराध पाते है तो भी सरकार को उक्त अपराध दर्ज करवाने हेतु सलाह देते हैं। सतर्कता अधिष्ठान इनके अन्तर्गत कार्य नहीं करता है।
6	उप-लोकायुक्त का प्रावधान है।	6	उप-लोकायुक्त का प्रावधान है।
7	भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।	7	भ्रष्टाचार के आरोपों के अलावा कुशासन की भी जाँच करते है।
8	लोकायुक्त संगठन द्वारा की गई कार्यवहियों की तालिकाओं में कार्यवाही वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में शिकायत जाँच एवं जाँच प्रकरण एवं विशेष पुलिस स्थापना द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत की गई कार्यवाहियों तालिकाओं के अनुसार अत्यधिक है एवं भ्रष्टाचारियों को न्यायालय से सजा का प्रतिशत अच्छा है।	8	लोकायुक्त संगठन द्वारा वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 में परिवाद की कार्यवाही अपेक्षाकृत कम है। सतर्कता अधिष्ठान द्वारा भी भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही अपेक्षाकृत कम है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

उत्तरप्रदेश लोकायुक्त संगठन उत्तरप्रदेश राज्य के लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत् कार्य करता है एवं लोकायुक्त उत्तरप्रदेश प्राप्त शिकायतों के आधार पर जाँच करने के उपरान्त कार्यवाही करने के अनुशंसा राज्य शासन को करता है एवं उस पर कार्यवाही राज्य शासन के द्वारा की जाती है। लोकायुक्त उत्तरप्रदेश के पास स्वयं के पास कोई जाँच एजेन्सी नहीं है। मध्यप्रदेश लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश राज्य के लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1981 के अन्तर्गत कार्य करता है एवं समक्ष में आई शिकायतों के आधार पर जाँच कर, यदि उसमें अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत् पाया जाता है तो अपनी जाँच एजेन्सी विशेष पुलिस स्थापना को अपराध दर्ज कर विवेचना करने हेतु आदेशित करता है एवं विवेचना उपरान्त अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर अभियोजित करने हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करवाता है।

अतः स्पष्ट है कि अधिकार क्षेत्र के रूप में उत्तरप्रदेश लोकायुक्त एवं मध्यप्रदेश लोकायुक्त अपने-अपने राज्यों के अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करते हैं परन्तु भ्रष्टाचार

निवारण करने हेतु मध्यप्रदेश लोकायुक्त में उत्तरप्रदेश लोकायुक्त की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ निहित हैं।

लोकायुक्त को प्रभावी बनाने हेतु सुझाव

लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा दिया जाय, लोकायुक्त को शपथ पत्र में शिकायत करने की बाध्यता समाप्त की जाये, लोकायुक्त को पुलिस की तरह छान-बीन करने एवं तलाशी लेने तथा माल जब्त करने का अधिकार हो, लोकसेवकों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में स्व-प्रेरणा से संज्ञान ले सकें, लोकायुक्त की अनुशंसाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जाये, लोकायुक्त को मान-हानि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के समान अधिकार दिया जाये, भ्रष्टाचारियों को अभियोजित किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति की बाध्यता समाप्त की जाना चाहिये।

सन्दर्भ

1. कौटिल्य - *अर्थशास्त्र*
2. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा - *लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार एवं भारतीय प्रशासन*
3. सुरेन्द्र कटारिया - *लोक प्रशासन सिद्धान्त एवं व्यवहार*
4. सुरेन्द्र कटारिया - *भारतीय लोक प्रशासन*
5. *मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1981-82*
6. *मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947*
7. *उत्तरप्रदेश सतर्कता स्थापना अधिनियम 1965*
8. *मध्यप्रदेश विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1947*
9. *मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1981*
10. *मध्यप्रदेश लोकायुक्त उप-लोकायुक्त का तैतीसवाँ एवं चौतीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन,* वर्ष 2014-15, 2015-16
11. *उत्तरप्रदेश राज्य लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975*
12. *उत्तरप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन 2015*
13. *उत्तरप्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन 2016*
14. *भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988*

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 76-82)

ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

राजेश कुमार एम. सोसा*

सामान्यत: निर्धनता को जनसंख्या वृद्धि का कारक माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ महिलाओं में अधिक होती हैं। प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण समुदाय को केन्द्र में रखकर किया गया है, ग्रामीण समुदाय का जीवन परम्परा केन्द्रित होता है, जहाँ महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक महत्व निम्नस्तरीय रहता है। स्वास्थ्य के सन्दर्भ में ग्रामीण महिलाओं की स्थिति की जानकारी हेतु प्रस्तुत विषय का चयन किया गया है। उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना तथा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

प्रस्तावना

वर्तमान समय में महिलाएँ अपने अधिकार के प्रति जाग्रत हुई हैं। संविधान में उन्हें विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन व्यवहार में उनके अधिकारों को स्वीकृति नहीं मिली है। सरकार और स्वैच्छिक संगठन उनकी स्थिति सुधारने हेतु सतत प्रयत्न करते हैं, फिर भी

*सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग, एल. आर. वलिया विनयन एवं पी.आर. मेहता वाणिज्य महाविद्यालय, भावनगर (गुजरात). E-mail: rajeshsosa1983@gmail.com

उनकी स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की दयनीय स्थिति विशेष रूप से दिखाई देती है। सामान्यत: निर्धनता को जनसंख्या वृद्धि का कारक माना जाता है। जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ महिलाओं में अधिक होती हैं। ग्रामीण महिलाओं में पोषण की कमीं से स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से उन्हें गर्भावस्था के दौरान पोषणाहार नहीं मिलता है और भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रथा के अनुसार परिवार के पुरुषों द्वारा भोजन कर लेने के पश्चात् ही महिलाएँ भोजन करती हैं, फलस्वरूप महिलाओं को पूर्ण आहार नहीं मिल पाता है। भारत में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामों में निवासरत है, अत: ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार अनिवार्य आवश्यकता बन गया है।

स्वास्थ्य की परिभाषा

सामान्यत: स्वास्थ्य के लिए इंग्लिश शब्द 'हेल्थ' का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द जर्मन और एंग्लो सेक्शन शब्द 'हेल' से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है 'होलनेस'। सामान्य भाषा में 'होलनेस' का अर्थ समग्र, स्वास्थ्य अथवा पवित्र होता है। स्वास्थ्य को आरोग्य अथवा तन्दरुस्ती भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1946 में स्वास्थ्य की परिभाषा प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कुशलक्षेम अथवा बीमारी की अनुपस्थिति ही नहीं है वरन् स्वास्थ्य की उत्तमता है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की संकल्पना का एक व्यापक दृष्टिकोण है। आयुर्वेद में निरोगी अवस्था को प्रकृति और रोगी अवस्था को विकृति कहा जाता है।

भारत में स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता

वर्ष	पेटा स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुहिक स्वास्थ्य केन्द्र	कुल
1981-85	84376	9115	761	94252
1985-90	130165	18671	1910	150746
1992-97	136258	22149	2633	161040
1997-2002	137311	22875	3054	163240
2002-2007	145272	22370	4045	171687
2007-2012	148366	24049	4833	177248
2012-2017	156231	25650	5624	187505

स्रोत : राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल - 2018

गुजरात में स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा

गुजरात की स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय, सामान्य और समुदाय की आवश्यकता के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है। राज्य में 300 सामूहिक आरोग्य केन्द्र, 1,174 प्राथमिक आरोग्य केन्द्र और 7,710 पेटा केन्द्र अक्तूबर 2014 के अन्त में कार्यरत थे।

सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र और चिकित्सा संस्था

वर्ष	अस्पताल	जहर जनता स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक आरोग्य केन्द्र	कुल केन्द्र	पेटा केन्द्र
2004-05	269	273	1070	1612	7274
2005-06	268	272	1072	1613	7274
2006-07	268	273	1073	1614	7274
2007-08	268	273	1073	1614	7274
2008-09	257	283	1054	1624	7274
2009-10	257	291	1105	1653	7274
2010-11	256	305	1114	1675	7274
2011-12	259	318	1158	1730	7274

स्रोत : Statistical Outline, Gujarat State Directorate of Economicsand Statistics, Gandhinagar.

सरकारी अस्पताल में बिस्तरों की संख्या और आरोग्य केन्द्र

क्रम	विगत	वर्ष	गुजरात	भारत	राज्य का हिस्सा
1	सरकारी अस्पतालकी संख्या	2013	388	1947	1.96
2	बिस्तर की संख्या	2013	27908	628708	4.44
3	प्राथमिक आरोग्य केन्द्र	2014	1158	25020	4.63
4	सामूहिक आरोग्य केन्द्र	2014	300	5363	5.59
5	पेटा केन्द्र	2014	7274	152326	4.78

स्रोत : सामाजिक-आर्थिक समीक्षा. अर्थशास्त्र और आँकड़ाशास्त्र नियामक की कचेरी, गान्धीनगर

भावनगर जिले में स्वास्थ्य सुविधा की स्थिति

क्रम	तहसील का नाम	सामूहिक आरोग्य केन्द्र	प्राथमिक आरोग्य केन्द्र	पेटा प्राथमिक आरोग्य केन्द्र	मातृत्व एवं बाल कल्याण केन्द्र
1	वल्लभीपुर	00	03	17	00
2	उमराला	00	02	16	00
3	भावनगर	01	04	25	23
4	घोघा	00	03	14	00
5	सीहोर	03	03	26	01
6	गारियाधार	00	03	26	17
7	पालिताना	00	04	29	00
8	तलाजा	02	08	42	02
9	महुवा	00	10	53	00
	टोटल	08	48	291	65

स्रोत : हैण्डबुक ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट, सेन्सस-2011

महिला स्वास्थ्य सेवाएँ और योजनाएँ

भारत जैसे देश में भौगोलोक विषमता, सुविधा की कमीं और विशाल जनसमुदाय के कारण अन्तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना एक चुनौती है। वर्तमान में

तकनीकी विकास और भौतिक विकास के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई है। सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्य के लिए कुछ योजनाएँ लागू की गई हैं, जो निम्नानुसार हैं -

- टेलीमेडिसिन
- माता एवं बाल ट्रेकिंग सिस्टम
- किलकारी योजना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल
- पोषण अभियान योजना
- अन्तर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अभियान दिवस
- दूध संजीवनी योजना
- जननी सुरक्षा योजना
- कस्तूरबा पोषण सही योजना
- चिरंजीवी योजना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- मुख्यमन्त्री अमृतम् योजना
- राष्ट्रीय पोषाहार योजना

शोध का चयन

निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। समाजशास्त्र में समाज के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हुए, लेकिन महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति एवं समस्याओं को उनमें समाविष्ट नहीं किया गया, अत: प्रस्तुत विषय 'ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और समस्या : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन' का चयन शोध हेतु किया गया। प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण समुदाय को केन्द्र में रखकर किया गया है।

अधययन के उद्देश्य

1. उत्तरदाता की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना।
2. ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और समस्या की जानकारी प्राप्त करना।
3. ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के कारण का पता लगाना।
4. ग्रामीण महिलाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं हेतु समाधान खोजना।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन हेतु गुजरात राज्य के भावनगर जिले की भावनगर तहसील के दस गाँवों का चयन किया गया। प्रत्येक गाँव में से उद्देश्यपूर्ण यदृच्छ निदर्शन पद्धति के आधार पर 30-30 महिला उत्तरदात्ताओं को निदर्श में सम्मिलित कर प्रस्तुत अध्ययन के लिए 300

उत्तरदाताओं का निदर्श तैयार किया गया। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं से जानकारी एकत्र करने हेतु साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया।

चर

प्रस्तुत अध्ययन में स्वतन्त्र और आधारित चरों के आधार पर प्राप्त जानकारी का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

स्वतन्त्र चर

जिस चर के गतिमान मूल्य के गुणधर्म को पहचाना जा सकता है उस चर को स्वतन्त्र चर कहा जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में आयुष्य, आय, व्यवसाय और शिक्षा को स्वतन्त्र चर में समाविष्ट किया गया है।

आधारित चर

जिस चर का मूल्य अन्य चर के मूल्य पर निर्भर रहता है, उस चर को आधारित चर कहा जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में ज्ञान, चेतना, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक कटौती, आदि आधारित चर माने गये हैं।

सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि

सामाजिक विज्ञान में अध्ययन के लिए सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिड्वेल के मतानुसार सिद्धान्त का निर्माण विशिष्ट घटना को समझने के लिए विचारों का निर्माण और उनको संगठित करने की प्रक्रिया है। प्रस्तुत अध्ययन स्वास्थ्य सम्बन्धी समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों से सम्बद्ध है। प्रस्तुत अध्ययन मुख्यत: रचनातन्त्रीय प्रकार्यवाद और अन्त:क्रियावाद जैसे समाजशास्त्रीय अभिगमों पर आधारित है। समाजशास्त्रीय सिद्धान्त स्वास्थ्य और समाज के बीच अन्त:सम्बन्ध को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाजशास्त्रियों के मतानुसार बीमारी और बीमारी का अनुभव सामाजिक संस्था का परिणाम है। गरीबी, निम्न जीवनस्तर और काम करने की परिस्थिति मनुष्य को बीमार बनाती है। कृषि व्यवसाय से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं में श्रम की तुलना में पोषणयुक्त आहार की कमीं रहती है, फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य को समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के साथ जोड़कर उनका सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है।

स्वास्थ्य का सामाजिक अभिगम

पार्सन्स समाज के आर्थिकेतर महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह सामाजिक भूमिका के रूप में बीमारी की भूमिका को स्पष्ट करने से सम्बद्ध है जो आधुनिक समाज में सामाजिक तनाव का स्वरूप है। इस तरह पार्सन्स एक ही समय में रूढ़िवादी और निर्णायक दोनों हैं।

फूको जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए चिकित्सा ज्ञान की सामाजिक भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। व्यक्ति अपनी सामान्य सामाजिक भूमिका का पालन करने के लिए प्रेरणा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाज मे विभिन्न प्रतिस्पर्धी संरचनाएँ मिलती हैं। सामाजिक संरचना एक तरफ सहकारपूर्ण है तो, दूसरी ओर विरोधाभासी भी है। पार्सन्स जब समाज की संरचना की बात करते हैं, तब ग्रामीण समाज की महिलाएँ भी संरचना का हिस्सा बनती हैं। इसी तरह स्वास्थ्य सम्बन्धी जो नियम समाज पर लागू होती हैं, वे सभी नियम ग्रामीण महिलाओं पर भी लागू होते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन भावनगर जिले में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और समस्या के सन्दर्भ में किया गया है, जिसमें तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है। एकत्रित तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए -

सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन के उत्तरदाताओं में सबसे अधिक 78 प्रतिशत उत्तरदाता 20 से 40 आयु वर्ग के तथा 75 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इससे सिद्ध होता है कि उत्तरदाता सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं और यही पिछड़ापन स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार 67 प्रतिशत उत्तरदाता छोटे परिवारों में रहते हैं, ये बात दिखाती है कि ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु जागरूकता है। बीमारी के दौरान अस्पताल जाने वाले 62 प्रतिशत उत्तरदाता हैं, लेकिन सिर्फ 26 प्रतिशत उतरदाताओं के गाँवों में सरकारी अस्पताल की सुविधा है। प्रस्तुत अध्ययन में 24 प्रतिशत उत्तरदाता केवल बीमारी के समय ही स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं। 69 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सरकारी अस्पताल के कर्मचारी मरीज को सन्तोषजनक मार्गदर्शन देते हैं। सरकारी एम्बुलेंस और 108 की सुविधा के बारे में लगभग 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी है। प्रस्तुत अध्ययन में 26 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बीमारी का खर्च स्वयं वहन किया जाता है, जबकि 57 प्रतिशत पति और 2 प्रतिशत पुत्र या पुत्री खर्च वहन करते हैं। 65 प्रतिशत उतरदाता घर में पशुओं को साथ में रखते हैं, उनकी साफ-सफाई और देखरेख करते हैं और उनका मल-मूत्र भी स्वयं साफ करते हैं। पशु-निवास में जाते समय पैर में चप्पल या जूता नहीं पहनते है, जो बीमारी का कारक बनता है। प्रस्तुत अध्यान में 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 18 से 23 वर्ष की अल्पायु में होने से उनमें प्रजनन क्षमता अधिक समय तक बनी रहती है और प्रसूति के दौरान अच्छी तरह से स्वास्थ्य की देखभाल के अभाव से स्वास्थ्य का स्तर निम्न रहता है। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के निदान हेतु 70 प्रतिशत उत्तरदाता चिकित्सक से परामर्श लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ग्रामीण महिलाओं में गर्भावस्था में देखभाल और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अध्ययन में यह परिलक्षित हुआ कि 38 प्रतिशत महिलाओं को कोई न कोई व्यसन है और ये व्यसन उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि वे नशे के

दुष्परिणामों से परिचित हैं। 74 प्रतिशत महिलाएँ घर की रसोई चूल्हे पर बनाती हैं। चूल्हे में लकड़ी और केरोसिन का उपयोग होने के परिणामस्वरूप उनकी आँखों को नुकसान और सिर में दर्द रहता है।

ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर डालने वाले विभिन्न कारकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारण जिम्मेदार हैं। ग्रामीण महिलाओं में पोषणयुक्त आहार की कमीं से आवश्यक पोषक तत्वों, विटामिन और लौह तत्वों की कमीं रहती है। ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में कमीं के प्रमुख कारक देखें तो निर्धनता, कुपोषण, स्वच्छता की कमीं, शिक्षा का निम्न स्तर, निम्न आर्थिक स्थिति, बार-बार प्रसूति, परम्परा, स्वास्थ्य सुविधा की कमीं, बहुविध भूमिका, अन्ध श्रद्धा आदि कारक देखने को मिलते हैं।

शोध का महत्व

सामाजिक अध्ययन का महत्व को शोध की यथार्थता और व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर जाना जा सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन प्रदर्शित समस्याओं के आधार पर भविष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिनिर्माण में उपयोगी रहेगा तथा ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर उनके निराकरण हेतु उपयोगी बनेगा। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ और जागृति निम्नस्तरीय होती है, फलस्वरूप ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य समस्याएँ सदैव विद्यमान रहती हैं, प्रस्तुत अध्ययन भावी शोधकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययन हेतु प्रेरणा प्रदान करेगा।

सन्दर्भ ग्रंथ

अग्रवाल, शशिरानी (2006) *स्त्री : वर्तमान सन्दर्भ में,* विजय प्रकाशन, वाराणसी.

गोयल, एस.एल. (2005) *पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

किशोर जे. (2007) *नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया,* सेन्चुरी पब्लिकेशन, नई दिल्ली.

महाजन, संजीव (2008) *ग्रामीण समाजशास्त्र,* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.

परमार, वाय.ए. (2011) *समाजशास्त्रीय सिद्धान्त,* यूनिवर्सिटी ग्रन्थ निर्माण बोर्ड, अहमदाबाद.

राजकुमार (2008) *महिला एवं विकास,* अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली.

रावल, चन्द्रिका और ध्रुव, शैलजा (2008) *गुजरात मा स्त्री का स्थान,* पार्श्व पब्लिकेशन, अहमदाबाद.

सेन, अमित (2007) *हेल्थ, एज्युकेशन एंड न्यूट्रीशन,* ईशा बुक्स प्रायवेट लिमिटेड, कोयम्बटूर.

शुक्ल, शिलिन एन. (2018) *आरोग्य और उनकी देखरेख,* सद्विचार परिवार, अहमदाबाद.

वाघेला, अनिल (2017) *स्वच्छता का समाजशास्त्र का स्वरूप,* ज्ञान बुक्स प्रा.लि., दिल्ली.

मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल
(म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान का समीक्षित अर्द्धवार्षिक जर्नल)
ISSN: 0973-8568 (वर्ष 19, अंक 2, दिसम्बर 2021, पृ. 83-88)

पुस्तक समीक्षा

आइडियोलॉजी एंड आइडेन्टिटी : द चेंजिंग पार्टी सिस्टम्स ऑफ इण्डिया

प्रदीप के. छिब्बर एवं राहुल वर्मा

ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 2018, पृ. 320, मूल्य : रु. 1195

जया ओझा*

प्रदीप छिब्बर और राहुल वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक 'आइडियोलॉजी एंड आइडेन्टिटी: द चेंजिंग पार्टी सिस्टम्स ऑफ इण्डिया' के अन्तर्गत भारतीय दलीय राजनीति में विचारधारा की महत्ता को दर्शाया गया है तथा उस दृष्टिकोण को चुनौती दी गयी है जो यह मानता है कि भारतीय दल की राजनीति तथा चुनाव 'विचारों' से दूर है। लेखक इस पुस्तक के अन्तर्गत तर्क देते हैं कि भारतीय राजनीति विचारधारात्मक है तथा वैचारिक संघर्ष भारतीय राजनीति में हमेशा से ही विद्यमान रहा है। वैचारिक संघर्ष भारत में दलीय राजनीति का निर्माण करते हैं तथा उनको आकार प्रदान करते हैं। इस पुस्तक की विशिष्टता यह है कि इसमें आनुभाविक पद्धति का प्रयोग किया गया है, इसके अन्तर्गत सर्वेक्षण आँकड़ों, सीएसडीएस के अभिलेखों, संविधान सभा की बहसों की रिपोर्ट तथा सरकारी आँकड़ों आदि के माध्यम से भारतीय राजनीति में वैचारिक संघर्षों के इतिहास को बताने का प्रयत्न किया गया है। छिब्बर और वर्मा

*पीएच्.डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
E-mail: jojha@polscience.du.ac.in

का मानना है कि समकालीन भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में प्रसिद्ध अवधारणा यह है कि यह अव्यवस्थित, नेता केन्द्रित, भ्रष्ट, अस्थिर तथा अवैचारिक है। साथ ही यह भी माना जाता है कि भारत एक आकर्षक लोकतान्त्रिक देश है जिसके अन्तर्गत अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव होते हैं। इसके समरूप ही एक अवधारणा यह भी है कि भारत में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव इसलिये देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर राजनेता तथा उनके मतदाताओं के बीच संरक्षक-ग्राहक (पेट्रन-क्लाइंट) का सम्बन्ध, मतों की खरीददारी तथा भ्रष्ट राजनेता पाये जाते हैं, इस प्रकार भारतीय राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं होती है। 2009 के चुनाव के समय न्यूयॉर्क टाइम्स के एक ओपिनियन में लिखा गया था कि भारत का चुनाव विश्व के सबसे न्यूनतम वैचारिक चुनावों में से एक है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है।

प्रदीप छिब्बर और राहुल वर्मा अपनी इस पुस्तक के माध्यम से इस दृष्टिकोण पर असहमति व्यक्त करते हुए यह तर्क देते हैं कि भारतीय राजनीति गहरी विचारधारात्मक है तथा यह कम से कम सात या आठ दशकों से वैचारिक रही है। साथ ही इन्होंने मतों की खरीददारी को एक मिथक के रूप में बताया। इस पुस्तक के अन्तर्गत लेखक भारतीय चुनावी राजनीति में विचारधारा को महत्वपूर्ण मानते हुए आनुभाविक पद्धति के द्वारा इसका विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

इस पुस्तक को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है - पुस्तक के प्रथम भाग में लेखकों द्वारा भारतीय राजनीति में वैचारिक विभाजन का ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक आधार प्रदान किया गया है। लेखक का मानना है कि पश्चिमी यूरोपीय प्रतिमान जो एक विचारधारा का गठन करता हैं वह बीसवीं सदी के बहुजातीय (मल्टी एथनिक) देशों पर लागू नहीं होते हैं। पश्चिमी यूरोप कई ऐतिहासिक चरणों से होकर गुजरा है, जैसे - पुनर्जागरण, सुधारवादी तथा औद्योगिक क्रान्ति - यह सभी ऐतिहासिक आन्दोलन समाज में मुख्य दरार उत्पन्न करते हैं, जबकि अधिकतर उत्तर औपनिवेशिक राज्य (एशिया और अफ्रीका) इस प्रकार के ऐतिहासिक अनुभवों से होकर नहीं गुजरे हैं, यहाँ पर पूंजी और श्रम, ग्रामीण और शहरी, केन्द्र तथा परिधि, चर्च और राज्य तथा अमीर-गरीब जैसा कोई विभाजन भी नहीं था जो पश्चिम यूरोप में देखने को मिला। इस प्रकार यह दरार भारतीय राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं करती परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत में विचारधारात्मक संघर्ष विद्यमान नहीं था। लेखकों द्वारा भारत में वैचारिक संघर्ष को दर्शाने के लिए दो सैद्धान्तिक आधार प्रस्तुत किये गये हैं जो संविधान सभा में मुख्य विवाद का विषय रहे। पहला - पहचान की राजनीति, जिसके अन्तर्गत कुछ प्रश्न उठाये गये, जैसे - कोटा को सम्मिलित किया जाए या नहीं, एफर्मेटिव एक्शन किसको दिया जाए किसको नहीं, भारतीय राज्य में हिन्दू बहुमत प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाए या धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों का। इस प्रकार यह पहले वैचारिक संघर्ष का आधार बना। दूसरा - राज्यवाद की राजनीति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक मानदण्डों और निजी सम्पत्ति के पुन:वितरण में राज्य की भूमिका को लेकर प्रमुख विवाद रहा। इस पुस्तक के अन्तर्गत कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों की पुष्टि करते हुए छिब्बर और वर्मा तर्क देते हैं कि रामायण से लेकर

अर्थशास्त्र, महाभारत, बौद्ध ग्रन्थ आदि में कहा गया है कि राज्य को सामाजिक मानदण्डों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य का कार्य प्रशासन का प्रबन्धन करना मात्र होना चाहिए। यहाँ तक कि गाँधी भी राज्य की भूमिका को हिंसात्मक मानते हुए कहते हैं कि कोई भी परिवर्तन समाज द्वारा होना चाहिए न कि राज्य द्वारा।

इस प्रकार पुस्तक के प्रथम भाग में लेखक विचारधारात्मक विभाजन के सैद्धान्तिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रखने का प्रयास करते हैं, जबकि पुस्तक के द्वितीय भाग में कुछ अनुभवजन्य साक्ष्यों के द्वारा विचारधारात्मक संघर्ष को दर्शाते हैं। इसके लिए सर्वेक्षण आँकड़ों तथा सीएसडीएस के अभिलेखों का प्रयोग करके भारतीय दलीय राजनीति की संरचना में विचारधारात्मक संघर्ष को दिखाते हैं। इन आँकड़ों द्वारा लेखक बताते हैं कि वर्ष 1967 तथा 1990 से 2004 में इन दोनों वैचारिक पैमानों (पहचान की राजनीति तथा राज्यवाद की राजनीति) का स्वरूप समान रहा है। 1967 में भारतीय जनसंघ तथा इनके मतदाताओं द्वारा राज्यवाद तथा पहचान की राजनीति का विरोध किया गया, जबकि कांग्रेस केन्द्र में थी, वहीं समाजवादी या वामपन्थी दल और उनके मतदाताओं द्वारा राज्यवाद तथा मान्यता की राजनीति को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार 2004 तक समान वैचारिक संघर्ष बना रहा। 2014 के चुनाव में मोदी ने दोनों वैचारिक पैमानों को एक साथ समाहित करके दक्षिणपन्थियों को संगठित करने का प्रयास किया, और अन्ततः उन्हें विजय प्राप्त हुई। अतः प्रत्येक चुनाव में वैचारिक संघर्षों की अहम भूमिका रही है। लेखक कहते हैं कि बौद्धिक वर्ग या अभिजन वर्ग अपने विचारों को जनता तक पहुँचाने के लिए घोषणा-पत्रों, आन्दोलनों, मीडिया, संगठनों, धार्मिक प्रथाओं आदि का सहारा लेते हैं। इस प्रकार वो अपनी विचारधाराओं को जनता तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। छिब्बर और वर्मा ने सर्वेक्षण द्वारा यह भी पता लगाने का प्रयत्न किया कि पार्टियों द्वारा दिये गये मुफ्त उपहार तथा भेंट चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं या नहीं। उन्होंने पाया कि चुनाव परिणाम को उपहार या भेंट प्रभावित नहीं करता अपितु दल के 'मुद्दे' प्रभावित करते हैं । लोग मुद्दों से प्रभावित होकर मत देते हैं।

पुस्तक के तृतीय भाग में लेखक द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार इन दोनों विचारधारात्मक पैमानों द्वारा भारतीय दलीय व्यवस्था को संरचित किया जाता है। इसके लिए वे दलीय व्यवस्था के चार चरणों की बात करते हैं। पहली दलीय व्यवस्था (1952-67) जिसे रजनी कोठारी द्वारा 'कांग्रेस प्रणाली' का नाम दिया गया, इस समय कांग्रेस केन्द्र में थी तथा दक्षिणपन्थ अन्य दलों में विभक्त था (भारतीय जनसंघ, रामराज्य परिषद्, ऑर्थोडॉक्स हिन्दू महासभा)। इस काल में कांग्रेस द्वारा राज्यवाद तथा पहचान की राजनीति में सन्तुलन बनाये रखने के भरसक प्रयास किये गये, परन्तु दूसरी दलीय व्यवस्था (1967-87) में कांग्रेस द्वारा राज्यवाद पर अत्यधिक बल दिया गया तथा पहचान आधारित नीतियों पर इसके द्वारा कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीति का उद्‌भव हुआ तथा कई क्षेत्रीय दलों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही गठबन्धन की सरकारों का अस्तित्व भी देखा जाने लगा। तीसरी दलीय व्यवस्था (1988-2014) व्यवस्था के अन्तर्गत

मण्डल, मन्दिर जैसे आन्दोलन कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हुए। उच्च जातियों में कांग्रेस की नीतियों (राज्यवाद और पहचान पर आधारित) को लेकर रोष उत्पन्न हुआ। उन्होंने भाजपा की तरफ अपना रुख किया, अन्य पिछड़े वर्गों ने क्षेत्रीय दलों को अपना समर्थन देना शुरू किया। अत: 1990 से भारतीय चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का उत्थान हुआ और साथ ही अन्य कई क्षेत्रीय दलों का उद्‌भव हुआ। 2004 और 2009 में कांग्रेस कुछ लोकप्रिय नीतियों के साथ आई, परन्तु 2014 के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा बना जो भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल कराने में सहायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार 2014 से चौथी दलीय व्यवस्था राजनीति की शुरुआत हुई। पहचान और राज्यवाद की राजनीति के आधार पर वैचारिक विभाजन भारतीय दलीय व्यवस्था के लिए एक मानदण्ड स्थापित करता है। इसके साथ ही लेखक यह मानते हैं कि कांग्रेस का पतन अचानक नहीं हुआ, अपितु इस पतन की प्रक्रिया वर्ष 1960 से ही निरन्तर धीरे-धीरे चल रही थी। लेखक कहते हैं कि कांग्रेस के पतन के पीछे का कारण उसका नेतृत्व या संगठन नहीं अपितु विचारधारा है, क्योंकि कांग्रेस अपनी विचारधारा को अन्य क्षेत्रीय दलों की विचारधारा से अलग करने में असफल रही। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और बंगाल जैसे राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं कुछ राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आज भी सत्ता में है क्योंकि इन राज्यों में वह अपनी विचारधारा को भाजपा की विचारधारा से अलग करने में सफल साबित हुई है। 2014 के चुनाव का विश्लेषण करते हुए लेखक बताते हैं कि इस चुनाव में मोदी का नेतृत्व भाजपा के लिए अत्यन्त लाभदायक सिद्ध हुआ, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। 2014 में भाजपा को मत न केवल उच्च वर्गों द्वारा मिला अपितु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों की भी उतनी ही भूमिका रही। इस समय भारतीय जनता दल के मतदाताओं में वह भी शामिल थे जो आरक्षण तथा राज्यवाद का विरोध कर रहे थे। इसमें ज्यादातर युवा वर्ग सम्मिलित था। इस प्रकार मोदी ने दोनों में सामंजस्य बैठाते हुए 2014 में सफलता हासिल की। 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही परन्तु आने वाले समय में उसके समक्ष कुछ मुख्य चुनौतियाँ हैं, जैसे - 2014 में भाजपा को अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति से ज्यादा मत हासिल हुए परन्तु भाजपा की संरचना में अभी भी उच्च वर्ग के लोगों का प्रभुत्व है, इनके वैचारिक गठबन्धन में मतभेद देखने को मिलता है। भाजपा के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मोदी के बाद भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा जो मोदी की तरह ही भाजपा को सफलता दिलाएगा। इन सब चुनौतियों पर विचार करने की आवश्यकता है ।

पुस्तक के चतुर्थ भाग में लेखकों द्वारा कुछ निहितार्थ या उलझनों को बताया गया है। लेखक तर्क देते हैं कि प्रतिस्पर्धी लोकप्रियता भारतीय राजनीति में निरन्तर बढ़ रही है, राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए अनेक प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं जिससे भारत की राजस्व नीति पर दबाव बढ़ सकता है। भारत में लिंग आधारित भेदभाव भी देखने को मिलता है। इस पर सुधार की प्रक्रिया अत्यन्त धीमी है। यद्यपि मोदी द्वारा इस पर अनेक कदम

उठाये गये हैं, जैसे - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता की ओर कदम, लड़कियों के लिए अलग से शौचालय आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, परन्तु अभी भी सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस प्रकार यह पुस्तक भारतीय राजनीति में दो वैचारिक पैमानों (पहचान की राजनीति तथा राज्यवाद की राजनीति) को स्थापित करके दलीय व्यवस्था में उसकी भूमिका का विस्तार से वर्णन करती है। परन्तु इसके साथ ही इस पुस्तक की कुछ कमियाँ भी हैं - पहली यह है कि पुस्तक में आँकड़ों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है जो किसी सामान्य पाठक को पुस्तक को समझने में कठिनाई पैदा कर सकता है। दूसरी यह है कि लेखक द्वारा नेशनल इलेक्शन स्टडीज का प्रयोग करके विभिन्न चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार को जानने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु नेशनल इलेक्शन स्टडीज के निदर्शन का आकार अत्यन्त सीमित है जो विभिन्न समुदाय के व्यवहारों को बता पाने में असमर्थ है। निदर्शन का आकार सीमित होने के कारण विभिन्न समुदायों की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं होते हैं। तीसरी कमी यह है कि लेखकों द्वारा इस पुस्तक में सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया है। सर्वेक्षण पद्धति की कमी यह है कि इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार लोग अपनी बात को रखने में हिचकिचाते हैं और वे प्रश्नों का उत्तर किस तरह से देते हैं, इससे गलत निदर्शन बन जाते हैं तथा इन्हीं गलत निदर्शन के आधार पर सामान्यीकरण दे दिया जाता है। सर्वेक्षण सीमित क्षेत्रों में किया जाता है, जिससे पूरे देश के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है ।

चौथी कमी है कि भारतीय दलीय प्रणाली के अन्तर्गत विचारधारा को ही सर्वप्रमुख मान लिया गया है तथा अन्य पहलुओं को अनदेखा किया गया है जो राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों को समझने के लिए मात्र विचारधारा ही पर्याप्त नहीं है अपितु उसकी संरचना, उसके भीतर का नेतृत्व आदि भी महत्वपूर्ण हैं।

पाँचवीं कमी है कि लेखक आँकड़ों के माध्यम से यह बताने में असफल रहे हैं कि विचारधारात्मक विभाजन व्यापक हो रहा है या घटता प्रतीत हो रहा है। एक अन्य कमी यह है कि लेखक मानते हैं कि कांग्रेस की असफलता के पीछे नेतृत्व या संगठन कारण नहीं है अपितु कांग्रेस की विचारधारात्मक प्रवृत्ति है, जबकि हम पाते हैं कि नेतृत्व भी चुनाव में अहम् भूमिका निभाता है अर्थात् कांग्रेस संगठन का नेतृत्व इन दिनों में कमजोर हुआ है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रणाली के पतन का मुख्य कारण रहा है।

इस प्रकार लेखकों द्वारा अपनी पुस्तक में गुणात्मक पद्धति की अपेक्षा मात्रात्मक पद्धति का प्रयोग अत्यधिक किया गया है, विचारधारा और पहचान अपने आप में अत्यधिक तात्विक शब्द हैं, इसको मात्रात्मक पद्धति द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इन कमियों के बावजूद भी यह पुस्तक अनेक रोचक तथ्य प्रदान करती है तथा इसकी विशेषता यह है कि लेखकों द्वारा जितने भी तर्क दिये गये हैं वे साक्ष्य पर आधारित हैं। लेखकों द्वारा अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर विचारधारात्मक विभाजन को बताया गया है। यह पुस्तक समकालीन

भारतीय राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय दलीय प्रणाली को समझने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हो सकती है। प्रदीप छिब्बर तथा राहुल वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक अपने आप में अनेक तत्वों और गुणों को समाहित किये हुए है। यह पुस्तक भारतीय राजनीति को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है।

लेखकों के लिए अनुदेश

मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल में समाज विज्ञान से सम्बन्धित सैद्धान्तिक आलेख, अनुभवजन्य शोध आधारित आलेख, टिप्पणियाँ और पुस्तक समीक्षाएँ प्रकाशित की जाएँगी। लेखकों से निवेदन है कि अपनी रचनाएँ प्रकाशन हेतु प्रेषित करते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखें -

- कृपया अपनी रचना को यूनीकोड फॉन्ट में टंकित कर एमएस-वर्ड फाइल में mailboxmpissr@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करें। शोध आलेख की शब्द सीमा 3000 से 5000 के बीच होना चाहिए। शोध आलेख के साथ 100-150 शब्दों में शोध आलेख का सारांश भी अनिवार्य है।
- विशेष परिमाण संख्या जैसे 2 प्रतिशत या 5 किलोमीटर को सूचित करने के अतिरिक्त इकाई अंकों (1-9) को शब्दों में ही लिखें जबकि दहाई एवं उससे अधिक की संख्या को अंकों में लिखें।
- किसी भी वर्तनी के लिए एकरूपता महत्वपूर्ण होती है। सम्पूर्ण रचना में एक ही शब्द को विभिन्न प्रकार से नहीं लिखा जाना चाहिए। इसमें प्रचलन और तकनीकी सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- रचना में उद्धृत वाक्यांशों को दोहरे उद्धरण चिह्न ("...") के मध्य दें। यदि उद्धृत अंश तीन वाक्यों से अधिक का हो तो उसे अलग पैरा में दें। उद्धृत अंश में लेखन की शैली और वर्तनी में कोई भी परिवर्तन अपनी ओर से न करें।
- सभी टिप्पणियाँ एवं सन्दर्भ शोध आलेख के अंत में दिये जाएँ तथा शोध आलेख में यथास्थान उनका आवश्यक रूप से उल्लेख करें। सन्दर्भ सूची में किसी भी सन्दर्भ का अनुवाद करके न लिखें। सन्दर्भों को उनकी मूल भाषा में ही रहने दें। यदि सन्दर्भ में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का मिश्रण हो तो सन्दर्भ को लिप्यान्तरित कर देवनागरी लिपि में ही लिखें।
- समसामयिक प्रासंगिकता, स्पष्ट एवं तार्किक विश्लेषण, सरल एवं बोधगम्य भाषा, उचित प्रविधि आदि शोध आलेख के प्रकाशन हेतु स्वीकृति के मानदण्ड होंगे। प्राप्त रचनाओं की समीक्षा प्रकाशन से पूर्व विषय विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। यदि समीक्षक रचना में संशोधन हेतु अभिमत देते हैं तो रचनाकार को वांछित संशोधन करने होंगे। किसी भी शोध आलेख को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादक का होगा।
- पत्र व्यवहार का पता : सम्पादक, मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल, म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, 6, प्रो. रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन - 456010 (म.प्र.)।

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान, उज्जैन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद्, शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा उच्च शिक्षा मन्त्रालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्थापित स्वायत्त शोध संस्थान है। कार्य एवं स्वरूप की दृष्टि से मध्यप्रदेश में यह अपनी तरह का एकमात्र शोध संस्थान है। समाज विज्ञानों में समकालीन अन्तरशास्त्रीय संदृष्टि को बढ़ावा देते हुए समाज विज्ञान मनीषा का सशक्त संवाहक बनना संस्थान का मूल उद्देश्य है।

अपनी संस्थापना से ही यह संस्थान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं विकास की विभिन्न समस्याओं, मुद्दों और प्रक्रिया ओं पर अन्तरशास्त्रीय शोध को संचालित और प्रोत्साहित करते हुए सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत महत्त्व की शोध परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है।

संस्थान की शोध गतिविधियाँ मुख्यतः पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से सम्बन्धित मुद्दे, विकास एवं संस्थापन, पर्यावरण अध्ययन, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र एवं मानवाधिकार, सूचना तकनीकी तथा समाज, शिक्षा एवं बाल अधिकार एवं नवीन आर्थिक नीतियाँ आदि संकेन्द्रण क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं।

परिसंवादों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि अकादमिक अनुष्ठानों का आयोजन, समाज विज्ञानों में अनुसन्धानपरक नवोन्मेष एवं नवाचारों का प्रवर्तन, मन्त्रालयों एवं अन्य सामाजिक अभिकरणों को परामर्श एवं शोधपरक सहयोग प्रदान करना संस्थान की अन्य प्रमुख गतिविधियाँ हैं। संस्थान में एक संवर्द्धनशील पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र है जिसमें समाज विज्ञानों पर पुस्तकें, शोध जर्नल्स और प्रलेख उपलब्ध हैं।

संस्थान शोध कार्यों को अवसरिक पत्रों, विनिबन्धों, शोध-पत्रों एवं पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त दो षाण्मासिक शोध जर्नल - मध्यप्रदेश जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज़ (अँग्रेजी) एवं मध्यप्रदेश सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान जर्नल (हिन्दी) का प्रकाशन भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में
पं.क्र. MPHIN/2003/10172 द्वारा पंजीकृत

म.प्र. सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के लिए
डॉ. यतीन्द्रसिंह सिसोदिया द्वारा
6, रामसखा गौतम मार्ग, भरतपुरी प्रशासनिक प्रक्षेत्र, उज्जैन - 456010 (मध्यप्रदेश) से
प्रकाशित एवं मुद्रित